राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र, का 44वां दिवस [संख्या 14

शुक्रवार

दिनांक 1 मार्च, 1968

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-3 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्षः प्रश्न।

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कृषि, उद्योग, विद्युत, शिक्षा, पशुपालन, नियुक्ति, यातायात, विधि व सहकारी विभाग]

राइस बैल्ट बनाने की योजना

376. **श्री केदारनाथ** (श्रीगंगानगर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

हनुमानगढ़ क्षेत्र में नालीबैड में राइस बैल्ट बनाने के बारे में राज्य सरकार के पास क्या कोई योजना है ?

उप-मंत्री, कृषि (राव श्री हरीसिंह): जी नहीं, हनुमानगढ़ क्षेत्र में नालीबैड में राइस बैल्ट बनाने के बारे में कोई योजना नहीं है। इस क्षेत्र में जहां नहर द्वारा सिंचाई उपलब्ध है धान की खेती की जाती है परन्तु इस सारे क्षेत्र को राइस बैल्ट नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि दूसरी फसलों की खेती इस क्षेत्र में बन्द नहीं की जा सकती।

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि राइस के एरिया ऑफ कल्टीवेशन में 60 परसेन्ट की बढ़ोतरी पिछले दो सालों में हुई है ?

राव श्री हरिसिंह : जी हां, वृद्धि हुई है। 60 परसेन्ट ही नहीं 100 परसेन्ट वृद्धि हुई है। पहले 1963-64 में करीब 4828 एकड़ थी इसके अन्तर्गत भूमि वहां 1966-67 में 10687 एकड़ है।

श्री केदारनाथ : तो राइस बैल्ट के बारे में जो जरूरियात होनी चाहिए क्या वह वहां पर नहीं है ?

राव श्री हरिसिंह : जहां तक मैं समझता हूं दूसरी क्लाइमेटिक कन्डीशन्स और दूसरी आवश्यकतायें हैं राइस बेल्ट के लिए वह स्थान उपयुक्त ही है और वहां पर एक तरह से राइस के अन्दर एरिया बढ़ाने का काफी स्कोप है और इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करूं कि ऐसी कोई स्पेशल योजना तो नहीं है मगर राइस का एरिया काफी बढ़ता जा रहा है।

श्री केदारनाथ : क्या राज्य सरकार उचित नहीं समझती कि इसके लिए वह कोई इन्क्वायरी करे क्योंकि क्रॉप पैटर्न्स बदल गये तो वहां पर राइस बेल्ट होनी चाहिये ?

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम): यह तो ठीक है नाली बैड़ में चावल, कपास, गन्ना यह सब होते हैं। अब इसके बीच में किस तरह से कितना एरिया चावल के लिए, कितना कपास के लिए, कितना गन्ने के लिए निर्धारित करें यह है। या एक सवाल पैदा होता है कि नहर का पानी इतना प्राप्त नहीं हो सकता कि केवल चावल की ही काश्त को विशेष महत्व दिया जाये। गंगानगर में कपास के ऊपर जो रिसर्च हो रही है, एक एक पेड़ में जो वहां काटन है उसमें 10 और 11 गुना काटन की मात्रा की उपलब्धि होती है। अभी यह निश्चित नहीं कर पाये कि कौन कौन-सी चीजों के लिए कपास का कितना, गन्ने का कितना एरिया डिमार्केट करें और यह जब तक नहीं होता जब तक कि रिसर्च के परिणाम एक दो साल तक नहीं आ जायें। तब तक नाली बैड के क्षेत्र की योजना पूर्णतया नहीं बना सकते और माननीय सदस्य भी इसको स्वीकार करेंगे कि नहर का पानी जितना चावल के लिए चाहिये उतना कपास के लिए आवश्यक नहीं रहता। तो गंगानगर के लिए कपास पर ज्यादा महत्व दिया जाये या चावल पर दिया जाये इसकी अहमियत जब रिसर्च वर्क के परिणाम आयेंगे उसी समय निर्धारित कर पायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री रिद्धीचन्द पालीवाल।

इन्डस्ट्रीयल एस्टेट गंगापुर सिटी

377. **श्री रिद्धीचन्द पालीवाल** (गंगापुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इन्डस्ट्रीयल एस्टेट के लिए गंगापुर सिटी में कुछ साल पूर्व खसरा नं० 6 महुकला की कितनी भूमि कितना मुआवजा देकर ली गई थी ?

(2) क्या यह सच है कि उक्त भूमि पर उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग के पास प्रार्थना-पत्र भी प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो वे किन किन के हैं ?

(3) क्या यह सच है कि उक्त भूमि के कुछ हिस्से पर अनधिकृत कब्जा किया जाकर काश्त करा दी गई है ?

(4) सरकार उक्त भूमि उद्योगों को प्लान के अनुसार एलॉट करने के संबंध में अब क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप मंत्री, उद्योग (श्री भीमसेन) : (1) ग्राम महुकला गंगापुर सिटी के खसरा नं० 6 में 10 बीघा 2 बिस्वा भूमि 1961 में रुपया 1099.80 पैसे देकर अवाप्त की गई थी।

(2) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(4) जिलाधीश सवाई माधोपुर ने अनाधिकृत कब्जा हटाने के आदेश उप-जिलाधीश एवं तहसीलदार गंगापुर को दे दिए हैं।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री कालूराम ।

अनुसूचित जाति के मोहल्लों में बिजली

378. श्रीकालूराम आर्य (बिलाडा सु.): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने वर्ष 1967-68 में अनुसूचित जाति के मोहल्लों में सरकारी खर्च से बिजली की लाइन लगाने बाबत कोई आदेश दिये ? यदि हों, तो किस किस जगह के लिए व क्या आदेश दिये ? आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 22-7-67 को चीफ इन्जीनियर राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर को पीपाड़ में अनुसूचित जाति के मोहल्लों में लाईन लगाने का निवेदन किया गया ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां, इस कार्य के लिए प्रावधान न होने के कारण कार्य नहीं किया जा सका ।

प्रश्न संख्या 379

श्री अध्यक्ष : श्री बिठ्ठलप्रसाद शर्मा ! (अनुपस्थित) ।

श्री रामचन्द्र आर्य

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आज्ञा चाहूंगा कि प्रश्न संख्या 379 को पूछने की इजाजत दी जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 379 श्री बिठ्ठल प्रसाद शर्मा ।

राज्य के पोलीटेक्निक स्कूल

379. श्री विठ्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य में पोलिटेक्निक स्कूलों की संख्या क्या है ?

(2) इन स्कूलों में विभिन्न विषयों की कितनी -कितनी सीटें हैं तथा इस सत्र में कितने व्यक्तियों ने प्रवेश लिया है ?

(3) क्या करकार की जानकारी में है कि उक्त संस्थाओं से प्राप्त डिप्लोमा होल्डर्स बेरोजगार एवं बेकार है ?

(4) उक्त बेरोजगारी को देखते हुए क्या राज्य सरकार अपनी तकनीकी शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार रखती है ?

(5) राज्य सरकार की तकनीकी शिक्षा नीति की मुख्य मुख्य बातें क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर): (1) राजस्थान में 8 पोलीटेक्निक हैं।

(2) इनमें निम्न तालिकानुसार सत्र 1967-68 में सीटें थीं :—

(श्री शिव चरण माथुर)

	सिविल	मेकेनिकल	इलेक्ट्रिकल	माइनिंग	योग
अजमेर	60	90	90	—	240
अलवर	30	45	45	—	120
बीकानेर	30	45	45	—	120
जोधपुर	120	90	90	—	300
कोटा	60	90	90	—	240
उदयपुर	—	60	60	40	160
भरतपुर	60	—	—	—	60
जयपुर	60	—	—	—	60
	420	420	420	40	1300

इस सत्र में निम्न तालिकानुसार विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया :—

(प्रथम वर्ष)

अजमेर	240
अलवर	120
जोधपुर	300
बीकानेर	120
कोटा	241
जयपुर	62
उदयपुर	148
भरतपुर	58

(3) जी हां।

(4) बेरोजगारी को देखते हुए राज्य सरकार ने डिप्लोमा कोर्स में इस सत्र 68-79 से सीटें 980 रखी हैं और सम्भव है कि इसे और भी कम करके 650 रखें।

(5) राज्य सरकार की तकनीकी शिक्षा की नीति यह है कि विद्यार्थी डिप्लोमा पास करके सरकारी नौकरी एवं प्राइवेट फर्मों में कार्य करें। छात्र निजी उद्योग भी चला सकते हैं तथा अन्य उद्योगों में भी नौकरी कर सकते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : राजस्थान में कुल कितने ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : बेरोजगारों की संख्या तो मालुम नहीं है इस समय। पर करीब 700 के होंगे पोलीटेक्निक के और दूसरे। यह अंदाज से बता रहा हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो उनको नौकरियां दी जा सकें ऐसी कोई नीति और कार्य क्रम सरकार ने निर्धारित किया है ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने निवेदन किया कि वित्त मंत्रीजी 8 तारीख को इस बारे में कोई घोषणा करेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब आपके ध्यान में इन बेरोजगारों की बात आई तो क्या सरकार ने एम्पलोयमेंट एक्सचेन्ज कम्पलसरी एक्ट 59 के तहत कोई कार्यवाही की ?

श्री शिवचरण माथुर : यह अलग से प्रश्न है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि सरकार यह मानकर चलती है जब कि बेरोजगार इस तरह के हैं राजस्थान में तो अगर उनको सरकार अपने विभागों में नौकरियां न दे सके तो पब्लिक सेक्टर या प्राईवेट सेक्टर में जो इंडस्ट्रियां रन कर रही हैं उनके लिये लाजिमी है इस एक्ट के मातहत कि वे अपने यहां स्थान पूर्ति के लिये एम्पलोयमेंट एक्सचेन्ज जो उनके हल्के में पड़ते हैं यह उनसे इस तरह के लोग लें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं यह ऑफेन्स है। तो क्या सरकार ने इन नियमों के अनुसार चलने के लिये उनको फोर्स किया है या यह देखा है कि वे इन नियमों के अनुसार चलते हैं या नहीं ?

श्री शिवचरण माथुर : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। बेरोजगारी के बारे में सरकारी नीति की घोषणा जैसा मैंने निवेदन किया 8 तारीख को वित्त मंत्री जी सदन में करने वाले हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसका संबंध घोषणा से नहीं है, इसका सम्बन्ध तो जो आलरेडी एक कानून बना हुआ है उसके पालन की देखभाल करनी है कि लोग इसका पालन करते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, घोषणा से नहीं है पर फिर भी आपकी जानकारी के लिए वित्तमंत्री सरकारी नीति की घोषणा करेंगे, ये यह कह रहे हैं।

विधि मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : यह मसला सरकार के विचाराधीन है, और सरकार इस पर कन्सीडर कर रही है।

श्री अध्यक्ष : मैं आगे बढ़ रहा हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल: अध्यक्ष महोदय, इसके रूल्स बने हुए हैं कोई भी प्राईवेट सेक्टर एम्पलोयमेंट किसी को देने से पहले कन्सर्न्ड एम्पलोयमेंट एक्सचेन्ज को अपनी वेकेन्सीज रेफर करे यह रूल्स में प्रावधान है, क्या सरकार यह देखती है कि इन प्रावधानों का पालन होता है या नहीं ? प्रश्न यह है।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री शिवचरण माथुर : क्या कार्यवाही हुई है इसका विवरण इस वक्त उपलब्ध नहीं है। इसकी सूचना अलग से आप मांग सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, क्या शिक्षा मंत्री यह बतायेंगे कि जब इतने आदमी बेकार हैं और इतनी स्कूलें खोल रखी हैं तो क्या इन स्कूलों को कम करने के सम्बन्ध में भी कोई विचार रखती है सरकार ?

श्री अध्यक्ष : कह दिया है। सीट्स का कह दिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, सीटें कम करने के सम्बन्ध में जो आज कह रहे हैं कि सरकार ने सीटें कम करने का निर्णय लिया है, तो क्या गत सत्र में जितनी सीटें थी उनको बढ़ाने के लिए एस्टीमेट वगैरह मन्जूर किये थे और उनके बारे में फंड्स टेकनीकल कॉलेज और स्कूलों को अलॉट किये थे तो अब जब यह निर्णय वापिस ले रहे हैं कि सीटें कम करेंगे तो एक्स पेन्शन के उन अलॉटमेंट को रोकने के लिये भी सरकार ने कोई निदेश दिये हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : आपका सुझाव सुन्दर है, विचार किया जावेगा ।

सांड फार्म नोहर

380. **श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) :** क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कस्बा नोहर में सांड फार्म में कितने सांड हैं ?

(2) इस फार्म का वार्षिक खर्चा कितना है और अब तक इस फार्म पर कितना खर्चा किया जा चुका है ?

(3) इस फार्म पर अब तक कितने सांड पाले गये हैं और औसतन प्रति सांड कितना व्यय पड़ता है ?

(4) इस फार्म में कितने डॉक्टर व अन्य कर्मचारी हैं और वे कितने अर्से से नोहर है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(5) इस फार्म में क्या क्या साधन उपलब्ध हैं ? और क्या क्या मशीनरी कितनी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(6) इस फार्म के लिये कितनी जमीन है और क्या क्या मकान बने हुए हैं ?

उप. मंत्री पशुपालन विभाग (राव श्री हरिसिंह) : (1) सांड फार्म नोहर पर इस समय 57 सांड बछड़े पालन हेतु हैं ।

(2) इस फार्म का 1967-68 का व्यय 75325) रुपये हैं एवं अब तक इस फार्म पर 620484.46 पैसा खर्च किये जा चुके हैं ।

(3) इस फार्म पर अब तक 576 सांड व बछड़ों का पालन किया गया है और प्रति सांड औसत 1.81 पैसे व्यय आता है ।

(4) इस फार्म पर एक डॉक्टर एवं 7 अन्य कर्मचारी हैं, जो संलग्न सूची के अनुसार है ।

(5) इस फार्म पर 528 बीघा भूमि है, जिसमें से 124 बीघा सिंचित एवं 424 बीघा भूमि असिंचित है । तथा नहर द्वारा सिंचाई हेतु एक पक्का नाला भी है । मशीनरी की सूची संलग्न है ।

इस फार्म के लिये 528 बीघा भूमि है तथा निम्नांकित मकान बने हुए हैं :—

(1) सांड शालाएं 3, (2) चारागृह 1, (3) अधीक्षक के लिए मकान 1, (4) कर्मचारियों के लिए आवास गृह 7 ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से यह फार्म खुला है उस समय से एक ही डाक्टर को वहां क्यों रखा जा रहा है जब कि नियम दो साल के बाद तबादले करने का है ?

राव श्री हरिसिंह : डॉक्टर के विषय में अलग से प्रश्न पूछा नहीं गया है। इससे सम्बन्ध रखता हो और इसका महत्व पहले बता दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : तो क्या यह सही है कि जो इस फार्म पर खर्चा किया गया है यह बहुत अधिक है और इसमें बड़ी घोटाला है इसलिए इसकी जांच होनी चाहिये और डॉक्टर को यहां से हटाये जाकर जांच की जावे, इसके बारे में मंत्री महोदय का विचार जानना चाहूंगा।

राव श्री हरिसिंह : डॉक्टर के और घोटाले के बारे में अलग से पूछ लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

प्रश्न संख्या 381

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गंगा सहाय।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री लादूराम सुनालिया (फागी): इसका उत्तर दिलाया जाय, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं दिलाऊंगा, समय रहेगा तो दिलाऊंगा।

श्री लादूराम सुलानिया : यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : इम्पोर्टेन्स की बात बाद में देखूंगा।

प्रश्न संख्या 382

श्री परसराम।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम आगरी।

नाणा बाली रूट पर चलने वाली गाड़ियां

382. **श्री दौलतराम आगरी** (देसूरी) [श्री पृथ्वीसिंह (पाली) द्वारा पूछा गया] :क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) पाली जिले के नाणा बाली बस रूट पर कितनी व किस किस मालिकों की बसें कितने वर्षों से चल रही हैं ? क्या इस रूट पर गांव सेवाड़ी भी स्थित है ? यदि हां, तो सेवाड़ी बस स्टेन्ड पर से ली जाने वाली सवारियों को गुड़ा से बाली के टिकट क्यों दिये जाते हैं और यदि ग्राम उक्त रूट में नहीं पड़ता है तो बस मालिक ऐसा कदम किस कानून व आज्ञा से उठाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बस मालिकों की उक्त कार्यवाही सरकार को धोखा देना है तथा पाली जिले की सरकारी मशीनरी भी अन्धेर गति में है ? यदि हां, तो सरकार बस मालिकों के व सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

(3) क्या उक्त रूट पर चलने वाली बसों का मॉडल 1966 या 67 का है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार कब तक इस रूट पर 1966 या 67 के मॉडल की बसें चालू करवाने का विचार रखती है ?

(4) एरनपुरा, बाली, फालना रूट पर चलने वाली बसों की संख्या कितनी है व ये बसें रोज कितनी ट्रिप करती हैं व इस रूट पर स्थित ग्राम एरनपुरा, बिसलपुर, बीजापुर, सेवाड़ी, लनावा की कितनी जन संख्या है ?

(5) क्या जन संख्या की औसत के अनुसार अभी बसों द्वारा की जाने वाली ट्रिप्स जनता की सुविधा के अनुकूल है यदि

Page No.8

(श्री पृथ्वी सिंह)

नहीं तो क्या सरकार बस मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही करके बसों की ट्रिपें ज्यादा बढ़ाने के लिये कदम उठावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

यातायात मन्त्री (श्रीअमृतलाल यादव): (1) इस मार्ग पर दो बसें मैसर्स एम.बी. के. ट्रान्सपोर्ट कम्पनी सुमेरपुर व श्री भंवर लाल पुत्र श्री शिवराज जैतारण की क्रमश: 12/4/58 व 4/4/59 से चल रही हैं। इस मार्ग पर दो फर्लांग की दूरी पर गांव सेवाड़ी स्थित है मगर अनुज्ञापत्र में यह गांव दर्ज नहीं है। गुड़ा एक बहुत छोटा गांव हैं जो ग्राम सेवाड़ी की एक बस्ती है। इन दोनों गावों में 2 फर्लांग का अंतर है। गुड़ा इस मार्ग पर पड़ता है और परमिट में बाया गुड़ा लिखा है इसलिये गुड़ा से बाली के टिकट लिये जाते हैं। गुड़ा और सैबाड़ी के किराये में कोई किस्म का अंतर नहीं है।

(2) यह प्रश्न ही नहीं उठता न इस तरह की कोई शिकायत ही प्राप्त हुई है।

(3) जी नहीं। यह मार्ग सी श्रेणी का है इसलिए सन् 66 व 67 के मोडल के बसों के लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) इस मार्ग पर तीन बसें चल रही हैं यह बसें दिन में एक अप और एक डाउन सर्विस करती है।

इन ग्रामों की क्या जनसंख्या है इसकी सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(5) जन संख्या के औसत के अनुसार ट्रिप तय करने का तरीका काम में नहीं लिया जाता है बल्कि जनता की आवश्यकता एवं मांग पर ट्रिप्स तय किये जा सकते हैं। इस क्षेत्र से जनता की ओर से कोई मांग उपलब्ध नहीं हुई है ऐसी मांग उपलब्ध होने पर ट्रिप्स बढ़ाने की उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री पृथ्वीसिंह : ये जो गांव एरनपुरा से बाली वाले बस रूट पर है उनकी जन॰ संख्या और मांग को देखते हुए क्या यह जरूरी नहीं है कि दो बसें चलाई जावें सुबह और शाम।

श्री अमृतलाल यादव। जैसा भाग पांच में अर्ज किया तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां पर ज्यादा मांग है तो वहां की जनता की ओर से डिपार्टमेंट के पास आवेदन आना चाहिये। ट्रिप बढ़ाने में हमें क्या ऐतराज है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : इनमें ओवरलोडिंग कितना चलता है ? यह टिकट वगैरह की बिक्री से आप अन्दाजा लगा सकते हैं ?

श्री पृथ्वीसिंह : बसें भी छोटी छोटी हैं, पुराने मोडल की हैं। उनकी भी कंडीशन सुधारना अत्यन्त आवश्यक है। ओवर लोडिंग भी बहुत चलती है।

विधायकों के लिए आचार संहिता

384. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार विधायकों के लिए संथानम कमेटी की सिफारिशों के अनुसार किसी प्रकार की आचार संहिता बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो इस ओर कब तक कार्यवाही शुरू हो जावेगी ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप मंत्री गृह (श्री खेतसिंह) : जी नहीं।

राजवी श्री रूपसिंह : क्या यह सही है कि संथानम रिपोर्ट में मिनिस्टर्स और एम. एल.एज. के लिए. कोड ओफ कंडक्ट बनाने की बात कही गई है? कई स्टेट्स में ऐसे इन्स-ट्रकशन्स इशु किए गए हैं ? इस संबंध में यहां पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री खेतसिंह : स्टेट्स की सरकारों को संथानम कमेटी की रिपोर्ट दे दी थी। यहां पर केबिनेट में इस बारे में डिस्कशन हुआ है। और स्टेट्स से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी आने के बाद विचार किया जायगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : राजस्थान ही पहल करे।

राजवी श्री रूपसिंह : क्या यह सही है कि जम्मू, काश्मीर, पंजाब, मद्रास और केरल ने संथानम रिपोर्ट को माना है और इन्स्ट्रक्शन्स इशु किए हैं ?

मिनिस्टर साहब जो फरमा रहे हैं वह बात गलत हैं।

श्री खेतसिंह : मेरे पास जो सामग्री है उसके अनुसार अब तक किसी राज्य ने इस प्रकार की आचार संहिता नहीं बनाई है। भारत सरकार स्वयं इस पर विचार कर रही है और जब फाइनेलाइज करेगी तब इन्स्ट्रक्शन्स इशु होंगे तब अपन भी विचार कर लेंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : राज-स्थान सरकार इस बारे में क्या विचार रखती है बनाना चाहिए या नहीं ?

श्री खेतसिंह : मैंने जबाब दिया था। फिलहाल जी नहीं।

राजवी श्री रूपसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं। हमारे कांस्टिट्युशन में आपको पावर्स हैं एम.एल. एअ. के लिए कोड ओफ कंडक्ट बनाने के लिए आप इन्सट्रक्शन्स इशु कर सकते हैं जैसा कि पार्लियामेंट के स्पीकर साहब ने किया।

श्री अध्यक्ष : आर्टिकल साइट कर दीजिए ताकि मैं भी अपने पावर्स को समझ लूं।

राजवी श्री रूपसिंह : आर्टिकल 135 के अन्तर्गत वहां पर भी इस तरह के इन्स-ट्रक्शन्स इशु किए गए थे और उसके अनुसार केसेज चले हैं मुदगल का केस चला है।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, आज से नयी परिपाटी शुरू हो रही है। क्वश्चन आवर में चेयर से इन्फरमेशन सीक की जा रही है। आगे इसको जारी रखना आप ठीक समझते हैं या नहीं ?

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : ओर्डर प्लीज। मैं तो आपका आभारी हूं चेयर को सशक्त बनाने के लिए आगाह कर रहे हैं।

राजवी श्री रूपसिंह : आपका जुरिस्डि-क्शन है उसके अन्तर्गत आप इन्सट्रक्शन्स इशु कर सकते हैं जैसा कि स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट ने इन्सट्रक्शन्स इशु किये वैसे आप भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है जैसी कि मंत्रीजी ने कही। पंजाब और दूसरी जगह ऐसा किया गया है। मिनिस्टर कुछ नहीं करे तो उनको चैक करना हमारा फर्ज होता है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है कि राजवी साहब से जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया इसलिए ऐतराज कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : ओर्डर प्लीज । मैं आपके इस वक्तव्य पर तो नहीं कहता किन्तु संकेत पर आपत्ति प्रकट करता हूं । किसी मेम्बर के विरुद्ध ऐसी बात नहीं कहें ।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : जैसा राजवी साहब ने कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बारे में कहा 135 में हैं उसमें लिखा है:-

"Leave of the House to take up resolution-Subject to the provisions of Article 181 of the Constitution, the Speaker or the Deputy Speaker or"............ ......

श्री अध्यक्ष : एम. एल. एज. के लिए कोड ऑफ कंडक्ट अलग चीज है । आप पढ़ रहे हैं यह तो प्रोसिजर ऑफ दि हाउस है । नेक्स्ट क्वश्चन ।

लुनावद सेवा सहकारी समिति का क्रय विक्रय समिति में प्रतिनिधि

385. श्री महेन्द्रसिंह (पीपलदा) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की पंचायत समिति इटावा क्षेत्र की लुनावद सेवा सहकारी समिति ने दिनांक 21-1-67 को एक प्रस्ताव द्वारा सुमेरगंज मंडी सहकारी क्रय विक्रय समिति में एक प्रतिनिधि भेजा ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तारीख तक वह सदस्य उक्त सेवा सहकारी समिति का कर्जदार था ?

(3) क्या यह सही है कि कर्जदार व्यक्ति को सोसायटी प्रतिनिधि चुनकर नहीं भेज सकती ?

(4) क्रय विक्रय समिति में इस समय वह किस पद पर कार्य कर रहा है ?

उप मंत्री, सहकारी (श्री रामदेवसिंह):

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी नहीं ।

(4) सुमेरगंज मंडी क्रय विक्रय समिति में वह इस समय एक संचालक के पद पर है ।

श्री महेन्द्रसिंह : प्रश्न नं० 3 का उत्तर आपने दिया है जी नहीं । क्या यह कथन सही नहीं है कि सोसाइटी का डिफाल्टर हो उसको नहीं भेजा जा सकता ?

श्री रामदेवसिंह : जो डिफाल्टर है उसको नहीं भेजा जा सकता ।

श्री महेन्द्रसिंह : मेरा खंड (2) में प्रश्न था क्या यह भी सही है कि उक्त तारीख तक वह सदस्य उक्त सेवा सहकारी समिति का कर्जदार था ? इसका उत्तर आपने "जी हां" दिया है ।

श्री रामदेवसिंह : कर्जदार और डिफाल्टर में फर्क है ।

श्री महेन्द्रसिंह । उसमें कोई कर्जा बकाया नहीं है पर वह डिफाल्टर है....

श्री रामदेवसिंह : आपने डिफाल्टर के बारे में पूछा नहीं । आपने तो पूछा कि उसमें कोई कर्जा बकाया था या नहीं उसका मैंने जबाब दे दिया ।

Page No.11

श्री महेन्द्रसिंह : वह डिफाल्टर था और उसमें कर्जा बकाया था तो किस प्रकार भेज दिया ?

श्री रामदेवसिंह : यह सूचना मेरे पास नहीं है कि वह डिफाल्टर था । यदि वह डिफाल्टर है तो जरूर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री महेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसको पोस्टपोन कर दीजिये । डिफाल्टर था उसको उन्होंने भेज दिया और मंत्रीजी को इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : डिफाल्टर के बारे में आपका कौनसा प्रश्न है यहां नहीं दिखता ।

श्री महेन्द्रसिंह : प्रश्न का खंड (2)

श्री अध्यक्ष : कर्जदार का मतलब डिफाल्टर कैसे है ?

सहकारी मंत्री (श्री शोभाराम): अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहता हूं । कर्जदार मेम्बर रह सकता है, वोट दे सकता है, इलेक्शन के लिये खड़ा हो सकता है लेकिन जो डिफाल्टर होता है वह वोट नहीं दे सकता और कहीं पर रिप्रजेन्टेटिव बन कर नहीं जा सकता । अब इसमें दो पोजीशन्स इमर्ज होती हैं । एक तो यह कि वह इस वक्त भी डिफाल्टर है या नहीं और दूसरा यह होता है कि जिस समय वह प्रतिनिधि बनने वाला था उस वक्त डिफाल्टर था तो मैं समझता हूं माननीय सदस्य यदि सही हैं तो चुनाव हो रहा था उस समय यदि मान लीजिये वह डिफाल्टर था जैसा कि आप प्रश्न रख रहे हैं तो उस समय इलेक्शन ऑफिसर के सामने यदि इस प्रकार का ऐतराज उठाते तो उस पर डिसीजन हो जाता । चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद दफा ७५ की तहत इस प्रकार का प्रश्न डिस्प्यूट की तारीफ में आ जाता है । आज देखने की बात यह है कि संचालक के पद पर यदि वह कार्य कर रहा है और इस वक्त डिफाल्टर है तो हम उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं और वह उस पद पर नहीं रह सकता । यदि वह इस समय डिफाल्टर नहीं है तो उसको प्रतिनिधि के पद से या डाइरेक्टरशिप से कैसे हटा दें इसके लिये प्रोविजन नहीं है । मैं यह विश्वास दिला सकता हूं कि आज की तारीख में डिफाल्टर है और संचालक मंडल में है तो वह नहीं रहेगा । पहले की सूचना से कोई लाभ नहीं होने वाला है क्योंकि वह तो इलेक्शन का मैटर गुजर गया । आज अगर वह डिफाल्टर है तो अवश्य कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री महेन्द्रसिंह : चुनाव से पहले उस तारीख तक वह व्यक्ति डिफाल्टर था । डिफाल्टर होते हुए उसको वहां भेज दिया । प्रमाण-पत्र किस प्रकार इशु हुआ । मैं जानना चाहता हूं कि डिफाल्टर होते हुए क्यों प्रतिनिधि चुनकर भेज दिया ।

श्री शोभाराम : मै यह कह रहा हूं कि उसको इलेक्शन के माध्यम से भेज दिया लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि इलेक्शन आफिसर के सामने ऐतराज आया या नहीं यह इलेक्शन डिस्प्यूट बन जाता है तो जो इलेक्शन आफिसर के पद पर काम करता है उसके काम में हम दखल नहीं देते ।

श्री महेन्द्रसिंह : आपको तो यह भी पता नहीं हैं कि वह डिफाल्टर था या नहीं आप जानकारी क्यों नहीं करते ।

श्री अध्यक्ष : जानकारी का प्रश्न नहीं है ।

श्री महेन्द्रसिंह : इस प्रश्न को पोस्टपोन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन करने का सवाल नहीं हैं।

श्री महेन्द्रसिंह : उनको जानकारी नहीं है कि डिफाल्टर कैसे चला गया....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर प्लीज। नेक्स्ट क्वश्चन।

सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में राजस्थान के छात्र

386. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में कुल कितने छात्र पढ़ रहे हैं ?

(2) उन छात्रों में राजस्थान के जिलेवार कितने हैं ?

(3) राजस्थान से बाहर के किस किस प्रान्त के कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर): (1) 399 छात्र।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

एक माननीय सदस्य : यह चौथा प्रश्न कहां से आ गया। इसमें तो तीन ही है। तीसरे के दो हिस्से कर लिये होंगे।

श्री हंसराज आर्य : क्या सरकार और सैनिक स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

श्री शिवचरण माथुर : जी नहीं।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी): यह जो सैनिक स्कूल है उसमें परिगणित जाति की कितनी सीटें रिजर्व है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

प्रश्न संख्या 387

श्री अध्यक्ष-श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 388

श्री बृजवल्लभ !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 389

श्री हीराभाई !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री शिवनाथ सिंह !

बी. एस. टी. सी. प्रशिक्षण प्राप्त युवक

390. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झुंझुनूं जिले में विभिन्न स्कूलों में बी. एस. टी. सी. प्रशिक्षण प्राप्त कितने युवक बेकार हैं जिनको अध्यापक के पद पर नियुक्ति नहीं मिल सकी है, तथा वे कितने अर्से से बेकार हैं ?

(2) क्या अब तक प्रशिक्षण का कार्य किसी योजना के अनुसार आवश्यकता को ध्यान में रख कर किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर): (1) झुंझुनूं जिले की विभिन्न बी. एस. टी. सी. स्कूलों में इस जिले के तथा दूसरे जिलों के युवक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं इसलिये यह बतलाना कठिन है कि उनमें से कितने युवक बेकार हैं। जुलाई 67 में जिला नियोजन कार्यालय द्वारा 336 बी. एस. टी. सी. प्रशिक्षण प्राप्त युवकों के आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे जिनमें से 22 प्रार्थी पिछले वर्ष के हटाये अध्यापकों में से थे जिनको दुबारा नियुक्त किया जा चुका है। शेष नये आशार्थियों को स्थानाभाव के कारण नियुक्त नहीं किया जा सका है। यह आवेदन पत्र जुलाई 67 में प्राप्त हुवे थे इसके बाद जिला परिषद्, पंचायत समितियों तथा अन्य जिलों में कितने युवक नियुक्ति पा चुके हैं, जानकारी नहीं है। आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रार्थियों ने निम्नलिखित वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं इसलिए उनको तभी से बेकार माना जावे ·

वर्ष	संख्या
1964	2
1965	27
1966	114
1967	193
कुल योग	336

(2) प्रशिक्षण का कार्य राज्य सरकार की योजनानुसार ही विद्यालयों में अध्यापकों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर किया जा रहा है। इस वर्ष आशा से अधिक आशार्थी प्रशिक्षित हो जाने से सरकार ने कुछ बी. एस. टी. सी. स्कूलों को बन्द करने का निर्णय ले लिया है।

श्री शिवनाथ सिंह : यह जो सूचना दी है यह इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के द्वारा जिन्हे प्रशिक्षण पर भेजते हैं उनकी सूची है या और जिलों के भेजते हैं उनकी है ?

श्री शिवचरण माथुर : दोनों की है ?

श्री शिवनाथ सिंह : 1964 से बेकार चले आ रहे हैं और अब 1968 चल रहा है और आपका कहना है कि प्रशिक्षण का कार्य राज्य सरकार की योजनानुसार किया जा रहा है। तो आपकी योजना में कितने अध्यापकों की जरूरत है, कितने ट्रेन्ड अध्यापकों को काम मिल सकेगा ?

श्री शिवचरण माथुर : असल में दूसरे जिलों में जो एप्लाई करते हैं, जिनको वहां काम मिल गया है उनकी जानकारी विभाग को नहीं मिलती है।

श्री शिवनाथ सिंह : राजस्थान बेसिस पर कितने ट्रेन्ड अध्यापकों की जरूरत है और कितने हर साल ट्रेन्ड कर रहे हैं—इसकी सूची तो होगी ?

श्री शिवचरण माथुर : अन्दाज से पांच हजार टीचर सरप्लस हैं, बिना काम के है, इसलिए ही कुछ बी. एस. टी. सी. स्कूल्स को बन्द करने का फैसला लिया गया है ?

श्री शिवनाथ सिंह : 1964 में जितने रुपये खर्च किये वह बेकार खर्च किये और जो ट्रेनिंग दी वह बेकार दी क्योंकि उनको एब्जार्ब नहीं किया। तो यह 1964 से 1968 तक आप ट्रेनिंग देते गये इसका आधार क्या था ?

श्री शिवचरण माथुर : आधार पंचायत समिति में नये स्कूलों में कितने टीचर की आवश्यकता होगी, इसका अनुमान था, और गवर्नमेन्ट के दूसरे स्कूलों में कितने टीचर्स की जरूरत होंगी, इसका अनुमान था। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स का भी अनुमान लगाया गया था। उनमें जो सरप्लस रह गये, वह करीब पांच हजार ट्रेण्ड टीचर्स सरप्लस रह गये, जिनको अब लगाया जा रहा है और इसलिए ही बी. एस. टी. सी. स्कूल बन्द किये जाने का फैसला लिया गया है।

श्री शिवनाथ सिंह : क्या यह सही है कि प्राइवेट स्कूल्स में बी. एस. टी. सी. ट्रेन्ड टीचर्स लेना जरूरी है ?

श्री शिवचरण माथुर: जरूरी है।

श्री शिवनाथ सिंह : लेकिन वह नहीं लेते हैं।

श्री रोशनलाल (सलूम्बर:) क्या अभी तक एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से नाम मंगाये जाते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : प्रावधान तो है। कहीं से शिकायत आने पर कार्यवाही की जा सकती हैं।

श्री सहदेव शर्मा(आमेर) : इतने टीचर्स बेकार हैं तो क्या अब भी सरकार ऐसी प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स खोलने की जरूरत अनुभव करती है ?

श्री शिवचरण माथुर : अब जरूरत नहीं समझती है इसलिए ही जो स्कूल्स हैं उनको बन्द करने का निर्णय लिया जा रहा है।

श्री सहदेव शर्मा : इसका मतलब यह समझा जाय कि हम बेकारी फैला रहे हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : क्या ?

श्री सहदेव शर्मा : ट्रेन्ड टीचर्स को नहीं लगाना चाहते है और प्राइवेट स्कूल्स को ऐड दे रहे हैं और दिनों दिन स्कूल खोलते जा रहे हैं-

श्री शिवचरण माथुर : आप मेरा मतलब नहीं समझे। पांच हजार टीचर्स सरप्लस में है, उनको लगाने की दृष्टि से ही बी. एस. टी. सी. स्कूल्स की संख्या में कमी कर रहे है और संख्या कम करने के बाद में हमें जितने टीचर्स की आवश्यकता होगी उतने टीचर्स को ट्रेन्ड किया जायगा।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन): क्या यह सही है.........

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकर्ता ! आर्डर प्लीज !

श्री शिवनाथ सिंह : क्या आप यह उत्तर देने की स्थिति में हैं कि जितने ट्रेन्ड टीचर्स बेकार हैं उनको जब तक एब्जार्ब किये जाने के उपाय न हो जायें तब तक और टीचर्स को ट्रेन्ड नहीं किया जायगा ?

श्री शिवचरण माथुर: मैं निवेदन करूं कि यह बी. एस. टी. सी. स्कूल रखे जायेंगे वह इसी आधार पर रखे जायेंगे कि जितने टीचर्स की आवश्यकता हो उतने ही टीचर्स को ट्रेन्ड किया जाय। सरप्लस टीचर्स की संख्या को देखते हुए, और कितने टीचर्स एब्जार्ब हो सकते हैं, इस आधार पर ही बी. एस. टी. सी. स्कूल्स की संख्या कम की जा रही है।

श्री शिवनाथ सिंह–तब तक दूसरे टीचर्स को ट्रेन्ड नहीं किया जावेगा ?

शिवचरण माथुर–नये टीचर्स को ट्रेनिंग देने का सवाल उठता नहीं है।

श्री श्रवण लाल–क्या यह सही है कि ट्रेनिंग देने के पहले उन अध्यापकों से इस प्रकार का बांड लिखवाया जाता है कि जिसके अनुसार वह दूसरी सर्विस में नहीं जा सकता ?

श्री शिवचरण माथुर–ऐसा कोई बांड नहीं लिखवाया जाता।

श्री शिवनाथ सिंह–क्या सरकार यह आदेश देने को तैयार हैं कि प्राइवेट इन्स्टी-ट्यूशन्स में बी. एस. टी. सी. ट्रेन्ड टीचर्स को ही स्कूल मे ले ?

श्री शिवचरण माथुर–हम यह आदेश जरूर देते हैं कि प्राइवेट इन्स्टीटयूशन्स बी. एस. टी. सी. ट्रेन्ड टीचर्स को ही लें। अगर वह नहीं लेती है और हमारे पास शिकायत आती है तो हम बाध्य करते हैं।

श्री शिवनाश सिंह–आप जो मिडल स्कूल्स हैं उनको तो बाध्य कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष–नेक्स्ट !

श्री श्रवणलाल: क्या इस प्रकार का कोई बांड नहीं भरवाया जाता है और बी. एस. टी. सी. में जब प्रवेश होता है तो पाबन्द कर दिया जाता है कि तुम्हें इस विभाग में सर्विस करनी पड़ेगी ?

श्री शिवचरण माथुर : जिनको सर-कार अपनी ओर से ट्रेनिंग के लिए भेजती है उनसे लिखवाया जाता है, जो अपनी मर्जी से जाने वाले हैं उनसे कोई नहीं लिखवाया जाता।

श्री अध्यक्ष: श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, 387 लेने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: बाद में देखूंगा, मैं बीच में नहीं ले सकता।

श्री बुरड़क।

निलम्बित कर्मचारियों एवं अधिकारियों की विभागीय जांच

391 **श्री हरजीराम बुरड़क**: (लाडनू): क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह नीति निर्धारित की है कि निलम्बित सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच अधिक से अधिक निल-म्बन की तारीख से 6 माह के भीतर पूर्ण करली जाय ? यदि हां, तो 30 सितम्बर, 66 को निलम्बित अराजपत्रित व राजपत्रित कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ कितने विभागीय जांच के मामले चल रहे थे ? और उनको कितना कितना समय हो चुका था? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त कर्मचारियों व अधिका-रियों के खिलाफ चल रही जांच के लम्बे समय तक चलते रहने के कारण सरकार को उनकी तनख्वाह आदि पर कितना रुपया खर्च करना पड़ा ?

उप मंत्री, गृह (श्री खेतसिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सामग्री अभी तक एकत्रित नहीं हुई है, दो विभागाध्यक्षों से ताल्लुक रखता है यह प्रश्न, इसलिए इसमें समय लगेगा। मैं निवेदन करूंगा कि 15 मार्च के बाद में इसको रखें।

श्री अध्यक्ष: 15 अप्रेल।

श्री खेतसिंह: 15 मार्च।

श्री केशरीसिंह:-फर्स्ट अप्रेल को क्यों नहीं रख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: पोस्टपोन्ड।

श्री फतेहसिंह

मोहम्मद अली मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्यावर के अध्यापकों को वेतन आदि का भुगतान

392. **श्री फतेहसिंह:**-(ब्यावर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मोहम्मद अली मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ब्यावर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसके प्रधानाध्यापक महोदय अध्यापकों को कम वेतन व भत्ता देकर पूरे वेतन व भत्ते के पूर्ण भुगतान की रसीद देने के लिए दबाव डाला करते हैं।

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की चयन कमेटी ने तारीख 16 अगस्त, सन् 1966 को कुमारी फिरोजा कुरेशी का तृतीय श्रेणी की अध्यापिका की अस्थाई नियुक्ति के लिये चयन किया और उसने तारीख 21 अगस्त, 1967 से अपना कार्य भार संभाला ?

(3) क्या यह बात सही है कि माह अगस्त सन् 1967 की 11 दिन की तनख्वाह के केवल 19 रु० और कुछ पैसे देकर इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने कुमारी फिरोजा कुरेशी पर 48 रु० 87 पैसे प्राप्त करने की रसीद पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला लेकिन उसके ऐसा करने के इंकार पर उसे बिना नोटिस के सेवा से मुक्त कर दिया है और बार बार प्रार्थना करने पर भी उसे उसका बकाया वेतन भी नहीं दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) :

(1) इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी हां

(3) कुमारी फिरोजा कुरेशी द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था की संचालन समिति के अध्यक्ष ने जांच के दौरान अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उसे अवसर दिया था। किन्तु कुरेशी ने अध्यक्ष को न कोई स्पष्टीकरण ही दिया और न ही निर्धारित समय पर उपस्थित हुई। अतः उनकी इस अनुशासनहीनता के कारण उन्हें बिना नोटिस दिये ही सेवा मुक्त कर दिया गया। कुरेशी का वेतन सम्बन्धी कोई भुगतान बकाया नहीं है।

श्री फतेह सिंह: कुमारी फिरोजा कुरेशी सेवा से मुक्त कब की गई और क्यों की गई?

(विराम)

कब की गई सेवा से मुक्त ?

(विराम)

कौनसी तारीख से ?

श्री अध्यक्ष: कौनसी तारीख से ?

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : देख रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर: तारीख मेरे पास है.....

श्री मनोहरसिंह मेहता: आपने तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी।

एक माननीय सदस्य: तारीख नहीं है, कह दीजिये।

श्री फतेहसिंह: कुमारी फिरोजा कुरेशी को नोटिस 13-11-67 को दिया……

श्री शिवचरण माथुर: उत्तर दे रहा हूँ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसींद): जवाब दे रहे हैं। आप तसल्ली रखिये।

श्री फतेहसिंह: आप नजर करिये :

श्री गिरधारी लाल व्यास: कर रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर: 9-10-67।

श्री फतेहसिंह: यह क्यों किया गया ?

श्री शिवचरण माथुर: अभी बताया प्रश्न के उत्तर में।

श्री रघुनाथ विश्नोई: अनुशासनहीनता।

श्री फतेहसिंह: श्रीमान् इस पवित्र सदन में इस प्रकार का अपवित्र और गलत जवाब दिया जाता है, इसके प्रमाण मेरे पास हैं। क्या आप कह सकते हैं कि आपको एक शिक्षा मंत्री के तौर पर कुमारी फिरोजा कुरेशी ने कोई शिकायत नहीं भेजी थी ? आपको ? शिवचरण माथुर को ?

श्री शिवचरण माथुर: मेरे पास शिकायत भेजी होगी तो मैंने निश्चित रूप से सम्बन्धित अधिकारी को भेजी होगी और इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने जांच करके जो लिखा है उसके आधार पर मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री फतेहसिंह: भेजी होगी की बात नहीं है, श्रीमान, 5 अक्टूबर, 67 को कुमारी फिरोजा कुरेशी ने, अनिल बोर्डिया, अतिरिक्त, शिक्षा संचालक राजस्थान को एक प्रति भेजी और उसकी कापी श्री शिवचरण माथुर शिक्षा मंत्री जयपुर को भेजी। मेरे ख्याल से आप ही है। उसमें यह लिखा गया था, श्रीमान् कि 3 अक्टूबर, 67 को मोहम्मद अली मेमोरियल हायर सेकेन्डरी स्कूल का पे डे था टीचर्स का, उस दिन फिरोजा कुरेशी ने आरोप लगाया है, पत्र लिखा है शिक्षा संचालक को कि हैड मास्टर ने मुझे अकेले बुलाकर बजाय सेलेरी देने की बात के अपमानित किया। क्या यह शिकायत की ?

श्री शिवचरण माथुर: जो जानकारी मेरे पास है, उसके आधार पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुमारी फिरोजा कुरेशी ने वेतन लेने से इसलिए इन्कार किया क्योंकि उनको शक था कि हैड मास्टर, जो पैसे वह उसके भाई से मांगता था, उसमें से काटने की दृष्टि से एडजस्ट न कर लें। इसलिए वह नहीं लेना चाहती थी। उसके बाद हैड मास्टर ने मनीआर्डर के जरिये भेज दी। उसकी रसीद मौजूद है।

श्री फतेहसिंह: पेमेन्ट का सवाल …

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी, यह पेमेंट का प्रश्न है या कम्पेन्सेशन का प्रश्न हैं।

श्री शिवचरण माथुर: कम्पेन्सेशन का है नहीं।

श्री फतेहसिंह: उस पर इन्क्वारी हुई क्या ?

श्री शिवचरण माथुर: जो कुछ भी आरोप कुमारी कुरेशी के थे, उनके बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए वहां के अध्यक्ष ने उनको बुलाया था। उनके आदेश पर नहीं पहुंची, इसलिए बिना स्पष्टीकरण दिये हुए अनुशासनहीनता की दृष्टि से सेवा से अलग कर दिया गया। यह जानकारी मेरे पास उपलब्ध है। अगर आपके पास और जानकारी है तो मैं उस जानकारी के आधार पर जांच कराने को तैयार हूं।

मेजर श्री फतेहसिंह: श्रीमान् मोहम्मद अली मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक स्कूल की प्रबन्ध समिति के प्रेसिडेन्ट श्री यासीन तूर्र बहुत पुराने और वृद्धे कांग्रेसी व्यक्ति है और वे बाम्बे गवर्नमेंट में लोकल सेल्फ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने कुमारी फिरोजा कुरेशी को अकेले में बात करने के लिये बुलाया जिसके लिये उसकी मां ने और उसने इन्कार कर दिया और कहा कि मैं अकेली नहीं मिलूंगी, इस सम्बन्ध में अपने क्या किया ? राजस्थान शिक्षा संघ की ब्यावर शाखा ने आपको इस सम्बन्ध में लिख कर भेजा है, उसके सम्बन्ध में क्या आपने कोई जानकारी की है ?

श्री शिवचरण माथुर: मैंने जो जानकारी मेरे पास है वह निवेदन किया, अगर माननीय सदस्य इसे अपूर्ण समझते हैं तो मैं पूर्ण जानकारी कर के सदन के समक्ष रख सकता हूं।

मेजर श्री फतेहसिंह: श्रीमान् यह ब्यावर की समस्या है, कहीं की समस्या हो, यह सवाल शिक्षक संघ में उठ चुका है, शिक्षक संघ के मंत्री ने आपको और शिक्षा संचालक को लिखा है। आप कहते हैं आपको जानकारी नहीं है, अकेले में मिलने की बात है। आप क्या उस स्कूल के प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? आप दो तीन में ब्यावर पधार रहे हैं, क्या आप उन लोगों से मिलेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर: हां, आप उनको जरूर बुलाइये, मैं जरूर मिलूंगा मेरी ओर से कभी मुझे जब इस प्रकार के पत्र मिलते हैं तो मैं उन्हें सम्बन्धित अधिकारियों के पास जानकारी के लिये भेजता हूं, हां यह हो सकता है कि जानकारी में समय लग सकता है। आपने तथ्य दिये हैं, आपकी जानकारी के आधार पर मेरे द्वारा दिये गये तथ्यों को अपूर्ण मानते हैं तो मैं रेगुलर एन्क्वायरी करा कर पूर्ण तथ्य, सदन के समक्ष रखने को तैयार हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): मंत्रीजी से मैं एक प्रश्न पूछता हूं। क्या यह सही है कि ब्यावर शिक्षक संघ ने आपको कोई पत्र इस सम्बन्ध में लिखा है ?

श्री शिवचरण माथुर: संभव है लिखा हो।

मेजर श्री फतेहसिंह: संभव नहीं, पत्र आपको शिक्षक संघ ने लिखा है मेरे पास इसकी प्रतिलिपि है।

श्री शिवचरण माथुर: मैं उससे इन्कार नहीं करता। मैंने निवेदन किया कि इस प्रकार की शिकायतें मेरे पास आती हैं तो मैं उनको सम्बन्धित अधिकारी के पास जानकारी के लिए भेजता हूं और अगर जवाब आने में देरी होती है तो रिमाइन्डर भी करते हैं। हो सकता है कि एन्क्वायरी करने में समय लग सकता है। मैंने जो तथ्य रखे हैं, मैं स्वयं पूर्ण नहीं मानता, आप और तथ्य मुझे दे दें, मैं कल जा रहा हूं, मैं पूरी जानकारी...

मेजर श्री फतेहसिंह : आपने किससे जानकारी की है ?

श्री शिवचरण माथुर : इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स से ।

श्री अध्यक्ष : इस स्पेसिफिक एलीगेशन पर इन्सपेक्टर ने जानकारी की है ! तनख्वाह का प्रश्न हटा दीजिये, लेकिन तनख्वाह के अलावा एलीगेशन दिया है, एनएटेम्प्ट फोर समथिंग अदरवाइज, इसकी जानकारी की है !

श्री शिवचरण माथुर : इसकी जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी कर लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट ।

मेजर श्री फतेहसिंह: क्या किसी को सेवा से पृथक् करने से पहले नियमानुसार शिक्षा विभाग की अनुमति लेना आवश्यक है, क्या इसमें शिक्षा विभाग की अनुमति ली गई है ?

श्री शिवचरण माथुर : यदि कोई अध्यापक एग्रीव्ड है तो वह अपील कर सकता है, सेकिन्ड अपील गवर्नमेंट के पास कर सकता है। यदि कुमारी कुरेशी को शिकायत है तो वे अपील कर सकती है। अपील में सारी बात की जानकारी कर के ही निर्णय दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

मेजर श्री फतेहसिंह : आनली वन क्विश्चन । मेरे प्रश्न को आपने टाल दिया है । मेरा प्रश्न यह था कि जिस राज्य कर्मचारी को सेवा से मुक्त किया जाता है, उसको सेवा से मुक्त करने से पहले क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग की अनुमति लेनी पड़ती है ?

श्री शिवचरण माथुर : यह आवश्यक नहीं है । यह अपील कर सकता है ।

मेजर श्री फतेहसिंह : शिक्षा विभाग के डायरेक्टर की अनुमति लेना आवश्यक है कि नहीं ?

श्री शिवचरण माथुर : आवश्यक नहीं है । अपील कर सकता है ।

श्री अध्यक्ष ; नेक्स्ट ।

अनूपगढ़ तहसील के ग्रामों के पशुपालकों के लिये सघन विकास योजना

393. **श्री शीशराम** (सादुलपुर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने बीकानेर जिले की लूणकरणसर एवं गंगानगर जिले की अनूपगढ़ तहसील के बारानी गांवों के पशुपालकों की आर्थिक हालत में सुधार हेतु करीब सवा करोड़ की धनराशि की एक सघन विकास योजना चौथी योजना काल के लिये स्वीकृत की है ?

अगर हां, तो इसको कार्यान्वित करने में बिलम्ब क्यों हो रहा है ।

उपमंत्री पशुपालन (राव श्री हरिसिंह): जी नहीं । यह योजना केवल बीकानेर जिले की लूणकरणसर,— ....

एक माननीय सदस्य : बिलकुल सुनाई नहीं दे रहा है — ~ ....

श्री अध्यक्ष : आप महरबानी कर के थोड़ी आवाज शरीर के अनुपात से ऊंची करें, मुझको भी सुनाई नहीं देता है ।

राव श्री हरिसिंह : जी नहीं। यह योजना केवल बीकानेर जिले की लूणकरणसर, बीकानेर एवं कोलायत तहसीलों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा 1.20 करोड़ की धनराशि से चतुर्थ योजना काल के लिये स्वीकृत की गई है। इसमें गंगानगर जिले की किसी भी तहसील को नहीं लिया गया है।

यह योजना अक्टूबर 67 में प्रारम्भ कर दी गई है, विलम्ब करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या 394

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मूलचन्द डागा।

पाली जिले के स्टाम्प वेन्डर्स

394. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले में जो स्टाम्प वेन्डर्स हैं, उनको स्टाम्प किन शर्तों पर बेचने दिया जाता है और उनको जयपुर, बीकानेर व उदयपुर में राज्य सरकार जिस आधार पर रख रही है, उनको भी क्यों नहीं रखा जाता ?

(2) क्या यह सत्य है कि उदयपुर में स्टाम्प वेण्डरों को तनख्वाह दी जाती है ? यदि दी जाती है, तो कितनी और किस आधार पर ?

(3) क्या यह सत्य है कि जोधपुर डिवीजन के स्टाम्प वेण्डरों को तनख्वाह नहीं देने से वे आजकल महंगाई के समय में जीवन निर्वाह करने में असमर्थ हैं ? यदि हाँ, तो सरकार उनके साथ इस प्रकार का भिन्न व्यवहार क्यों करती है ?

श्री मूलचन्द डागा:–यह प्रश्न वित्त मंत्री से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: पोस्ट पोण्ड।

श्री गोधरन सोनी।

श्री विजयसिंह रावत: प्रश्न संख्या 395।

कुचामन सिटी के उपभोक्ताओं में बिजली की बकाया रकम

395. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) : [श्री विजय रावत (नसीराबाद) द्वारा पूछा गया] : क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(1) कुचामन सिटी में दिनांक 8 जून 66 को कितने उपभोक्ताओं में बिजली की मासिक बिलों की रकम बाकी थी।

(2) दिनांक 9 जून, 67 को इनमें से कितने उपभोक्ताओं की बिजली की लाइनें डिस्कनेक्ट कर दी गई और जिनको डिस्कनेक्ट नहीं की गई, उसका कारण क्या था ?

(3) ऐसी सूची भी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें जिनमें एक दो महीने की बाकी होने पर लाइन डिस्कनेक्ट की गई है ? एवं दो महीने से अधिक की बाकी होते रहने पर तत्काल डिस्कनेक्ट नहीं की गई है ? अलग अलग माप दण्ड रखने के क्या कारण हैं ?

(श्री विजय सिंह रावत)

(4) 9 जून, 67 को जिन जिन उपभोक्ताओं की लाइनें डिस्कनेक्ट की गई, उन्हें व्यक्तिगत या सामूहिक नोटिस द्वारा ऐसा करने के लिए सूचित किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या कुचामन सिटी में मासिक बिलों के पैसे जमा करवाने की उचित व्यवस्था नहीं है ? और क्या यह भी सच है कि इस की वर्षों से उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत की जा रही है ? एवं क्या उचित व्यवस्था के अभाव में लाइन डिस्कनेक्ट करना उचित है ?

(6) क्या लाइन डिस्कनेक्ट करते समय अगर उपभोक्ता अपने बकाया बिल की रकम प्रस्तुत करें तो लाइन कट करना उचित है ?

(7) राजस्थान में एक या दो महीने के मासिक बिलों की बकाया होने पर सामूहिक रूप से किन किन स्थानों पर लाइन डिस्कनेक्ट करने का कदम उठाया गया है ? उस की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। एवं जिन जिन स्थानों पर ऐसा नहीं किया गया है उसके क्या कारण हैं।

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :
(1) 182 उपभोक्ताओं में रकम बाकी थी।

(2) 147 की लाइन डिस्कनेक्ट कर दी गई। बाकी में से 14 की लाइनें पहले से ही डिस्कनेक्ट थीं और 21 उपभोक्ताओं में केवल न्यूनतम निर्धारित रकम या उससे कम बाकी थी तथा उनको केवल व्यक्तिगत चेतावनी दे दी गई।

(3) जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, माह जून में इन सब उपभोक्ताओं का विद्युत सम्बन्ध विच्छेद कर दिया गया था जिनके खिलाफ न्यूनतम से अधिक द्रव्य बाकी था अतः मापदण्ड अलग नहीं रहा है। सूची संलग्न है।

(4) जी हां।

(5) उचित व्यवस्था है।

(6) बिल का पैसा केवल केशियर ले सकता है दूसरा कर्मचारी नहीं। अस्तु, लाइन काटते समय बिलों के पैसे लेने और डिस्कनेक्ट न करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(7) उपभोक्ताओं का सामूहिकरूप से विद्युत विच्छेद करना कोई सामूहिक कार्यवाही नही है जो उपभोक्ता बिलों के पैसे नहीं देता है उसके विरुद्ध राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की कन्डीशन ऑफ सप्लाई के मातहत डिस्कनेक्ट करने की कार्यवाही समस्त राजस्थान में की जाती है। समस्त राजस्थान की सूचना सम्पूर्ण तौर पर एकत्रित नहीं की जा सकी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सही है कि 182 में ऐसे भी आदमी थे, जिनकी रकमें दो दो महीने की थीं ?

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट उत्तर दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सही हैं उपाध्यक्ष महोदय, सॉरी अध्यक्ष महोदय,

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह बैलेंस लूज कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सही है कि बिना नोटिस सर्व किये कनेक्शन्स काट दिये हैं······

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरा जवाब ध्यान से सुना नहीं। मैंने निवेदन किया कि सब को नोटिस दिये गये हैं।

श्री विजयसिंह रावत : जितने कनेक्शन काटे हैं बिना नोटिस के काट दिये हैं, आपके विभाग की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिये गये हैं······

श्री अध्यक्ष: क्या यह सही है।

श्री विजयसिंह रावत: क्या यह सही है?

श्री हरदेव जोशी: अगर माननीय अध्यक्ष, आप आज्ञा दें तो मैं माननीय सदस्य से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या उनको बिल मिल गये थे जिनके कि कनेक्शन्स काटे गये है?

श्री विजयसिंह रावत: बिल मिल गये थे या नहीं, यह प्रश्न तो बाद में उठता है···

श्री अध्यक्ष: यह दोनों ही कर दीजिये, आप भी कह दीजिये आप भी कह दीजिये।

श्री विजयसिंह रावत: बिल मिले या नहीं, यह प्रश्न बाद में उठता है······

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): बिल के पिछले हिस्से में नोटिस लगा होता है कि इतने दिन के अन्दर अन्दर जमा करा दिया जाय वरना कनेक्शन काट दिया जायगा। क्या इसके अलावा दूसरे भी नोटिस देते हैं या नहीं?

श्री हरिदेव जोशी: वही नोटिस पर्याप्त है।

श्री अध्यक्ष: आभार मानना चाहिये। नेक्स्ट।

श्री मदन सिंह (दांता रामगढ़): ऐसी बात है बिल तो दस दस महीने बाद पहुंचे हैं, तो क्या वह नोटिस माना जाय? मेरे पास डेढ़ साल बाद में बिल पहुंचा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 397।

श्री लादूराम सुलानियां: अध्यक्ष महोदय, मैं यहां बैठा हूं। मेरे प्रश्न 396 का उत्तर दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष: यस। उसको बाद में ले लेंगे।

जयपुर से झोटवाड़ा के लिए बसों की व्यवस्था

396. **श्री लादूराम सुलानियां** (फागी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चांदपोल व रेल्वे स्टेशन जयपुर से झोटवाड़ा तक बसों की कोई व्यवस्था है? यदि है तो कितनी बसें किस किस समय चलती हैं?

(2) क्या यह सही है कि इन बस स्टेशनों पर बसों के चलने का टाइम टेबल लगा हुआ नहीं होने के कारण यात्रियों को कठिनाई होती है?

(3) क्या यह सही है कि इन बसों में शिकायत पुस्तकें भी नहीं रखी जाती हैं? और क्या कभी किसी अधिकारी ने इस सम्बन्धी कोई जांच की है? यदि हां तो कब?

(4) क्या इस रूट पर और अधिक बसें चलाने का सरकार का विचार है?

यातायात मंत्री (श्री अमृतलाल यादव): (1) वर्तमान में केवल चांदपोल से झोटवाड़ा तक एक ही बस चल रही है। रेल्वे स्टेशन जयपुर से झोटवाड़ा तक बस चलने की कोई व्यवस्था नहीं है।

Page No.23

(श्री अमृत लाल यादव)

(2) बस स्टेशन पर बसों के टाइम-टेबिल लगने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है और बस के अन्दर टाइम टेबिल लगाने का प्रावधान है जिसके अनुकूल टाइम टेबिल बसों में लगा हुआ है। यात्रियों को असुविधा होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) यह सही नहीं है। जो बस इस मार्ग पर चलती है उसके साथ शिकायत पुस्तिका रखी हुई है और इस शिकायत पुस्तिका का परिवहन निरीक्षक द्वारा समय समय पर निरीक्षण होता रहा है और पिछला निरीक्षण 16-12-67 को हुआ है।

(4) अभी तारीख 24-1-68 को प्रादेशिक परिवहन अधिकरण ने अपनी बैठक में दीं अस्थाई अनुमति-पत्र चार माह के लिये स्वीकृत किये हैं। स्थाई परमिटों के लिये प्राप्त आवेदन-पत्र अभी प्रादेशिक परिवहन अधिकरण के विचाराधीन है।

श्री लादूराम सुलानियां : क्या यह सूचना पट्ट लगाने का कानूनी प्रावधान नहीं हैं, ऐसा आपने फरमाया है, तो कई जगह जो यह समय सारणी लगी हुई है वह क्यों लगी हुई है ?

श्री अमृतलाल यादव : वह तो बसों में लगा हुआ रहता है।

श्री लादूराम सुलानियां : तो क्या ये ठेले हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : आप बस स्टेशन्स के लिए कह रहे हैं बस स्टेशन्स पर समय सारणी लगाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

श्री लादूराम सुलानियां : मंत्रीजी की जानकारी के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां भी बस स्टोप होते है सिटी बसेज के लिए वहां टाइमटेबिल लगा रहता है और कहां से कहां तक वह बस जाती है कानून में ऐसा समय सारणी लगाने का प्रावधान है और रखना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बस स्टेंड्स पर ?

श्री लादूराम सुलानियां : जी हां।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार आवश्यक नहीं समझती कि जिन रूट्स पर कई सर्विसेज चलती हों वहां समय सारणी लगाई जाय ? क्या सरकार नियमों में ऐसा प्रावधान करेगी ?

श्री अमृतलाल यादव : नियमों में बिना प्रावधान के भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (मलूर): नियम नहीं है तो आप कार्यवाही नहीं कर सकते। नियमों में प्रावधान होगा तो आप उनको बाध्य कर सकेंगे।

श्री अमृत लाल यादव : समय सारणी बस स्टेशनों पर लगे, हमें इसके लिए आपत्ति नहीं हो सकती, नियमों में प्रावधान की यदि जरूरत होगी तो इसको देख लेंगे।

श्री लादूराम सुलानियां : क्या जनता की सुविधा के लिए आप इसको मद्देनजर रखते हुए लगवाने की व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री लादूराम सुलानियां : मुझे अभी और भी पूछना है। एक तो इस रूट पर बसें चलती नहीं हैं और चलती हैं तो एक महीने में दो तीन दिन। 10 बजे से पहले नहीं चलती और 4 बजे के बाद नहीं चलती। कभी कमल कंपनी की बस जाती है, आप कहते हैं कि आवश्यकता नहीं है।

(श्री लादूराम सुलानियां)

झोटवाड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र है, जयपुर से 5 मील है और यहां पर आवागमन के वोल्यूम को मद्देनजर रखते हुए मंत्री महोदय विचार करेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव : 4 अस्थाई परमिट्स दिए हैं और बसें चल रही हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : मंत्री महोदय ने कहा है कि हमारे पास जनता की शिकायतें नहीं है। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहां विकास समिति है, रजिस्टर्ड है गवर्नमेन्ट से और पत्र संख्या 300 व 460 जो भेजे गए हैं उसमें उसने शिकायतें पेश की हैं और उत्तर नहीं आया और जांच की है किसी इन्सपेक्टर ने।

श्री अध्यक्ष : (मंत्री महोदय से) आप देखलें शिकायतों को।

श्री लादूराम सुलानिया : यह तो रोजाना का काम है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

कोटा डिवीजन के स्कूल

397. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा डिवीजन के अलग अलग जिलों में कितने कितने हाईस्कूल, हायर सेकेन्डरी स्कूल व मिडिल स्कूल हैं और किन किन स्थानों पर चलाये जा रहे हैं ?

(2) उपरोक्त स्कूलों में से कौन कौन से स्थानों के स्कूल ऐसे हैं जिनको जनता द्वारा मकान व मास्टरों का खर्चा भुगताने पर चालू किया गया था और उसमें से कितने अब तक भी यह खर्चा दे रहे हैं ? इनसे अलग अलग कितना खर्चा वसूल किया गया ?

(3) कोटा, बूंदी व झालावाड़ जिलों में गत आम चुनावों के साल या चुनाव के समय किन किन स्थानों पर मिडिल या हाईस्कूल चालू किए गए थे ? कृपया मय नाम गांव बताने का कष्ट करें।

(4) राजस्थान में उपरोक्त साल में कितने हाई स्कूल व मिडिल स्कूल खोले गए और किस किस जिले में कितने कितने ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर):

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जो शालायें खर्चे की शर्त पर चालू की गई थी उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जहां तक भवन का संबंध है वहां की जनता को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त भवन की व्यवस्था करनी पड़ती है।

(3) व (4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जुझारसिंह : आपने सूची के लिए फरमाया वह सूची तो नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : आपने स्कूलों के लिए प्रश्न पूछा था वे जुलाई और अगस्त 1966 में खोले गये जबकि चुनाव 1967 में हुआ था।

श्री जुझारसिंह : स्कूल खोलने के लिए आपकी क्राईटेरिया क्या होती है । किसी जिले में तो 13 हायर सेकेन्डरी खुले हैं और किसी जगह 2 ही ।

श्री शिवचरण माथुर : मैं समझा नहीं ।

श्री जुझार सिंह : मिडिल स्कूल को हायर सेकेन्डरी स्कूल्स में कन्वर्ट करने के लिये क्राइटेरिया क्या होती है, पाप्यूलेशन या लड़कों की संख्या ?

श्री शिवचरण माथुर : छात्रों की संख्या, भवन की उपलब्धि और आस पास में कितने मिडिल स्कूल्स हैं........

श्री अध्यक्ष : और जनता का सहयोग ।

श्री जुझारसिंह : मैं इस सूची को पढ़ नहीं सका लेकिन झूंझनू में 13 हायर सेकेन्डरी स्कूल्स में अपग्रेड किए गए हैं और कोटा जो झुंझनू से बड़ा जिला है वहां दो तीन हायर सेकेन्डरी स्कूल्स में अपग्रेड किया गया है। इस तरह से नागौर में 11, झालावाड़ में 1, डूंगरपुर में 6 कर दिये जो झालावाड़ से छोटा है । यह डिस्पेरिटी है। तो यह प्रोयरटी किस तरह से फिक्स करते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : डिस्पेरिटी का प्रश्न नहीं हैं। क्राइटेरिया के आधार पर खोलते हैं । जैसा मैंने निवेदन किया आसपास मे स्कूल्स की संख्या, छात्रों की संख्या, भवन की उपलब्धि और जन सहयोग ।

श्री जुझारसिंह : इसे मंत्री महोदय इग्जैमिन कर लें क्योंकि मुझे संतोष नहीं हुआ आपके जवाब से । हमारे जिले में लड़कों की संख्या भी है, मांग भी है, मकान भी हैं, और उसके बावजूद भी मैं नहीं मानता कि कोटा में स्कूलों की गुंजाइश नहीं थी और झुंझुनू और नवलगढ़ में 7 मिडिल स्कूल्स को हायर सेकेन्डरी में अपग्रेड किया गया। क्या यह वाजिब है या पार्शियेलिटी के आधार पर खोले गए हैं ?

श्री शिवनाथसिंह : झुंझुनू के लिए जानकारी देना चाहता हूं कि हायर सेकेन्डरी स्कूल के लिए 30 हजार रुपया......

श्री शिवचरण माथुर : यदि आप महसूस करते हैं कि कहीं डिस्पैरिटी है तो मुझे बतादें मैं जांच कर लूंगा ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): आपके पास जानकारी नहीं हो सकती, जवाब नहीं दे सकते । एक एक मील पर हाई स्कूल और हायर सेकेन्डरी स्कूल्स खोले गए हैं और एक एक तहसील में । आपका क्राइटेरिया यही हैं

श्री जुझार सिंह : बहुत सी जगहों पर तो सरकार की तरफ से हाई स्कूल्स व मिडिल स्कूल्स खोले हैं और बहुत से स्थानों पर जनता से पैसे लिए हैं, यह भेदभाव क्यों बरता गया ?

श्री शिवचरण माथुर : यह भी संभव हो सकता है लेकिन ऐसी स्थिति हो कि किसी जगह जहां पूरी तरह से सरकार खोलती है ....

श्री जुझार सिंह : शाहबाद सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है, यहां स्कूल्स ......

श्री शिवचरण माथुर : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष (मंत्री महोदय से) : आप शाहबाद के प्रश्न को देख लें ।

श्री जुझारसिंह : मैं उदाहरण बता रहा हूं । शाहबाद पिछड़ा हुआ एरिया है । वहां 20 हजार रुपये वसूल किए हैं जनता से और बहुत सी जगह सरकार ने बनाए ।

(श्री कुमारसिंह)

शाहबाद से पसे लिए और दूसरी जगहों को माफ किया।

श्री शिवचरण माथुर : वसूली वाली बात कोई नहीं। जन सहयोग होता है, वे अपने आप देते है और स्वतः ही स्कूल्स खुलवाने की बात सरकार से कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गोयल।

काटन जिनिंग फैक्टरी, मंडावर की बकाया रकम

398. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधो पुर के मंडावर कस्बे में स्थित सरकारी काटन जिनिंग फैक्ट्री लगभग 10 वर्ष से बन्द पड़ी है ? अगर हां तो क्यों ?

(2) उक्त फैक्ट्री का रुपया किन किन व्यक्तियों में कितना कितना कब से बाकी है इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही हैं कि फैक्ट्री से संलग्न मकानों में कई व्यक्ति किराए से रह रहे हैं ? अगर हां तो कौन कौन कब कब से रह रहे हैं ?

(4) उक्त व्यक्तियों में किराये का कितना कितना रुपया बकाया हैं व कितना वसूल किया है ?

उपमंत्री उद्योग (श्री भीमसेन): (1) जी हां। जिस पार्टी को यह फैक्ट्री लीज पर दी हुई थी उसने कुछ समय चलाकर बंद कर दिया और मार्च, 1956 से यह फैक्ट्री राज्य सरकार ने फिर अपने अधिकार में ले ली। उसके बाद कई बार इसको बेचने के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए मगर पहले तो टेंडर प्राप्त नहीं हुए फिर सन् 1958 में इस फैक्ट्री को मकान व जमीन सहित 1,40,000 रु० में बेचने का निर्णय किया गया मगर जिस पार्टी को बेचा गया उसने लेने से इन्कार कर दिया और अंत में जनवरी, 1967 में फैक्ट्री की मशीनरी और पुर्जों को 54,151 रु० में नीलाम कर दिया गया। इस प्रकार यह फैक्ट्री बंद पड़ी रही।

(2) मेसर्स दादू ब्रादर्स में 21,865. 06 रु० सन् 1956 में बकाया है। इसकी वसूली की कार्यवाही पी० डी० आर० के अन्तर्गत जिलाधीश, जयपुर के द्वारा जिलाधीश मेरठ के यहां चल रही है।

(3) जी हां, सूची संलग्न है।

(4) बकाय रकम की जानकारी प्रश्न तीन के उत्तर में दी गई सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जिस व्यक्ति ने प्रारंभ में फैक्ट्री की एक लाख की बोली नीलाम में लगाई और जिसने खरीदने से मना ही कर दी, सरकार ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): कोई कार्यवाही की हो, ऐसा मुझे उपलब्ध सामग्री के आधार पर मालूम नहीं पड़ता है लेकिन मुझे ऐसा लगता हैं कि फैक्ट्री की कन्डीशन खराब है इसलिए लेने वाले झिझकते हैं लेकिन जो सूचना मुझे मिली है इसलिए प्रयत्न करूंगा कि अगर किन्हीं लोगों में बकाया है तो जल्दी से जल्दी वसूल की जाय और डिफाल्टर्स के विरुद्ध कार्यवाही की जायें। अगर इसमें डिफाल्टर है तो कोई ऐक्शन लिया जायगा।

(12 मध्यान्ह)

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कह रहा हूं, उन्होंने कहा है कि अभी जानकारी मिली है तो मैं निवेदन करूंगा जब से फेक्ट्री बन्द है, उसके माल को बेचने तक के बीच में उसमें जो किरायेदार है, उनसे पैसा लेने के सम्बन्ध में, माल बेचने के सम्बन्ध में- कई प्रश्न हैं अगर माननीय मंत्री महोदय इस समय स्थिति में है तो प्रत्येक का उत्तर दीजिये वरना इसको पोस्टपोन कर दीजिये अध्यक्ष महोदय।

श्री हरिदेव जोशी : जो सूचना थी वह दे दी अध्यक्ष महोदय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आरम्भ में जब नीलाम किया गया था, उस समय क्या कोई सिक्योरिटी ली गई थी ?

श्री हरिदेव जोशी : पहले तो सिक्योरिटी वगैरह लेकर दे दी थी और जो सेल करने की बात हैं वह बैंक आउट हो गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सेल करने वाली ही बात है।

श्री हरिदेव जोशी : सेल की बात उससे पहले········

श्री दौलतराम सारण : (डूंगरगढ़): रकम एडवान्स जमा करा दी थी क्या ?

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल बाजार जयपुर): क्या यह सही है कि इसका आपने पब्लिक आक्सन करवाया था ?

श्री हरिदेव जोशी : तीन स्टेजेज हैं

श्री भैरोंसिंह : मैं इस सम्बन्ध में जानकारी करना चाहता हूं कि क्या इसका आपने पब्लिक आंक्शन करवाया था ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इसलिये कहते हैं कि इसके पोस्टपोन कर दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : बेचा गया है। आक्शन करना नहीं लिखा हुआ है। बेचने की दूसरी प्रक्रिया होती है और आंक्शन करने की प्रक्रिया दूसरी। इसलिये मैं निश्चित-रूप से नहीं कह सकता हूं कि यह आंक्शन किया गया है।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको स्थगित करता हूं। नेक्स्ट।

श्री रावतराम।

चूरू—नागौर बस मार्ग के परमिट।

399 **श्री रावतराम** (छापर-सु०) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू से नागौर वाया रतनगढ़ बीदासर—लालगढ़ बस मार्ग पर परमिट स्वीकृत करने हेतु आर० टी० ए० बीकानेर ने दिनांक 11 एवं 12 दिसम्बर, 67 की बैठक में मामला विचारार्थ रखा था ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 11 दिसम्बर, 67 को आर० टी० ए० ने परमिट मांगने वाले लोगों की बहस सुनी और यह घोषणा की कि दोनों पक्ष सहमति से टाइम टेबिल बनाकर कल पेश करदें ताकि परमिट स्वीकृत किये जा सकें।

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 12 दिसम्बर, 67 की बैठक में टाइम टेबिल पेश कर दिया गया परन्तु अचानक यह घोषणा कर दी गई कि इस मामले को मार्च, 68

[redacted]

(श्री रावतराम)

तक स्थगित कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है और क्या सरकार यह महसूस करती है कि इससे लोगों को व सरकार को नुकसान हुआ है ?

उपमंत्री यातायात: (श्री शिवचरण सिंह) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां यह सही है कि टाइमटेबल बैठक में पेश कर दिया गया था। मामले की सुनवाई नागौर–कातर मार्ग पर चलने वाले बस मालिकों के वकील के अनुरोध पर स्थगित किया गया था क्योंकि दूसरे पक्ष को समय सारणी की प्रति उसी दिन दी गई थी और उनको इस पर अपने मुवक्किलों की राय लेनी थी। ऐसा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया गया है।

श्री रावतराम (छापर) : अध्यक्ष महोदय, पता कुछ नहीं चला मंत्री महोदय ने क्या जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष : दो में जी हां। तीन में सब्जेक्ट है।

श्री दौलतराम सारण : तीनों में ही जी हां है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पहले में जी हां, दूसरे में जी हां और तीसरे में कह देते प्रश्न नहीं उठता।

श्री रावतराम : क्या यह सही है 11 व 12 दिसम्बर की कार्यवाही में इसको शामिल किया गया था ? और क्या यह भी सही है कि 12 दिसम्बर को पेश कर दिया था ताकि परमिट स्वीकृत किया जा सके।

श्री शिवचरणसिंह: बैठक में टाइम टेबल पेश कर दिया गया था लेकिन मामले की सुनवाई इसलिए नहीं हो सकी टाइम टेबिल उसी दिन दिया गया। बस मालिकों के वकील ने कहा कि इस पर मुवक्किलों की राय लेनी है अतः इसको अभी स्थगित रखा जाय।

श्री रावतराम: यह बात सही नहीं है उस दिन मीटींग में यूनानिमस यह तय किया गया था कि 12 दिसम्बर को इस रूट पर परमिट इश्यू कर दिया जायगा। फिर दोनों पार्टियों को यह कहा गया कि टाइम टेबल बनाकर पेश कर दें। पता नहीं फिर कौनसा कारण आया, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इस केस में जरूर कोई गोलमाल है। इस बात की जानकारी मंत्री महोदय द्वारा दी जाने चाहिये। आगे किसी तारीख में रख दें, इसकी जानकारी देने के लिये।

श्री शिवचरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक पार्टी ने श्री बंशी लाल ने टाइम टेबल पेश किया था। दूसरी पार्टी श्री जग गोपाल के एडवोकेट ने प्रार्थना की इसको 19 दिसम्बर तक के लिये स्थगित किया जाय, क्योंकि उनको अपने मुवक्किलों से राय लेनी थी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री फूलचन्द बाफना।

पाली जिले के अध्यापकों की वरिष्ठता सूची

400. **श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर)** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

Page No.29

(श्री फूलचन्द बाफना)

(1) क्या यह सही है कि द्वितीय एवं तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों की वरिष्ठता सूचियां (पंचायत समितियों एवं शिक्षा विभाग की सम्मिलित) जिलेवार बनाई गई थी उसी क्रम में पाली जिले की सूचियां भी बनी थीं (सन् 1963 में) और उन सूचियों के क्रमानुसार अध्यापकों की पदोन्नति करना निश्चित हुआ था और उस निर्णयानुसार पदोन्नतियां हुई भी थी परन्तु क्या यह सही है कि पंचायत समितियों के अध्यापकों को छोड़ के शिक्षा विभाग के अध्यापकों को ही ये पदोन्नतियां दी गयी थीं.?

(2) वरिष्ठता सूचियों के क्रमानुसार पंचायत समितियों के अध्यापकों को ये पदोन्नतियां बिलकुल क्यों नहीं दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि पाली जिले के अलावा अन्य जिलों में ऐसी वरिष्ठता सूचियों के क्रमानुसार पदोन्नति की गई थी ? यदि हां, तो पाली जिले में पंचायत समितियों के अध्यापकों को इस पदोन्नति से वंचित क्यों रखा गया ?

(4) वरिष्ठता सूचियों के क्रमानुसार पाली जिले के जिन अध्यापकों को पदोन्नति से वंचित रखा गया है उनके नाम क्या हैं ? और उन्हें यह अवसर कब प्रदान किया जायगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर): (1) हां यह सही है कि द्वितीय एवं तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों की वरिष्ठता सूचियां तैयार की गई। द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों की वरिष्ठता सूचियां अपर निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के कार्यालय द्वारा तैयार की गई तथा तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों की जिसमें विभाग तथा पंचायत समिति के अध्यापक भी शामिल हैं जिलेवार जिला स्थित विद्यालय निरीक्षक के द्वारा तैयार की गई थी। सम्पूर्ण तथा जिलेवार सूचियां मार्च, अप्रेल 1967 के पश्चात प्रकाशित की गई थी। तत् पश्चात किसी को भी द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नत नहीं किया गया। इसके पूर्व जो भी पदोन्नतियां दी गई थीं वे केवल अस्थायी तौर पर थीं और विषय विशेष अध्यापकों के अथवा अस्थायी प्रबन्ध हेतु की गई थीं। पदोन्नतियां केवल प्रशिक्षित स्नातकों को ही दी गई थीं।

(2) वरिष्ठता सूचियां प्रकाशित होने के बाद किसी भी प्रकार के अध्यापकों को द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नत नहीं किया गया।

(3) उप निदेशक, जोधपुर के अधीन 8 जिले हैं। प्रत्येक जिले की अलग अलग जिलेवार सूचियां बनाई गई हैं। इन वरिष्ठता सूचियों से मण्डल स्तर वरिष्ठता सूची तैयार की गई है। इस वरिष्ठता सूची में विभागीय तथा पंचायत और पंचायत समिति में काम करने वाले अध्यापक भी शामिल हैं। जब द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नति के आदेश नियमानुसार प्रसारित किये जावेंगे तब पंचायत समिति के अध्यापक भी इससे लाभान्वित होंगे।

(4) जिलेवार वरिष्ठता सूचियां प्रकाशित करने के बाद चूंकि कोई पदोन्नति नहीं दी गई है अतः पंचायत समिति के शालाओं में कार्यरत अध्यापकों को पदोन्नति से वंचित रहने का प्रश्न नहीं उठता।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री चुन्नीलाल !

रोशनी की व्यवस्था

401. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सवाई माधोपुर में कस्बा चौथ के बरवाड़े में विद्युत् विभाग द्वारा बिजली कब दी गई ?

(2) उक्त कस्बे में कुल सार्वजनिक उपयोग हेतु कितनी बत्तियां लगाई गई ?

(3) क्या राज्य सरकार को मालूम है कि इस कस्बे के वार्ड नं० 10 में केवल हरिजन बस्ती है और इस वार्ड में रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं की गई ?

(4) यदि ऐसा है तो यह भेदभाव क्यों किया गया है और अब इस वार्ड में विद्युत् व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

उपमंत्री, विद्युत् (श्री भीमसेन): (1) 17-7-1965 को।

(2) 77 बत्तियां।

(3) जी हां।

(4) इस ग्राम का विद्युतीकरण करते समय बजट के अनुसार पहले उन सड़कों एवं मोहल्लों में लाईन खेंची गई जहां पर अधिक से अधिक जनता को लाभ हो और ज्यादा उपभोक्ताओं को बिजली मिल सके तथा आगे के मोहल्लों में लाइन खेंचने की सुविधा हो।

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, ग्राम चौथ का बरवाड़ा में वार्ड नं० 10 में जो हरिजनों की बस्ती है उसमें बिजली की लाइन नहीं डाली गई है। यह भेद-भाव क्यों है हरिजनों के साथ ? आप लोग कहते हैं कि हम हरिजनों को आगे लेकर चलते हैं, इसका कारण क्या है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : मैंने अपने उत्तर में निवेदन किया है कि बजट प्रावधान के अनुसार लाइनें खींची गई हैं। अब एक वार्ड बिलकुल अलग आगया है उसकी सिचुएशन क्या है— यह तो मैं देख कर ही बता सकूंगा।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : ये हरिजनों के वार्ड जहां आते हैं वहां इनका बजट खत्म हो जाता है। यही हालत सब जगह की है। जब हरिजनों का सवाल आता है............

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता ! प्रश्न कर्ता !!

श्री चुन्नीलाल : क्या यह सही है कि हरिजनों के वार्ड के लिये गवर्नमेंट के पास कोई बजट नहीं है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह कहना सही नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : इससे सही हो जाता है न।

श्री चुन्नीलाल : वार्ड नं० 10 जो हरिजनों की बस्ती है उसको एकान्त में डाल रखा है, उसके लिये गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है। इसका क्या कारण है ?

श्री हरिदेव जोशी : वार्ड बिल्कुल अलग आ गया है। उसकी सिचुऐशन क्या होगी यह तो देखने से पता लगेगा। अब रहा सवाल वहीं लाइट नहीं है वहां भी हम लाइट लगाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन यह सब स्थिति तो, अध्यक्ष महोदय, देखने से पता लग सकती है।

श्री चुन्नीलाल : जब तक हरिजन बस्ती में लाइट नहीं आती है तब तक सारे शहर में बत्तियां बन्द रखने का ऑर्डर आप देंगे ?

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है..............

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हरलाल सिंह खर्रा !

श्री विजय सिंह रावत : क्या यह सही हैं............

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य का माननीय मंत्री महोदय से उत्तर दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न बिजली लगाने का है, अब उसको देखेंगे मंत्री महोदय।

श्री हरिदेव जोशी : यह एक अलग से प्रश्न है। बोर्ड यह जरूर देखता है कि जहां पर ज्यादा आमदनी हो सकती है तो उसको वह प्रायोरिटि देता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या यह है कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अन्दर ऐसे नियम हैं कि जिस क्षेत्र के अन्दर हरिजन हो, उसको छोड़ दिया जाय। यह कठिनाई सब जगह आती है। प्राथमिकता के आधार पर उनको भी दी जाय, अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आमदनी के अनुसार नहीं रखना चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : यह हो तो बहुत अच्छी बात है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप रूल बतला दीजिये।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरा एक प्रश्न है......

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न पहले से मेरे सामने है उसका तसफिया हो जाय तो ठीक है।

प्रश्न संख्या 402

श्री हरलाल सिंह खर्रा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 403

श्री दीपचन्द छंगाणी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री सहदेव शर्मा !

श्री लादूराम सुलानियां : हरिजनों की जमीन खा गये बत्तियें भी खा गये क्या ?

श्री अध्यक्ष : बत्तियां कोई खाने की चीज थोड़े ही हैं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : हरिजनों की जमीन खागये तो बत्तियां खाना क्या बड़ी बात है ?

श्री अध्यक्ष : यह अतीत का प्रश्न आगया ।

श्री सहदेव !

भाखरोटा से बगरू विद्युत लाइन पर कार्य

404. श्री सहदेव शर्मा (आमेर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर जिले में भाखरोटा से बगरू विद्युत् लाइन का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ! यदि हां, तो कब आरम्भ हुआ था और कब पूरा हुआ और उस पर इस अवधि में कितने कनेक्शन दिये गये ?

(2) क्या राज्य सरकार को यह भी जानकारी है कि किसानों ने बिजली मिल जाने की प्रतीक्षा में अपने कुओं पर काफी रुपया व्यय कर दिया है ?

(3) इस लाइन पर जिन जिन व्यक्तियों को कनेक्शन दे दिये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां । के. बी. भाखरोटा— बगरू लाइन का कार्य माह फरवरी, 1967 से प्रारम्भ किया गया था । लाइन का कार्य मार्च, 1967 में समाप्त हो गया था किन्तु गांवों में सब-स्टेशन लगाने का कार्य अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है । इस अवधि में कुल 12 कनेक्शन दिये गये ।

(2) अभी तक केवल देहमी कलां के दो प्रार्थियों ने पंप सेट लगाने की रिपोर्ट दी है ।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री सहदेव शर्मा : क्या यह सही है कि 15 फरवरी, 1967 तक यह कार्य पूरा हो चुका था, वहां बिजली लगा दी गई थी ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा कि लगा दी गई थी ?

श्री सहदेव : यह कार्य 15 मार्च को पूरा हुआ यानि चतुर्थ आम चुनाव के दो दिन पहले हो चुका था ।

श्री हरिदेव जोशी : जी हां ।

श्री सहदेव शर्मा : इससे यह प्रतीत नहीं होता है कि यह राजनैतिक लाभ अर्जित करने की दृष्टि से किया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपकी इस बात पर सख्त ऐतराज करता हूं । मार्च, 1967 तो खत्म हो गया था ।

श्री सहदेव शर्मा : यह तो आपके उत्तर से स्पष्ट है कि राजनैतिक लाभ अर्जित करने के लिए यह कार्य मार्च में पूरा करवाया गया ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं उस पर मुझे ऐतराज है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, चुनाव के दिनों में तो मंत्री लोग कन्धों पर पोल रखकर घूम रहे थे ।

श्री हरिदेव जोशी : कन्धे पर पोल रखे जायं तो मैं बड़ा खुश होऊंगा ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, बिजली के पोल में भारी पोल चल रही है ।

Page No.33

श्री हरिदेव जोशी : इतनी नहीं जिसमें आप आ सकें।

श्री सहदेव शर्मा : आप यह बता दें कि क्या विद्युत् बोर्ड ने अपनी आमदनी के लिहाज से लाइटें दी थीं और इतनी लंबी लाइन डाली थी ?

श्री हरिदेव जोशी : यह लाइट खेती के विकास के अन्दर काफी उपयोगी है इसलिए लगाई गई।

श्री सहदेव शर्मा : क्या बगल जो इसी लाइन पर आता है वहां क्यों नहीं दी गई ?

श्री हरिदेव जोशी : लाइन जब तक पूरी खत्म न हो यह मुमकिन नहीं है।

श्री सहदेव शर्मा : लाइन पूरी न होने के क्या कारण हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : फिजीकल अचीवमेंट हैं वह सामान की कमी या अन्य कोई चीज की कमी से नहीं हो पाया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री लादूराम सुलानियां : मेरा एक प्रश्न है·····

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करिये।

श्री सहदेव शर्मा : आपके कहने के मुताबिक फरवरी, 1967 में लाइन पूरी हो गई तो इस 11 मील लम्बी लाइन तक कितने कनेक्शन दिये गये। माहीपुरा गांव पहले ही 66-67 से पहले से इलेक्ट्रिफाईड था ·····

श्री हरिदेव जोशी : जो कनेक्शन दिये उसकी सूची दे दी गई है।

श्री सहदेव : आपकी जो सूची है उसके अनुसार मेरे पास जैसी सूचना है उसमें कोई कनेक्शन नहीं दिया गया सिवाय एक के ? श्री अमृतलाल यादव की पत्नि के नाम एक कनेक्शन है।

श्री हरिदेव जोशी : किसी कन्ज़ूमर ने कानून के अनुसार आवेदन नहीं दिया होगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : अमृतलालजी क्या पिछड़ी जाति के होने के नाते दिया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया आपने जो सूचना दी है उसके सिवाय कोई कनेक्शन दिया हो इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आर्डर के हिसाब से न देकर इनको पहले बिजली दी गई ?

श्री हरिदेव जोशी : श्रीमती नर्मदा यादव को प्रॉयोरिटी इसलिए दी गई कि इन्होंने ओवर एन्ड अबव प्रॉयोरिटी लिस्ट दो हजार रुपये जमा कराए थे इसलिए दी गई।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : क्या यह सही है कि लोगों ने पांच सात साल पहले ही प्रॉयोरिटी के रुपये जमा करा दिये फिर भी उनको नहीं दी गई ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं इस सम्बन्धी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं वह यह है कि पहले कोई आदमी कनेक्शन लेना चाहे वह पहले एप्लाई करता है। उसके बाद में अगर फिजीबल है तो उसको एल० फॉर्म दिया जाता है। उसको डिमांड स्लिप दी

(श्री हरिदेव जोशी)

जाती हैं उसके अनुसार ढाई सौ रुपया देना होता है। उसके अनुसार लिस्ट बनी हुई होती है। इसके ओवर एण्ड एबव रबी सीजन से पहले एक आदेश निकला था कि उन लोगों को प्रॉयोरिटी दी जायगी जो ढाई सौ या 500 रुपया पर हॉर्स पावर जमा कराएगा। उसको एबव डेट प्रायोरिटी लिस्ट अमुक एरिया के लिए डेढ हजार अमुक एरिया के लिये दो हजार देगा उसको पहले कनेक्शन दिया जायगा। श्री यादवजी ने दो हजार रुपया जमा कराया इससे उनकी प्रॉयोरिटी ओवर एण्ड एबव उस लिस्ट के बनती हैं इसके लिए कनेक्शन दिया गया।

श्री विजयसिंह (मकराना): उनके पास दो हजार रुपये कहां से आये ?

श्री लादूराम सुलानियां (फागी) : गरीबों को कनेक्शन नहीं मिल सकते क्योंकि उनके पास दो हजार रुपये जमा कराने को नहीं हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इससे तो गरीब को कनेक्शन मिलना बहुत मुश्किल हो जायगा।

श्री मदनसिंह : मेरा प्रश्न था वह ओवर एण्ड एबव जमा कराने का था कराया लेकिन उनको कनेक्शन नहीं मिला।

श्री सहदेव : आप यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती यादव के अलावा भी और कई व्यक्ति ऐसे थे जो दो हजार रुपया देने को तैयार थे लेकिन कनेक्शन नहीं दिया गया ?

श्री हरिदेव जोशी : इतनी कन्सीडरेट आशा तो आप रख सकते हैं कि मुझे अपने कलिग द्वारा काम के लिये कहा जाय वह टेलीफोन से भी मैं करा सकता था वह मैंने नहीं करके नियमानुसार कार्य करवाया।

श्री विजयसिंह रावत : यह आप डिक्टेटोरियल पावर रखते हैं क्या ?

श्री लादूराम सुलानियां : हरिजन तो फिर दो हजार रुपये कभी जमा ही नहीं करा सकता उसको तो मिलना मुश्किल है।

श्री सहदेव शर्मा : मेरा आप से यह निवेदन था कि श्रीमती यादव के अलावा भी लोग दो हजार रुपये देने को तैयार थे उनको क्यों नहीं दिया गया ?

श्री हरिदेव जोशी : एक मिनिस्टर दो हजार रुपया अपनी प्रॉयोरिटी के लिये जमा कराता है तो विभाग का यह कर्तव्य है कि उनको कनेक्शन दे। विभाग ने जो कुछ किया, उचित किया है।

आप यह फरमाते हैं कि और भी लोग तैयार थे मैं रोज ही आपसे मिलता हूं आपने जो भी शिकायत की है उनकी मैंने जांच करवाई है, इन्जीनियर को भेजा है। अगर कोई दो हजार रुपये देकर अपनी प्रॉयोरिटी बनाना चाहता है तो माननीय सदस्य से मैं अपेक्षा करता हूं कि वे मुझे उसकी सूचना देते। मेरे ध्यान में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो यह कहे कि मैं रुपये जमा कराना चाहता हूं फिर भी नहीं किये और न कनेक्शन दिया।

श्री सहदेव शर्मा : इसके लिये तो धन्यवाद है। फिर भी मैं बताऊं उनकी आप मदद करेंगे ?

श्री मदनसिंह दांता : एक सवाल है अध्यक्ष महोदय। मन्त्रीजी से मेरा प्रश्न यह था कि पांच साल पहले पांच रुपया जमा कराया एक ने आपके विधि विधान के अनुसार इसके अनन्तर 250) रुपया जमा कराया, पर जिन्होंने बाद में जमा कराया उनके लिये पोल बन गये। पर जिन्होंने पांच साल पहले रुपया जमा कराया उन खाचरियावास के गांव के 17 आदमियों को अभी तक कनेक्शन नहीं मिला। तो क्या यही इस सरकार का सोशियेलिस्ट पेटर्न ऑफ सोसायटी बनाने का दम्भ भरा नारा है ? अगर गवर्नमेंट को बिड़ला सरीखा कोई एक लाख दे दे तो उसके लिये पहले कनेक्शन मिल जावेगा, पोल लग जावेंगे और पांच साल पहले जिन्होंने पांच रुपया जमा कराया उनके नहीं लगेंगे कि क्योंकि उसने पांच ही रुपये जमा कराये थे और ये एक लाख करा रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बिजली बोर्ड के समक्ष इस समय आर्थिक संकट हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछने के लिये दस बार खड़ा हो चुका हूं। पर क्या शान्त चित्त से पूछने वाले को इजाजत नहीं मिलेगी और ऊधम करने से इजाजत मिलेगी ?

श्री अध्यक्ष : मै प्रश्न को समाप्त करता हूं।

श्री दौलतराम सारण : मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब उसका कोई उत्तर नहीं दिया जावेगा।

श्री दौलतराम सारण : मेरा अधिकार है, पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करता हूं कि स्थान ग्रहण करें।

श्री दौलतराम सारण : बहुतों को इजाजत दी गई है, मुझे ही क्यों नहीं ?

श्री अध्यक्ष : पहले माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री दौलतराम सारण : मैं प्रश्न पूछने का अधिकार रखता हूं। मैं एक प्रश्न पूछकर स्थान ग्रहण करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दौलतराम !

श्री दौलतराम सारण : यह क्या तरीका हुआ।

श्री अध्यक्ष : मैं नाम से सम्बोधित करता हूं।

श्री दौलतराम सारण : अगर आसन इस तरह से सदस्य के अधिकारों की रक्षा नहीं करेगा तो ······

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दौलतराम सारण : यह क्या तरीका हुआ। रोज रोज हम इस तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा इस सम्बन्ध में कि एक घन्टे का समय सिर्फ प्रश्नों के लिए सीमित है नियमों के अन्तर्गत और इस समय प्रश्नों को लेते लेते 12/20 से ज्यादा का समय हो गया है । यह आसन आपके प्रश्नों की कटौती करे यह आशय और यह उद्देश्य आसन का नहीं है, लेकिन अगर माननीय सदस्यों को सामने का बिजनेस बतलाऊं तो स्वयं माननीय सदस्य इस प्रश्न को महत्वपूर्ण समझेंगे कि आखिर पांच बजे तक जो बिजनेस निर्धारित किया गया है जिसमें कई प्रश्न अभी अवशेष हैं ध्यान आकर्षण प्रश्न हैं उनके उत्तर अवशेष हैं, ऐसा भारी भरकर कार्यक्रम होते हुए आप मुझ से यह अपेक्षा रखते हैं कि मैं उन प्रश्नों को एक बजे तक चलाता रहूं । तो मेरा ख्याल है मैं इस पद के लिए उचित नहीं करूंगा और फिर भी आप माननीय सदस्यों की यह अपेक्षा ही होती है । धैर्य रखते हुए तो मैं सभी माननीय सदस्यों को बराबर उत्तर सप्लीमेंन्ट्री का अवसर दे रहा हूं ।

बाकी माननीय सदस्य रामानन्दजी अग्रवाल का महत्वपूर्ण प्रश्न और है । इसके सम्बन्ध में भी सोच रहा था कि कुछ समय दूं । कुछ एक दो माननीय सदस्य हैं । पर एक ही प्रश्न पर सप्लीमेन्ट्री बराबर होते जायें और दूसरे के लिये अवसर न मिले तो मुझे भी अपना कर्त्तव्य पालन करना पड़ेगा ।

दूसरे मैं और निवेदन कर दूं कि यह मस्तिष्क में हो कि मैं कुछ सप्लीमेन्ट्री को रोकता हूं, समय को बचाता हूं, कोई माननीय सदस्य इस पर अपने व्यक्तिगत रूप से समझने लगे कि मैं उनके अधिकारों पर कोई कुठाराघात करता हूं तो यह आसन के प्रति उचित व्यवहार नहीं है । इस आसन के पास माननीय सदस्यों के प्रति कोई व्यक्तिगत रोष न्यायसंगत व संवैधानिक नहीं हो सकता । आप उत्तेजना से बोलें और मैं उसको बराबर धैर्य से लेता रहूं । यह भी एक आपके लिए विचारणीय प्रश्न है और यह आसन की मर्यादा और प्रतिष्ठा मैं समझता हूं, जैसा कुछ व्यवहार आपका यहां पर हो रहा है, मुझको उससे प्रसन्नता नहीं है, फिर भी आप मुझे उत्तेजित न मानें । मेरा कर्त्तव्य है रोकना, रोकने को व्यक्तिगत आक्रोश समझें, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि उसको न समझें ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बार बोलने दीजिये, मैं दस बार खड़ा हुआ हूं, यह मैंने निवेदन किया ।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ लीजिये ।

श्री दौलतराम सारण : पर मेरी बिलकुल उपेक्षा की गई । आज एक बार नहीं । फिर मुझे आपत्ति है इस जवाब से । आसन की मर्यादा है..........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न के लिए आप मुझे समय दें या न दें । पर इस तरह उपेक्षा असह्य है । इसके प्रोटेस्ट में बहिष्कार करता हूं प्रश्न करने का ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं आसन को इज्जत करना चाहता हूं । पर माननीय सदस्य को अवसर मिलना चाहिये था, सब बराबर के बरताव की आशा करते हैं । माननीय सदस्य कितनी बार खड़े हुए । उनको समय

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं दिया गया। दूसरे उनके बाद खड़े हुए उनको बोलने का अवसर दिया गया। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ इसलिए आक्रोश होना लाजिमी है। वक्त देने से न रोकिये।

श्री अध्यक्ष : यह विवादग्रस्त प्रश्न नहीं है। इतनी बारीकी से उपेक्षा की जाय ऐसा नहीं है। चार खड़े हैं।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय मुझे एक बार भी आज्ञा नहीं दी, मैं दस बार खड़ा हुआ। यही आपकी निष्पक्षता है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप स्कूल के एक हैड मास्टर की तरह ट्रीट करना चाहते हैं तो नहीं होगा। हमें बुरा लगता है।

श्री दौलतराम सारण : चार माननीय सदस्य खड़े हैं, एक को दे दें, एक को चार बार अवसर दे दें और एक को एक बार भी न दें। हमें रोष है इससे आपने जो बरताव किया।

श्री अध्यक्ष : मैं प्रश्न को समाप्त करता हूं।

(अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर)

नियुक्तियों में रिजर्वेशन

381. **श्री गंगासहाय** (कठूमर,सु०): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या अन्य सरकारी विभागों की तरह राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, स्टेट होटल कार्पोरेशन व कोआॅपरेटिव बैंक में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई रिजर्वेशन करवाया है ?

(2) यदि हां, तो कब से और कितने व्यक्ति उपरोक्त जातियों के इन में नौकरी पर हैं ?

(3) यदि रिजर्वेशन लागू नहीं किया गया है तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान परिवहन निगम एवम् स्टेट होटल कोर्पोरेशन में अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जन जाति के लिये नियुक्ति करने के सम्बन्धी रिजर्वेशन के आदेश दिये गये हैं। कोआॅपरेटिव बैंकों के सम्बन्ध में यद्यपि आदेश दिये गये थे लेकिन स्पष्ट नहीं होने से इन आदेशों पर अमल नहीं किया गया है और वह प्रश्न विचाराधीन है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

विद्युत् मंडल के कर्मचारियों को मेडिकल रीएम्बर्समेंट

382. **श्री परसराम गंगाराम** – (परबतसर, सु.): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राजकीय कर्मचारियों के पेरेन्ट्स जो उन पर निर्भर करते हैं के मेडिकली रीएम्बर्स होने के आदेश जारी किये हैं ? अगर हां, तो आदेश संख्या व दिनांक बताने का कष्ट करें यह आदेश कब से प्रभावी हुए ?

(2) क्या इन आदेशों को राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल ने भी अपने विभाग

(श्री परसराम गंगाराम)

पर लागू किया है ? अगर हां, तो आदेश संख्या व दिनांक बताने का कष्ट करें। अगर नहीं, तो क्यों, और अब इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से क्या कार्यवाही जारी है ?

(3) विद्युत मण्डल द्वारा यह आदेश कब तक स्वीकार करने की सम्भावना है ? तथा इस असमानता का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह आदेश आज्ञा संख्या एफ. 1 (29) एफ डी/एक्सपेन्डीचर रूल्स/67 दिनांक 26 जून, 67 द्वारा जारी किये गये हैं। यह आज्ञा 26 जून 1967 से प्रभावशील हुई।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में मेडिकल रीएम्बर्स सम्बन्धी संशोधन राजस्थान सरकार के नियमों के साथ साथ ही लागू होने का आदेश है इसलिए किसी विशेष आज्ञा द्वारा इस संशोधन को लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी उद्योगपतियों एव विदेशी सरकार के प्रतिनिधियों से उद्योग लगाने के संबंध में बातचीत

387. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या राजस्थान में कोई उद्योग-लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी विदेशी सरकार के प्रतिनिधियों अथवा विदेशी उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों से गत 5 वर्ष में कोई बातचीत की गई है ?

(2) यदि हां, तो यह बातचीत किन किन से हुई और कौन कौन से उद्योगों के बारे में हुई।

(3) क्या यह सही है कि जापान के प्रतिनिधियों ने राजस्थान में छोटे ट्रेक्टरों का कारखाना लगाने की पेशकश की थी ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस पेशकश को मंजूर करने से इंकार कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार को मालूम है कि इन्हीं जापान के प्रतिनिधियों ने यही आफर पंजाब और आन्ध्रप्रदेश को भी दी थी और उन्होंने जापान की इस पेशकश को मंजूर कर दिया तथा ट्रक्टरों के कारखाने इन दोनों स्थानों में लगा दिये गये जिसमें उन्हें बहुत फायदा रहा है।

1. जी नहीं

2. प्रश्न ही नहीं उठता।

3. जी नहीं

4. प्रश्न ही नहीं उठता।

5. ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

कैथून ग्राम के हाईस्कूल में बिजली

388. श्री बृज बल्लभ (दीगोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में कैथून ग्राम में हाई स्कूल चालू है ?

(2) क्या यह सही है इस हाईस्कूल में साइंस की कक्षाएं भी चालू है ?

(श्री बृजवल्लभ)

(3) क्या यह सही है कि इस स्कूल से करीब 100 गज से कम दूर बिजली की लाइन होते हुए भी स्कूल में बिजली उपलब्ध नहीं है ?

(4) यदि हां, तो कब तक इस स्कूल में बिजली लगा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) हां यह सही है।

(2) हां, गत सत्र १९६६–६७ से चालू है।

(3) यह सही है।

(4) बिजली लगाने की कार्यवाही की जावेगी।

कुशलगढ़ में कोआपरेटिव गल्ला संस्था

389 हीराभाई (कुशलगढ़ सु.): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ में कोआपरेटिव गल्ला नाम की संस्था स्थापित हुई थी ?

(2) इस संस्था का निर्माण कब हुआ और यह कब तक कार्य करती रही ?

(3) क्या इस संस्था के खाते में अनाज और धनराशि एकत्रित हुई थी ? यदि हां, तो उसे कहां रखा गया था ? कितनी धनराशि एकत्रित हुई थी और कितना अनाज ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

कृषकों को कुट्टी काटने की मशीन खरीदने हेतु अनुदान

402. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् १९६६-६७ में अथवा उससे पहले पशुपालन विभाग का ऐसा कोई आदेश निकला है कि कृषकों को कुट्टी काटने की मशीनों पर पंचायत समितियां आधा अनुदान दे सकती हैं व पशुपालन विभाग चारा विकास मद से राशि पंचायत समितियों को देगा ? यदि हां, तो कब व इसकी कापी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस आदेश के तहत विभाग ने किन किन पंचायत समितियों को कितनी कितनी राशि एलाट की व किस किस पंचायत समिति ने कब कब कितना कितना पैसा काम में लिया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह अनुदान देना विभाग ने बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो किस आदेश के तहत व किस तारीख से ?

(4) क्या विभाग के उपरोक्त आदेश के तहत पंचायत समिति श्री माधोपुर ने आधे अनुदान पर कृषकों को वितरण करने के लिये कुट्टी की मशीनें खरीदी हैं ? यदि हां, तो कब व कितनी ? क्या इस मद में पंचायत के पास बजट था ? यदि हां, तो कितना ?

(5) क्या इनको आधे अनुदान पर कृषकों को बांटने से सरकार ने मना कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों व पड़ी हुई मशीनों के नुकसान का जिम्मेदार कौन है ?

Page No.40

उत्तर

(1) जी, हां। ऐसा एक आदेश मई 1965 में निकाला गया था, परन्तु आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि पंचायत समितियां कुट्टी काटने की मशीनों पर 33 प्रतिशत अनुदान पंचायत समिति के सामुदायिक विकास मद में से देंगी, न कि पशुपालन विभाग इस अनुदान के लिए चारा विकास मद से राशि इस कार्य के लिए देगा। आदेश की आंशिक प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) जी, नहीं प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी, नहीं।

(4) पंचायत समिति श्री माधोपुर द्वारा कृषकों को आधे अनुदान पर वितरण करने हेतु 100 कुट्टी की मशीनें सितम्बर सन् 1967 में खरीदी गई थीं। कुट्टी की मशीनों की अनुदान राशि का भुगतान .... 3 कृषि एवं पशुपालन ... से किया गया जिसमें लगभग 10,000 रुपये की बचत थी।

(5) 48 कुट्टी की मशीनें अनुदान (आधी कीमत) पर कृषकों को वितरण कर दी गई थीं। विकास विभाग के ध्यान में आने पर शेष 52 मशीनों का वितरण रोक दिया गया था। क्योंकि अनुदान पर मशीनों का कृषकों में वितरण अनुचित खर्चा समझा गया। पंचायत समिति को यह निर्देश दे दिये गये हैं कि बाकी रही 52 मशीनों को बिना लाभ बिना नुकसान के आधार पर बेची जावे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हायर सेकेन्डरी स्कूल फलौदी में बाइलोजी विषय की पढ़ाई

403. **श्री दीपचन्द छंगाणी (फलौदी):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जन सहयोग से हायर सेकेन्डरी स्कूल फलौदी में बाइलोजी रूम कई वर्ष पूर्व बनवाने के बावजूद अभी तक बाईलोजी शुरू क्यों नहीं की गई ?

(2) क्या यह आगामी सत्र से शुरू कर दी जावेगी क्योंकि बाइलाजी शुरू न होने से साइन्स के छात्रों को काफी क्षति पहुंची है और पहुंच रही है।

उत्तर

(1) संकट कालीन एवं वित्तीय स्थिति को देखते हुये बाइलोजी विषय नहीं खोला जा सका।

(2) आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अन्य ऐसे प्रश्नों के साथ इस पर भी विचार किया जावेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में विधान परिषद्

133. **श्री रामकिशन (बैर):** क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान में विधान परिषद् कायम किये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया था ? अगर हां, तो निर्णय क्या था ?

(2) क्या केन्द्र से विधान परिषद् कायम किये जाने के सम्बन्ध में कोई पत्र-व्यवहार हुआ था ?

(3) अब सरकार विधान परिषद् को कायम करने के बाबत क्या सोच रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, किन्तु पुनर्विचार करके राज्य की वर्तमान स्थिति में विधान परिषद की स्थापना के निर्णय को रद्द कर दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति के आधार

134. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

उच्च माध्यमिक शाला तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं के प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति करते समय किन किन बातों का विचार किया जाता है अथवा अध्यापकों के प्रधान अध्यापक के पद पर नियुक्ति की कसौटी क्या है?

उत्तर

उच्च माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति करते समय ट्रेन्ड ग्रेज्यूएट ग्रेड की एडहाक वरिष्ठता स्थिति व 1-11-56 के आधार पर वरिष्ठता से अध्यापकों को पदोन्नत किया जाता है जो बी० ए० बी० एड० हैं तथा जिन्हें उच्च/उच्चतर कक्षाओं को पढ़ाने का 5 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव प्राप्त है। 50 प्रतिशत विभाग द्वारा तथा 50 प्रतिशत जन सेवा आयोग द्वारा रिक्त स्थान भरे जाते हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा की जाती है। यह पदोन्नति वरिष्ठता के अनुसार प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय तथा उसके समकोटि चयनित व्यक्तियों में से की जाती है। पदोन्नतियां विभागीय पदोन्नति समिति की राय से जो राजस्थान शैक्षणिक सेवा नियम 1960 के अनुसार निर्मित है, की जाती हैं।

सवाईमाधोपुर जिले की कृषि उपज समितियां

135. श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगापुर):- क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) सवाईमाधोपुर जिले में कृषि उपज समिति किन किन स्थानों पर चालू की गई थी और किस तारीख से।

(2. कौनसी तारीख तक के लिये और कितने समय के लिये सदस्यों को नामजद किया गया?

(3) सरकार ने उपरोक्त समितियों का कार्य-काल समाप्त हो जाने पर क्या कार्यवाही की है?

(4) क्या सरकार एम.एल.एज. को भी इस प्रकार की समितियों में पदेन सदस्य नियुक्त करने का विचार रखती है।

उत्तर

(१) जिला सवाईमाधोपुर में निम्न स्थानों पर कृषि उपज मण्डी समितियां चालू की गईं—

1- सवाईमाधोपुर	10-6-65 से
२- हिण्डोन	10-6-65 से
३- महुवा मण्डावर	16-6-65 से
४- गंगापुर	27-7-65 से

(2) राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम 1961 की धारा 7(3) के प्रावधानानुसार प्रथमवार गठित मंडी समिति को राज्य सरकार दो वर्ष के लिए (मण्डी समिति की प्रथम साधारण बैठक के दिनांक से) मनोनीत करती है। लेकिन धारा 7(4) के अनुसार सदस्यों की पदावधि उस मण्डी समिति के स्थान पर बनी प्रथम मण्डी समिति की प्रथम सामान्य बैठक होने की तारीख के पूर्व दिन तक रहा समझा जावेगा।

(3) जिलाधीश सवाईमाधोपुर को इन समितियों का चुनाव कराने हेतु दिनांक 1-4-36 को निदेशक, कृषि विभाग के पत्र संख्या 5511 द्वारा लिखा जा चुका है। सवाईमाधोपुर की मतदाता सूची का अस्थायी प्रकाशन दिनांक 29-1-68 को हो चुका है। महुआ मण्डावर की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 24-11-67 को हो चुका है तथा हिण्डौन की मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन 2-11-67 को हो चुका है। तथा गंगापुर की मतदाता सूची का अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ है।

(4) जी नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

फसल को बचाने का कार्यक्रम

136. श्री रतनलाल रोत (चौरासी, सु.) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने फसल नष्ट करने वाले कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए कोई स्थायी और विशेष प्रोग्राम तैयार किया है।

(2) यदि हां तो वह क्या है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य में कृषि विभाग के अन्तर्गत पौध संरक्षण विभाग फसलों में होने वाले कीट व रोगों का नियन्त्रण करता है। सघन कृषि कार्यक्रम के 10 जिलों में सहायक पौध संरक्षण अधिकारी नियुक्त किये गए हैं अथवा किये जा रहे हैं। 125 पौधे संरक्षण यूनिट पंचायत समितियों में कार्य कर रही हैं जिनमें एक सुपरवाइजर तथा 3 फील्डमैन नियुक्त हैं। हर जिले में जिला कृषि अधिकारी के साथ पौध संरक्षण स्टाफ नियुक्त हैं और कीट नाशक औषधियों तथा यंत्र उपलब्ध हैं। पंचायत समितियों में ग्राम सेवक तथा सहकारी समितियों में यंत्र तथा औषधियां रखने की व्यवस्था है। विशेष केम्पों में कर्मचारियों एवं किसानों को शिक्षण दिया जाता है तथा प्रचार सामग्री तैयार की जाती है। प्रति वर्ष का कार्यक्रम जिलावार व पंचायत समिति वार बनाया जा रहा है।

मान्यता प्राप्त पत्र एवं पत्रिकाएं

137. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या जन सम्पर्क मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों में जन-सम्पर्क विभाग का स्वीकृत बजट किस आधार पर और कितना किन किन कार्यों में व्यय किया जाता है? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राजस्थान में प्रकाशित होने वाले कितने पत्र और पत्रिकाएं राज्य सरकार द्वारा

(श्री शंकरलाल)

मान्यता प्राप्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) स्वयं राज्य सरकार द्वारा कितने स्थायी प्रकाशन किये जाते हैं ?

उत्तर

(1) जन सम्पर्क विभाग का स्वीकृत बजट विभिन्न जिलों में गत तीन वर्षों के व्यय के आंकड़ों के आधार पर यथा जिला कार्यलयों की सामयिक आवश्यकताओं को देखते हुए मुख्यतः चार इकाइयों यथा 1) अधिकारियों का वेतन, 2) कर्मचारियों का वेतन, 3) भत्ता एवं मानदेय तथा 4) अन्य प्रभार पर व्यय किया जाता है। बजट के जिलावार आवंटन की तालिका संलग्न है।

(2) सरकारी विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त पत्र पत्रिकाओं की सूची संलग्न है।

(3) इस विभाग द्वारा इस समय कोई स्थायी प्रकाशन नहीं निकाला जाता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी।)

ग्राम अराई में बिजली

138 श्री सुमेर सिंह (किशनगढ़): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) ग्राम अराई, तहसील किशनगढ़ तक बिजली की लाईन ले जाने की योजना कितने समय से विचाराधीन है।

(2) अब तक बिजली की लाइन नहीं ले जाने के क्या कारण हैं ?

(3) यह कार्य कब तक होने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) अभी ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) क्योंकि स्वीकृत योजना में शामिल नहीं किया गया था।

(3) अभी निश्चित रूप से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

सिरोही जिले में सिंचाई के लिए बिजली

139. श्री लाभचन्द वैद्य (सुजानगढ़): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार के ध्यान में है कि सिरोही जिले में सिंचाई ज्यादातर कुओं से होती है और कुओं में पानी ऊंचा है ? यदि हां तो क्या सरकार वहां बिजली प्राथमिकता देकर दिये जाने की व्यवस्था का विचार रखतीं है ?

उत्तर

जी हां।

ग्राम सीकरी में कृषि कार्यों के लिए बिजली

140. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम सीकरी, जिला भरतपुर में बिजली सन् 1967 के जनवरी माह में पहुँचाई गई थी ? यदि हां, तो इस वर्ष की अवधि में कृषि तथा अन्य

(श्री गंगासहाय)

कार्यों के लिये कितने व्यक्तियों को कनेक्शन दिये गये हैं ?

उत्तर

जी हां, अभी कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है।

जोधपुर जिले में सिंचाई के लिए बिजली

141. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

जोधपुर जिले में सिंचाई प्रयोजन के लिये दिन में बिजली उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था कब तक हो सकेगी ?

उत्तर

चम्बल की बिजली पहुंचाने पर सिंचाई प्रयोजन के लिये बिजली दिन में उपलब्ध हो सकेगी।

तहसील सरदारशहर के ग्रामों में बिजली

142. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या सरकार के ध्यान में है कि सरदारशहर तहसील के उत्तरी भाग वाले किसी भी गांव में अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है ?

(2) क्या सरकार देहात विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत उक्त तहसील के भासपालसर एवं खेजड़ आदि गांवों में विद्युतीकरण को प्राथमिकता देकर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अभी निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

(12.25 म. प.)

सदन की मेज पर रक्खे जाने वाले पत्र

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : मैं मन्त्रियों के लिये आचरण संहिता (कोड ऑफ कण्डक्ट फोर मिनिस्टर्स) में जारी किये गये शुद्धि पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल सुखाड़िया

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : रख दिया साहब।

प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): पुरेजात सम्पत्तियां विषयक प्राक्कलन समिति 1965/66 के 22वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति के दूसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य। श्री देवीदत्त गाड़िया के खेतड़ी खान के बारे में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी उसके बारे में ?

श्री अध्यक्ष : मैं डिसीजन इसके बाद दे दूंगा।

श्री खेतसिंह : उप मन्त्री, गृह।

मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य

खेतड़ी प्रोजेक्ट (झुंझनूं) में मजदूरों की गिरफ्तारियों से सम्बन्धित विषय पर उप मंत्री गृह श्री खेतसिंह का वक्तव्य

श्री खेतसिंह (उप-मन्त्री, गृह) : माननीय श्री देवीदत्त गाडिया सदस्य विधान सभा द्वारा खेतड़ी प्रोजेक्ट एरिया में दिनांक 23-2-68 को कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारियों के कारण वहां पर मजदूरों की हड़ताल व उसके फलस्वरूप उत्पन्न कानून व्यवस्था सम्बन्धी स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए यह स्थगन प्रस्ताव रखा गया था।

इस मामले में जानकारी प्राप्त की गई है तो यह पाया जाता है कि दिनांक 23-2-68 को एक क्रिमिनल केस ह. द. 341-143 149-323 ता. हि. व. 25 टेलीग्राफिक्स एक्ट में जो दिनांक 1-2-68 को हास्पिटल पर हुई घटना से सम्बन्धित था। 12 मुलजिमों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा दिनांक 23-2-68 को प्रातः काल की गई थी। पुलिस की कार्यवाही कानूनी थी पर लगभग 250-300 मजदूरों ने एकत्रित होकर जनरल मैनेजर के कार्यालय के सामने यह मांग की कि गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को छोड़ा जाय। उप जिलाधीश व पुलिस उप अधीक्षक खेतड़ी ने शान्तिमय वातावरण बनाये रखने के लिए समझाया किन्तु भीड़ अपनी बात पर अड़ी रही। भीड़ का व्यवहार उत्तेजनात्मक था। फिर भी उसे काबू में रखा गया और उस समुदाय के 5 व्यक्तियों के प्रतिनिधियों की मैनेजमेंट के अधिकारीगणों से बातचीत कराई गई। मैनेजमेंट ने यह स्पष्ट किया कि पुलिस द्वारा अपराधियों के साथ कानूनी कार्यवाही करने में उनके द्वारा हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं होगा और इस पर वार्तालाप समाप्त हो गई। यह भीड़ कार्यालय के सामने से तो चली गई किन्तु प्रोजेक्ट टाउनशिप जाने वाली सड़क पर एकत्रित हो गई और उत्तेजनात्मक नारे लगाये जाते रहे। उसी दिन दोपहर यह सूचना प्राप्त हुई कि प्रोजेक्ट की एक गाड़ी जो रास्ते से निकल रही थी उस पर पत्थर फैंके और पीछे का शीशा तोड़ दिया। पिक अप गाड़ी में बैठे हुए श्री गर्ग को जबरन बाहर खींचने का प्रयास किया किन्तु कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। यह भीड़ अन्धेरा होने पर भी बस स्टेण्ड के निकट खड़ी रही और नारे लगाती रही। लगभग 8 बजे एक मीटिंग हुई जिसमें उत्तेजनात्मक भाषण दिये गये। उसके बाद सब मजदूर अपने घरों पर चले गये और सवेरे 7 बजे पुनः उसी स्थान पर एकत्रित होने के लिये तय हुआ।

जिस तनावपूर्ण वातावरण में यह सभा विसर्जित हुई थी और दूसरे दिन सवेरे एकत्रित होने का तय हुआ था उसको देखते हुए उप जिलाधीश द्वारा प्रातःकाल से धारा 144 जा.फौ.के. अन्तर्गत निषेधाज्ञा टाउनशिप व प्लान्ट एरिया में सुरक्षा व व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिकोण से की गई व इसका प्रचार लाउड स्पीकर पर सब जगह कर दिया गया।

श्री देवीदत्त गाढ़िया (बारां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उप-मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में जो बतलाया मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यह जो घटना घटी उस घटना के घटने का प्रमुख कारण क्या है उस चीज को माननीय उप-मंत्रीजी ने ओझल किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि 31 जनवरी को प्रोजेक्ट के अन्दर एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम श्री नन्दलाल था उसने अपने ट्रक को प्रोजेक्ट एरिया के अन्दर लेकर खड़ा किया। उसके बाद में उसी प्राजेक्ट के अन्दर एक स्टेशन वैगन जिसको कि दूसरा ड्राइवर चला रहा था वह ड्राइवर उस स्टेशन वैगन को भी एक साइड में लेकर खड़ा करने की चेष्टा कर रहा था। लेकिन स्टेशन वैगन जिसको वह ड्राइवर खड़ी कर रहा था वहां पास में ही ट्रक ड्राइवर नन्दलाल भी खड़ा था। ट्रक ड्राइवर जो वहां पर खड़ा था तो स्टेशन वैगन के ड्राइवर के स्टेशन वैगन के ब्रेक फेल हो जाने के कारण वह उसके ब्रेक नहीं लगा सका और इस कारण से वह स्टेशन वैगन उस नन्दलाल ड्राइवर पर चढ़ गई और ट्रक ड्राइवर के दोनों पैर कट गये। अध्यक्ष महोदय, उसके पैर कटने के कारण स्वाभाविक है मजदूर उस ट्रक ड्राइवर को लेकर डाक्टर के पास गये जो डाक्टर थे डाक्टरों ने ड्राइवर की प्राथमिक चिकित्सा नहीं की और उसके कारण से उसके पैर का खून बराबर बढ़ता रहा और डाक्टरों ने यह कहा कि इस ड्राइवर को आप पिलानी ले जाइये और जब मजदूरों ने बारबार कहा कि इसके जीवन की गारन्टी दीजिये कि यह पिलानी तक पहुंच जायेगा। लेकिन उस प्रोजेक्ट एरिया के जनरल मैनेजर ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मजदूर आखिर में ड्राइवर को पिलानी ले गये और उसके बाद में वहां के डाक्टरों ने उसके प्राण बचाने की कोशिश की लेकिन वह ड्राइवर दूसरे रोज मर गया और पिलानी के डाक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यदि इस ड्राइवर को प्राथमिक चिकित्सा की सहायता तत्काल दी जाती तो इसकी मृत्यु नहीं होती। उसके बाद में उस ड्राइवर का पोस्ट-मार्टम सिघाना के डाक्टर ने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी सूचना के आधार पर कहता हूं कि सिघाना के डाक्टर ने अपनी पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट में यह लिखा है कि यदि इस ड्राइवर की प्राथमिक चिकित्सा सहायता कर दी जाती तो यह ड्राइवर नहीं मरता। इन दोनों रिपोर्ट्स के आधार पर मजदूरों में रोष फैला और रोष फैलने के कारण वहां के मजदूर ड्राइवर की लाश को लेकर खेतड़ी आये और उसका दाह संस्कार किया और उसके बाद में मजदूरों ने डाक्टरों को घेरा, घेरने के बाद में एक डाक्टर के चोट आई और जनरल मैनेजर और इंजीनियर के घरों को घेरा और अध्यक्ष महोदय इस चीज को उभारने के लिये अराष्ट्रवादी तत्वों और वामपन्थी, साम्यवादियों का हाथ है और इसका प्रमुख कारण यह है कि वहां जो जनरल मैनेजर हैं वह साम्यवादी विचार-धाराओं का है और उसी के कारण से जो अराष्ट्रवादी तत्व हैं वह सारे देश जो राष्ट्रीय महत्व के प्राजेक्ट्स हैं उनमें आतंकवादी और तोड़ फोड़ की कार्यवाहियां कर रहे हैं। जैसे कुछ महीने पूर्व कोटा के अन्दर कार्यवाही की थी। इसी प्रकार से यहां भी की। लेकिन जनरल मैनेजर की अदूरदर्शिता के कारण और उसकी सांठ-गांठ होने के कारण यह घटना घटी और

(श्री देवीदत्त गाडिया)

उसके बाद में जब मजदूरों ने इस प्रकार की कार्यवाही की तो जनरल मैनेजर ने पुलिस को रिपोर्ट की और जब पुलिस आई और खेतड़ी और सिघाना की पुलिस आई और प्रोजेक्ट एरिया में आई तो दोनों पुलिस में संघर्ष हुआ और संघर्ष होने के कारण से वहां पर पुलिस वालों को भी चोटें आई, मजदूरों के भी आई और उस आधार पर पुलिस ने उन मजदूरों के ऊपर बलवा का और माननीय मंत्रीजी ने जिन धाराओं का उल्लेख किया है उनके अन्तर्गत उनको गिरफ्तार करने के लिये 23 फरवरी को खेतड़ी प्रोजेक्ट एरिया के अन्दर आये और जब वह आये तो दोनों पुलिस और मजदूरों के बीच में संघर्ष हुआ। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, अश्रुगैस के गोले छोड़े, हवाई फायरिंग किया और इन्हीं कारणों से यह घटना घटी और वहां की स्थिति और भी भयभीत हो गई और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से मंत्रीजी को यह जानकारी देना चाहता हूं कि यह जो कह रहे हैं कि वहां पर कोई अप्रिय घटना नहीं घटी पुलिस की लाठी चार्ज से और हवाई फायरिंग करने से वहां पर 60 मजदूर घायल हुए और इसके कारण से और भी स्थिति विषम हो गई। और जब यह स्थिति बनी तो पुलिस ने वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से मिल कर 24-2-68 को प्रोजेक्ट के अन्दर 144 धारा लागू कर दी और धारा 144, 4 रोज तक लगातार चली है और इसके कारण से वहां की स्थिति ऐसी विषम बन गई कि माननीय अध्यक्ष महोदय उस जनरल मैनेजर ने वहां की जो 3 यूनियन्स हैं तीनों यूनियनों के प्रतिनिधियों को बुलाकर बैठे तो उनमें से एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट रूप से यह कहा यह आपके काले कारनामे हैं आपका षड़यंत्र है। आपके षड़यन्त्र के कारण यह सब कुछ हुआ है। राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की रक्षा करने के लिए आपकी जिम्मेदारी है। आपके शह देने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। काम करने वालों में षडयन्त्रकारी एक दो व्यक्ति थे लेकिन पुलिस के लाठी चार्ज के कारण 60 मजदूर घायल हुए और इस बारे में मैं उप मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जिस ड्राइवर नन्दलाल की मृत्यु हुई जो उस समय ड्यूटी पर था उसके परिवार वालों को कितनी आर्थिक सहायता दी गई और उसके दाह संस्कार का खर्चा सरकार ने दिया या नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि खेतड़ी प्रोजेक्ट केन्द्रीय सरकार के आधीन है लेकिन वहां पर ला एन्ड ऑर्डर मेन्टेन करने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। ऐसे स्थान पर जो राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है वहां पर अराष्ट्रीय तत्व इस प्रकार का उपद्रव करे, इस प्रकार सक्रिय हो तो उनको दबाना सरकार का काम है। यह देश की बहबूदी करने वाला प्रोजेक्ट है, वहां के जनरल मैनेजर के प्रोत्साहन के कारण इस प्रकार का उपद्रव हो तो उस जनरल मैनेजर के खिलाफ जांच करवानी चाहिये। क्या आप आश्वासन देंगे कि जिस ड्राइवर की ड्यूटी पर मृत्यु हुई उसके परिवार को कंपेन्सेशन देंगे और आर्थिक सहायता पहुंचायेंगे ? यदि इस प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई तो मजदूरों का विश्वास नहीं रहेगा।

मैं अध्यक्ष महोदय, अन्त में यही कहूंगा कि जो राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है उनमें इस प्रकार के अराष्ट्रीय तत्वों को पनपने से रोकना चाहिए। जनरल मैनेजर के साथ साठ गांठ

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

करके देश में बढ़ने वाले प्रोडक्शन को रोकने का प्रयत्न करते हैं इस प्रकार के मजदूरों की अराष्ट्रीय भावना को एक दम कुचलना चाहिये। हमारे देश की सीमा पर एक ओर पाकिस्तान है दूसरी ओर चीन है जो आये दिन सीमा पर आक्रमण कर रहे हैं और राजस्थान की स्थिति तो और भी कठिन हो गई है। ऐसी स्थिति में सरकार को प्रशासनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिये और भी सक्रिय रहना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी प्रोजेक्ट में जो घटना हुई है उसमें एक मजदूर साथी मारा गया है और जिस तरह वहां पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई हैं उसकी जानकारी यहीं पर ही सदन में हमें प्राप्त हुई है। माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से इस मामले को रखा है मैं समझता हूं वह इस प्रकार का है जो एक वकील की दलील है, उस वकील की दलील है जो दूसरे पक्ष से पैसा खाकर मिल जाता है और मुवक्किल को मरवा देता है। मैं कहता हूं मजदूर वर्ग इस प्रकार के वकीलों की मेहरबानी से माफी चाहेंगे, वे अपनी वकालत को अलग ही रखें। और यदि उनको गवर्नमेंट और जालिम सरकार की वकालत करनी है तो खुले तौर पर सरकारी पक्ष में आ जाये और खुले तौर पर सरकार की वकालत करे। मजदूरों में घुस कर उनको मरवाने की कोशिश न करे और उनके खिलाफ आरोप लगाने की कोशिश न करे। अध्यक्ष महोदय, यह बात अलग है, उनकी पार्टी के सोचने की बात है कि वे वामपक्षी कम्युनिस्टों को अराष्ट्रीय तत्व कहें, उनकी पार्टी कह रही है, वामपक्षी कम्युनिस्टों से हमारा मतभेद होते हुए भी मैं उनके इस आरोप का खंडन करता हूं। मैं समझता हूं वामपक्षी कम्युनिस्टों ने हिन्दुस्तान में राष्ट्रीयता का परिचय दिया है। मजदूर वर्ग के लिये वे लड़े हैं, संघर्ष किया है। सरकार और मालिकों ने जो उन पर दमन करने की कोशिश की हैं उनसे लोहा लेकर उन्होंने मजदूरों की सेवा की है। यह बात अलग है कि यूनियन्स में राइवलरी होती है, यह बात भी अलग है कि माननीय सदस्य जिस मजदूर संघ से संबंधित है उस संघठन का बहुमत वहां के मजदूरों ने नहीं माना हो और उसको नहीं मानते हुए वे आगे बढ़े हों, जिस प्रकार वहां पर उस मजदूर की मृत्यु हुई है और जिस प्रकार का रवैया अधिकारियों का रहा है उससे उत्तेजित होना स्वाभाविक है। जब मजदूरों को कोई रास्ता नहीं मिले, उनकी सुनवाई नहीं हो, उनके प्रति सहानुभूति नहीं हो, उनकी मांगे पूरी न हो तो आखिर मजदूरों को कलेक्टिव तरीके से शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है और अपनी मांगे मनवानी पड़ती है। मैं निवेदन करता हूं कि यदि माननीय सदस्य मजदूरों के सामुहिक संघर्ष को अराष्ट्रीय कार्यवाही कहने लगेंगे तो मैं कहूंगा कि मजदूरों को अपने घर में बैठा देंगे और मालिकों की हकूमत की तलवार हर वक्त उनके गर्दन पर लटकती रहेगी और उस पर चलने के लिये उल्टा मैदान तैयार कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मै निवेदन करना चाहता हूं कि जो घटना हुई है उसकी जांच होनी चाहिये, जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये। माननीय सदस्य ने इस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रकार का आरोप लगाया है और आप तो यहां तक कहते हैं कि जनरल मैनेजर शामिल है और वह साम्यवादी विचारों का है, माननीय सदस्य जानकारी रखते होंगे। लेकिन मजदूरों ने सामुहिक तरीके से अपना प्रतीकार किया। कल तो आप कहेंगे कि बिड़लाजी साम्यवादी विचारों के हैं, जानबूझ कर इस प्रकार की घटना कर रहे हैं यह दलील और माननीय सदस्य का जो आरोप है यह दुरुस्त नहीं है। उनकी पार्टी की जो कुछ भी विचारधारा हो जैसा कि कुछ दिन से उसने राग अलापना शुरू कर दिया है और कहते हैं कि वामपक्षी कम्युनिस्टों पर पाबन्दी लगाई जाये। स्वतन्त्र पार्टी के मसानी साहब ने कल ही मांग की है और आप भी मांग कर रहे हैं कि जो अराष्ट्रीय तत्व हैं उनको नहीं पनपने देना चाहिये और यूनियन्स के लिये ऐसा कानून बना दिया जाय कि कम्युनिस्ट यूनियन नहीं बनने दिये जाये। यदि जनसंघ यह महसूस करता है कि कम्युनिस्टों के रहते हुए मजदूरों में उनकी दाल नहीं गलेगी जब तक कि उनको जेल में नहीं डाल दिया जाय तब तक उनका संगठन नहीं पनप सकेगा इसलिये यदि वे भी कांग्रेस के साथ दुम से दुम बांध लें तो मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया में यह इतिहास रहा है कि दुम से दुम बांधने वालों की साथ ही मौत होती है। मैं कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेसी तो मरने वाले हैं, आप अपनी दुम इनके साथ बांध कर क्यों मरना चाहते हैं। इससे अच्छा तो यह है कि ईमानदारी से मजदूरों की सेवा करें। मजदूर अपनी बहतरी के लिये लड़ते हैं। उनके जोश पर ठंडा पानी मत डालें। अराष्ट्रीय कह कर दुश्मनों को हथियार न दें। मैं इतना ही कहूंगा कि जो घटना वहां पर हुई है जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये और जो व्यक्ति मरा है उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव रखा गया। मैं समझता हूं जिस संयत भाषा और स्पष्टरूप से रखा है उसके कारण अलवर से आने वाले माननीय सदस्य को बेचैन नहीं होना चाहिये। मैं अपनी पार्टी की तरफ से उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि न तो हमने यह मांग की है कि लेफ्ट या राइट कम्युनिस्टों पर बेन लगा दिया जाये न यह मांग की है कि बेन लगा कर उनको क्रश किया जाय। जहां तक अराष्ट्रीय कार्यवाही और गतिविधि का सवाल है, मै निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूरों में वे भी काम करते हैं और हम भी काम करते हैं और किया है और काम चल भी रहा है। न कांग्रेस के पिछलग्गू हम बनना चाहते हैं और न लेफ्ट कम्युनिस्टों के बारे में हम कुछ कह रहे हैं जो अपने आप ही खत्म होने जा रहे हैं। आज कांग्रेस और लेफ्ट कम्युनिस्ट एक ही नाव में बैठे हुए हैं। उनकी नाव तो एक दिन जरूर डूबेगी (करतल ध्वनि)। जहां तक अराष्ट्रीय कार्यवाही करने का सवाल है, अराष्ट्रीय कार्यवाही का उल्लेख किया उन्होंने लेफ्ट कम्युनिस्टों के साथ में अपने आपको जोड़ दिया। यह नहीं कहा कि यह लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी का काम है लेकिन भावना व्यक्त करदी कि यदि अराष्ट्रीय कार्यवाही होती है तो वह

(श्री भैरोंसिंह)

लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा की जाती है। मै कहना चाहता हूं कि लेफ्ट कम्युनिस्ट हों या राइट कम्युनिस्ट हों या जनसंघ हो या और कोई पार्टी हो किसी को भी राष्ट्र का अहित करने का अधिकार नहीं है न अपने अधिकारों का कोई उपयोग कर सकते हैं कि वह राष्ट्र की सम्पत्ति को नष्ट करने का कोई प्रयास करें। अगर किसी पार्टी ने राष्ट्रीय सम्पत्ति को नष्ट करने का प्रयास किया तो इस बात की चिन्ता नहीं है कि हमें किसी पार्टी के साथ जाना पड़े, या किस पार्टी को साथ में लेना पड़े लेकिन राष्ट्रीय सम्पत्ति को नष्ट करने का प्रयास करने वाली चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी हो या चाहे कांग्रेस हो—उसका हमें विरोध करना पड़ेगा और हम उसके लिये तैयार हैं, और हममें जितना जोर है वह राष्ट्रीय सम्पत्ति को बचाने में लगायेंगे और उससे कमजोर हम मजदूरों का संरक्षण करने में भी नहीं लगाने वाले हैं, यह मै आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके इस विश्वास में सन्देह है।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी जानकारी न होने की वजह से आपस में भिन्न भिन्न पार्टी के भिन्न भिन्न विचार बन गये, जनसंघ कम्युनिस्टों को दोष देता है और कम्युनिस्ट जनसंघ को दोष देते हैं ·····

श्री भैरोंसिंह : बीच में आप कहां से आ गये ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनको मौका मिल गया बीच में आने का।

श्री शिवनाथ सिंह : राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा का नाम लेकर जनसंघ के लोग कम्युनिस्टों को गाली देते हैं और कम्युनिस्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस की दुम से दुम बांध रहे हैं जनसंघ के लोग। वास्तव में जो बात है, वह मै आपको बताता हूं। वहां पर न तो राष्ट्रीय सम्पत्ति के नष्ट होने का सवाल था और न कोई दूसरा सवाल था। मजदूरों में जो एक ड्राइवर था उसका एक्सीडेन्ट हो गया। उसके बाद में मजदूरों ने डाक्टर को एप्रोच किया और उसको कहा कि आप इसकी चिकित्सा करिये। लेकिन वहां के डाक्टर, हो सकता है कि अपनी गलती से या किसी वजह से उसकी चिकित्सा नहीं कर सके और मजदूरों के डर से वहां से भाग गये। जब डाक्टर भाग गये तो उसके बाद में उस मजदूर को पिलानी ले जाया गया और जब वह पिलानी पहुंच गये तो वहां उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए वहां के मजदूरों में इससे रोष होना स्वाभाविक था। उसके बाद में ही वहां स्थिति बिगड़ी लेकिन फिर भी राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान होने वाली बात झूठ है। वहां के मजदूर सोचते थे कि उनके साथी की मृत्यु डाक्टरों की वजह से हुई है इसलिये उन्हें रोष व्यक्त करना पड़ा वहां के अधिकारियों के खिलाफ। इसके अलावा वहां कोई राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। न तो वहां के मजदूरों में कम्युनिस्टों का प्रवेश है·······

श्री भैरोंसिंह : यह अच्छा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : खतरा यही था।

श्री भैरोंसिंह : न वहां के मजदूरों में जनसंघ का प्रवेश है। वहां मजदूरों का संगठन है। इस बात को लेकर भले ही कम्युनिस्ट खुश हों कि वहां बलवा करा दिया। लेकिन उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। और जनसंघ के माननीय सदस्य को भी यह भय होने की जरूरत नहीं है कि वहां के मजदूरों में कम्युनिस्टों का प्रवेश हो गया है। वहां मजदूरों का संगठन है और वहां के मजदूर शांत रह कर काम करना चाहते हैं। उनके साथ क्योंकि ज्यादती हुई इसलिए उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए यह प्रश्न खड़ा किया। अब वहां स्थिति शांत है और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है इसलिए दोनों माननीय सदस्यों को और दोनों पार्टियों को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, वहां पर मजदूरों का अपना संगठन चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि खेतड़ी प्रोजेक्ट झुंझुनूं जिले में है और मैं झुंझुनूं जिले से आ रहा हूं, तो जब तीन माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की है, तो मैं भी दो मिनट में इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। यह मामला क्यों बढ़ा, इस बात पर किसी ने प्रकाश नहीं डाला है। जैसा कि बताया गया है, एक मजदूर के साथ दुर्घटना हुई और उसको सीरीअस इन्जरी होने की वजह से डाक्टर के पास ले जाया गया। एक डाक्टर इन्कार हो गया तो उसको दूसरे डाक्टर के पास ले जाया गया। वह डाक्टर भी इन्कार हो गया तो उसको लेडी डाक्टर के पास ले जाया गया, वह लेडी डाक्टर भी इन्कार हो गई। झगड़ा यह है कि तीनों डाक्टरों में लड़ाई हुई और तीनों डाक्टरों की लड़ाई की वजह से उस मजदूर का इलाज नहीं हो सका। तीनों डाक्टरों ने इन्कार कर दिया कि पिलानी साथ चलने के लिए वह तैयार नहीं है। उसके बाद में उसको पिलानी ले जाया गया और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। पिलानी के डाक्टर का मत था कि, क्योंकि इस मजदूर तो टाइमली फर्स्ट एड नहीं मिली, इसको खून नहीं मिला इसलिए यह मर गया। यह बात जब मजदूरों को मालूम हुई तो उनमें रोष फैलना स्वाभाविक था। पिलानी से वापिस उसको वहां लाया गया और उसका दाह संस्कार किया गया। उसके बाद में मजदूरों में रोष फैला कि डाक्टरों की वजह से हमारा एक साथी मर गया। यह रोष फैला और इस रोष के फैलने की वजह से कुछ लोगों ने कह दिया कि यह उस डाक्टर को समझना चाहिए। वह डाक्टर के मकान की तरफ गये। डाक्टर उनको सामने से आता मिल गया मजदूरों का ट्रक सामने से आ रहा था। उसने उसको रोक लिया। डाक्टर उनको देखकर भाग गया वह भाग गया इसलिए, लोग फिर लेडी डाक्टर जो थी उसके पास गये। वह भी भाग गई। फिर जो तीसरा डाक्टर था उसके पास गये तो वह भी भाग गया। फिर यह किस्सा बना और यह किस्सा बनने के बाद मामला शांत हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि पुलिस के अन्दर इसकी रिपोर्ट दी गई। वहां इस समय तीन यूनियनें काम कर रही हैं और उन तीनों यूनियनों में आपस में झगड़ा है। मैनेजमेंट ने सबसे बड़ी समझदारी इसमें यह की थी कि दो यूनियनों को अपने कब्जे में कर लिया।

(श्री रामनारायण चौधरी)

इसलिए जो वास्तव में दोषी थे जिन्होंने दोष किया था उनको तो मैंनेजमेंट ने बचा लिया और जिन्होंने दोष नही किया था, उनके नाम लिखा दिये। इससे स्थिति बिगड़ी, किस्सा बनने लगा। तो जो वास्तव में दोषी थे उनके बारे में मैंने वस्तु स्थिति की जानकारी की है, मैं वहां गया हूं और मैंने मजदूरों से बात की हैं।

इसके अलावा यहां पर जो आरोप लगाये गये हैं उसके बारे में मेरा निवेदन है कि उन मजदूरों में न तो जनसंघ ने प्रवेश किया है और न कम्युनिस्टों ने प्रवेश किया है। वहां पर सब के सब मजदूर मेन्टेलिटी के आदमी है। वह मजदूर वहां राष्ट्रीय विचारों से प्रभावित है। तो जो स्थिति है वह मैंने आपके सामने रखी है, यह स्पष्ट स्थिति है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय !

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्रीजी, यह भी और बता दें कि डाक्टरों के बारे में माननीय सदस्य ने रोशनी डाली है कि उसको सही वक्त पर फर्स्ट एड न देने के कारण उसकी मृत्यु हुई है·········

श्री रामनारायण : यह सही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है ? क्या सरकार ने उन डाक्टरों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है जबकि वह राजस्थान स्टेट के सर्वेन्ट्स हैं·····

श्री रामनारायण : नहीं, राजस्थान स्टेट के नहीं हैं।

श्री खेतसिंह : मैं सब कह दूंगा। आप विराजो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न था, जो माननीय गाडिया जी ने इसमें बातें लिखी थी, उनके बारे में सारी सूचना मैंने पहले दे दी थी। उसके बाद में माननीय गाड़ियाजी ने इस का बैकग्राउन्ड बतलाने का प्रयत्न किया, उसके विषय में मेरे पास जिलाधीश और एस. डी. ओ. की रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं निवेदन कर रहा हूं कि वहां के मजदूर डाक्टरों के वर्ताव से नाराज थे और इस वजह से उनके अंदर कुछ असंतोष फैला हुआ था। तारीख एक, दो को यह घटना घट गई यह ड्राईवर नन्दलाल जहां प्रोजेक्ट की गाड़ियां खड़ी हुआ करती थीं वहां पर तीन ड्राईवरों के साथ खड़ा हुआ बात कर रहा था। इतने में दूसरी तरफ से ट्रक······—

श्री देवीदत्त गाड़िया : तीन स्टेशन वैगन आई।

श्री खेतसिंह : यह बैकग्राउन्ड है जो मैं बता रहा हूं।

जो दूसरा ट्रक आया, उसके और इसके बीच में नन्दलाल के आ जाने की वजह से नन्दलाल के पैर पर चक्का चला गया और उसका पैर कुचल गया, उससे खून बहुत निकला और बहुत बुरी तरह वह घायल होगया। उसके बाद उसे वहां अस्पताल में ले जाया गया तो डाक्टर ने देख कर कहा कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, इसको आप पिलानी लेजाइये। उसके बाद वह पिलानी ले जाने के लिए रवाना हुए तो मजदूरों ने कहा कि आप इसके साथ

(श्री खेतसिंह)

जाइये। डाक्टर ने कहा कि इसके साथ जाने को कम्पाउन्डर काफी है और कम्पाउन्डर साथ जायगा। इस प्रकार से कम्पाउन्डर साथ गया। वहां पर लेजाने पर चूंकि उसका खून बहुत निकल गया था, उस ड्राईवर की डेथ हो गई। उसकी डेथ हो जाने पर पिलानी के डाक्टर ने रिपोर्ट दी कि चूंकि वहां के, खेतड़ी प्राजेक्ट के डाक्टर...... —.......

श्री दामोदर लाल व्यास : रिपोर्ट नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कहने दीजिये आप रोक क्यों रहे हैं ?

श्री खेतसिंह : उसने यह कहा, पिलानी के डाक्टर ने यह बात कही थी......

»→ श्री विजय सिंह : क्या कहा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या कहा ?

श्री खेत सिंह : वही बात कह रहा हूं। पिलानी के डाक्टर ने मजदूरों से कहा कि खेतड़ी प्राजेक्ट के डाक्टर ने परवाह नहीं की इसलिए इसकी मृत्यु हुई। इस पर वहां से................

श्री भैरोंसिंह : लिख करके तो नहीं दिया ?

श्री खेतसिंह : लिख कर नहीं दिया। मजदूरों को कहा। उसके बाद में वह लोग लाश को लेकर प्राजेक्ट में आये, ट्रक में सारे मजदूर भर कर उस लाश को वहां लाये और वहां लाने के बाद उसका दाह संस्कार किया....

श्री देवीदत्त गाड़िया : पोस्ट मार्टम भी हुआ है।

श्री खेतसिंह: पोस्ट मार्टम भी हुआ है। पोस्ट मार्टम वाले डा० ने भी जबानी यह बात कही है। पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट क्या है, वह इस वक्त मेरे पास नहीं है। उसके बाद में उसका दाह संस्कार हो गया। उसके बाद मजदूरों के अन्दर यह बात चली कि डाक्टर की गलती की वजह से इसकी डेथ हुई, तो लिहाजा मजदूरों ने शामिल होकर हास्पीटल को चारों तरफ से घेर लिया। इस पर वहां के मैनेजमैंट को शिकायत हुई और मजदूरों ने कहा कि फौरन से इस डाक्टर को सस्पेन्ड किया जाय। उस डाक्टर का नाम था, डाक्टर सहाना, जो इन्चार्ज है, उसको सस्पेंड करने के लिए मैनेजमेंट ने हां कर दिया। मैनेजमेंट ने कह दिया कि इसको सस्पेन्ड करते हैं। उसके बाद में मजदूरों ने कहा कि श्रीमती लाल को भी सस्पेन्ड किया जाय तो इस पर मैनेजमेंट द्वारा श्रीमती लाल को भी सस्पेन्ड करने के आदेश दे दिये गये। इसके बाद में मजदूरों ने कहा कि डाक्टर मुखर्जी को भी सस्पेन्ड किया जाय, तो इस पर मैनेजमेंट ने कहा कि डाक्टर मुखर्जी तो उस रोज छुट्टी पर थे और वह हाजिर नहीं थे तो उसका कसूर नहीं है, उसको सस्पेन्ड नहीं करेंगे। इस पर वहां उत्तेजना फैल गई और उसके ऊपर यह वाकयात हुआ, वह मैने आपको पहले नरेट किया है। वह आपने खुद ने भी माना है कि पुलिस को घेर लिया और मजदूर उत्तेजना में आ गये। आप यह स्वयं मानते हैं। उसके बाद में मैंने यह बात कही की कुछ पुलिस वालों को चोट आई पुलिस वालों के चोट तो आई ही, डाक्टरों के भी चोट आई। मजदूरों ने यह कर दिया

(श्री खेतसिंह)

तो अश्रु गैस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए चलाई गई और कार्यवाही की गई। उससे भीड़ तितर-बितर हो गई और खेतड़ी में शांति हो गई। वहां अब भी शांति का वातावरण है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप अब भी कोई ऐसा प्रयास न करें जिससे की वहां पर वातावरण बिगड़े।

श्री मदनसिंह : आपने कहा कि वह डाक्टर छुट्टी पर था। अगर वह छुट्टी पर भी था और इतना बड़ा मामला हो तो क्या यह उसका फर्ज नहीं था कि वह वहां आये ? क्या यह नियम है कि डाक्टर छुट्टी पर था और एक पर्सन मर रहा था तो वह उसकी देख भाल भी न करे ? क्या ऐसा नियम है ?

(1. म. प.)

श्री खेतसिंह : देखिये ! ऐसा है नियम तो यह है कि डाक्टर को मालूम हो जाय तो डाक्टर को आना चाहिए। यह डाक्टर का फर्ज है, लेकिन प्रश्न यह है कि डाक्टर खेतड़ी में था या बाहर था इसकी इत्तिला मुझे नहीं।

श्री मदनसिंह : यह पता नहीं है तो जांच करके बताएं।

श्री खेतसिंह : मुझे पता नहीं।

श्री मदनसिंह : जांच करके इत्तिला दे दें।

श्री खेतसिंह : प्रोजेक्ट के डाक्टर, क्योंकि यह गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की अण्डर टेकिंग है, इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट के अण्डर में काम नहीं करते।

श्री मदनसिंह : यह तो स्काउट का भी फर्ज है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मजदूरों को कम्पन्शेसन देने की बात भी बतला दें।

श्री खेतसिंह : यह खेतड़ी प्रोजेक्ट के ताल्लुक का सवाल है। हम उन्हें लिखेंगे कि कम्पन्शेसन जल्दी मिले।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : आपने अपने केसेज वापिस ले लिये ? जिन मजदूरों को गिरफ्तार किया था, उनके केसेज वापिस ले लिये ?

श्री खेतसिंह : केस तो चालान हो गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चालान हो गया ?

श्री खेतसिंह : जी हां।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। यह केस चालान हो चुका है और इस समय जो बहस हुई और खास तौर से गाड़िया जी ने जो वक्तव्य दिया है वह मजदूरों के खिलाफ बहुत पड़ता है। उनके केस को प्रिजुडिस करता है, क्योंकि उनकी तरफ से आरोप पुलिस की तरफ से है कि मजदूरों ने पुलिस को घेर लिया था और यह घटनाएं की। क्योंकि माननीय गाड़ियाजी ने उस आरोप का समर्थन किया है और इस तरह से प्रासीक्यूशन विटनेस का इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है मैं निवेदन करूंगा कि जो भी माननीय गाड़िया जी ने कहा वह अव्वल तो बहस•••

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो बहस में कहा वह तो कह दिया। अब उसका क्या हो सकता है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अव्वल तो यह बहस नहीं होनी चाहिए थी यदि हुई है तो सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए माननीय गाड़ियाजी ने जो कुछ कहा है उसको ताकि केस प्रिजुडिस न हो।

श्री रामनारायण चौधरी : चालान पेश नहीं हुआ है। गिरफ्तार कर लिया है।

श्री अध्यक्ष : कोई चालान हुआ या नहीं, जैसा माननीय गृहमन्त्री ने कहा कि चालान हो गया उसको मानते हुए चूंकि अब केस उपस्थित हुआ है ऐसी स्थिति में जो वक्तव्य हुआ है और वक्तव्य दिया गया है, वह रिकार्ड पर रहेगा। उसको मैं निकालने की स्थिति में नहीं हूं। जहां तक मजिस्ट्रेट के प्रिजुडिस होने का सम्बन्ध है, मैं यह संकेत जरूर कर देता हूं कि जो वक्तव्य यहां पर हुए हैं उससे किसी अदालत को प्रिजुडिस होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा खयाल है, यह संकेत काफी रहेगा।

इन्जीनियरों की बेकारी से सम्बन्धित विषय पर श्रम मन्त्री, श्री बृजसुन्दर शर्मा का वक्तव्य

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक स्थगन प्रस्ताव उपस्थित किया था वह प्रस्ताव इंजीनियर्स की बेरोजगारी से सम्बन्धित है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्रीजी बहुत पहले इस बारे में वक्तव्य दे चुके हैं। इस समय में सदन के सम्माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों ने अपनी हड़ताल तत्काल समाप्त करने का फैसला कर लिया है तथा आज से कॉलेजों में फिर से पढ़ाई का कार्य प्रारम्भ हो जायगा। यह कदम सही दिशा में है तथा इससे वातावरण में सुधार होगा तथा समस्या पर सही तरीके से सोच विचार हो सकेगा। राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार इंजीनियरों की रोजगार की समस्या के प्रति जागरूक है..............

श्री विजयसिंह : माइक के सामने बोलिए जरा.........

श्री रामानन्द अग्रवाल : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष : सुनाई नहीं दे रहा है ? मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसके बारे में है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह पहले आ चुका है। लेकिन बेरोजगारी की समस्या को लेकर एक अलग स्थगन प्रस्ताव किया गया उसका जवाब उपस्थित कर रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इंजीनियर्स को ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जी हां।

श्री विजयसिंह : माइक के सामने क्यों नहीं बोलते ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपके कानों में खराबी हो तो मैं क्या करूं ?

श्री विजयसिंह रावत : मेरे कानों में खराबी नहीं है लेकिन आपको क्या आपत्ति है कि माइक के सामने मुंह न करें ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इंजीनियरिंग कालेजों के छात्रों ने अपनी हड़ताल तत्काल समाप्त करने का फैसला कर लिया है तथा आज से कालेजों में फिर पढ़ाई का कार्य प्रारम्भ हो जाएगा। यह कदम सही दिशा में है तथा इससे वातावरण में सुधार होगा तथा समस्या पर सही तरीके से सोच विचार हो सकेगा।

राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार इंजीनियरों की रोजगार की समस्या के प्रति जागरूक है तथा इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। वर्तमान आन्दोलन मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों द्वारा किया जा रहा था जो आज से दो, तीन या चार वर्ष बाद इंजीनियर बनेंगे। सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है तथा आशा है कि जब तक ये नवयुवक इंजीनियर रोजगार के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, तब तक उनके लिये समुचित रोजगार साधन उपलब्ध हो सकेंगे।

राज्य के शिक्षा मन्त्री जी इस विषय में एक वक्तव्य दे चुके हैं। राज्य सरकार ने इस समस्या पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति का भी गठन किया है जिसकी सिफारिशें विचाराधीन हैं। भविष्य में इंजीनियर बनने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात उनकी मांग के अनुरूप रखने की गर्ज से इंजीनियरिंग कालेजों की भर्ती की संख्या में कमी करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

रोजगार का प्रश्न मूलरूप से आर्थिक साधनों से सम्बन्धित है। सरकार तो समाज के सभी अंगों के लिये रोजगार के साधनों में वृद्धि करने की दिशा में प्रयत्नशील है। इंजीनियरों के प्रति भी सरकार की पूर्ण सहानुभूति है, किन्तु किसी वर्गविशेष के लिये रोजगार देने की अग्रिम गारन्टी दे देना सरकार के लिये न तो संभव है और न व्यावहारिक ही है।

पिछले कुछ समय से इंजीनियरों के रोजगार साधनों में कुछ कमी दृष्टिगोचर हुई है किन्तु यह परिस्थिति अस्थाई है। पिछले दो सालों में सूखे की स्थिति से कृषि क्षेत्र में जो कठिनाइयां हुई हैं उनकी वजह से राष्ट्रीय आय तथा वित्तीय साधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्रों में भी मन्दी के आसार आये हैं। वित्तीय साधनों की कमी की वजह से योजना कार्यक्रमों में कटौतियां हुई हैं तथा उद्योगों में भी मांग की कमी तथा पूंजी नियोजन की कुछ कठिनाइयां पैदा हो गई थीं। इन परिस्थितियों का प्रभाव इंजीनियरिंग उद्योग पर विशेष हुआ। इन सब कारणों से इंजीनियरों की मांग में पहले के मुकाबिले अस्थाई-रूप से कुछ कमी आ गई है। यह समस्या देशव्यापी है तथा राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार इसके प्रति जागरूक है।

Page No.57

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

किन्तु पिछले महीनों में स्थिति में परिवर्तन के लक्षण दृष्टिगोचर हुये हैं। इस साल की फसल अच्छी होने से जहां खाद्य पदार्थों की उपलब्धि पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा वहां वित्तीय साधनों पर तथा औद्योगिक उत्पादन पर भी इसकी अनुकूल प्रतिक्रिया होगी। औद्योगिक उत्पादन में गतिशीलता आने से सामान्य रोजगार के साधनों तथा विशेष-रूप से इंजीनियरों के रोजगार अवसरों में फिर वृद्धि होगी।

केन्द्रीय वित्तमन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में यह विचार व्यक्त किया है कि अगले वर्ष औद्योगिक उत्पादन में पांच-छः प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है। उद्योगों में फिर से प्रगति का वातावरण भी बन रहा है। हाल ही में हमारे पूंजीगत माल बनाने वाले उद्योगों ने विदेशों से काफी कीमत के माल निर्यात करने के आर्डर प्राप्त किये हैं तथा रेल के डिब्बे, पटरियों व इस्पात की बनी अन्य इंजीनियरिंग उद्योगों से संबंधित सामग्री के आर्डरों में वृद्धि से इन क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि की आशायें हैं, जिससे इंजीनियरों के रोजगार साधनों में अवश्य वृद्धि होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जितनी बातें कही हैं उनमें राज्य सरकार की ओर से रोजगार दिलाने के बारे में क्या कांक्रीट स्टेप्स लिये जायेंगे? क्या एम्प्लायमेंट की पासिबिलिटी क्रियेट हो जायेंगी? इसके बारे में कोई बात नहीं बताई गई। माननीय शिक्षामन्त्री जी ने वक्तव्य दिया था तो उन्होंने एक कमेटी का उल्लेख किया था कि एक कमेटी इस बारे में विचार कर रही है। उस समय कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा था कि उस कमेटी ने शायद अपना प्रतिवेदन दे भी दिया है। हम जानना चाहेंगे कि ऑल इण्डिया पैमाने पर तो बताया गया है और कल जो बजट भाषण हुआ है केन्द्र में उसमें कुछ पासिबिलिटीज भी बताई गई हैं। तो इस प्रकार की पासिबिलिटीज तो हर बजट भाषण में बताई जाती हैं और ८ तारीख को हमारे यहां भी बताई जायेंगी लेकिन नतीजा क्या होता है? वह हमें सामने दिख रहा है। अब क्या कांक्रीट स्टेप्स ले रही है राजस्थान सरकार? जो इंजीनियर्स अपने कालेजों से निकलेंगे, अपने तीनों कालेजों से, क्या उन सबको आप काम पर लगा पायेंगे या नहीं लगा पायेंगे? क्या कांक्रीट स्टेप्स होगा आपका? क्या आपने कोई कदम सोचा है? एक बात, दूसरी बात यह कि जो योजनाओं के अन्दर कटौतियां करने के कारण बेरोजगारी हुई, जैसे राजस्थान केनाल की एक सेक्शन को बन्द कर दिया गया है और पी०डब्ल्यू०डी० के बहुत सारे काम बन्द पड़े हैं। तो उस दिशा में कोई कांक्रीट स्टेप लिया है या लोगों को आश्वासन दिया है या आज दे सकते हैं कि यह एक्शन है जिससे इंजीनियर्स को नेक्स्ट ईयर रख लेंगे। ऐसी कोई हालात पैदा कर दी हो या कोई ऐसी कांक्रीट बात हो तो कहें। आपके वक्तव्य में तो कोई ठोस बात नजर आती नहीं।

श्री भैरोंसिंह : एक बात मैं जानना चाहूंगा, विद्यार्थियों को आपने किस प्रकार का आश्वासन दिया है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो आश्वासन दिया है, वह पहले बहस में आ चुका है।

Page No.58

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार का जो निर्णय होगा वह ८ तारीख को बजट स्पीच में आ जायगा।

श्री सहदेव (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार के सामने ऐसी स्थिति स्पष्ट है कि जोधपुर इन्जीनियरिंग कालेज के जो पिछले दो साल के रिजल्ट्स निकले हैं, वे सब लोग बेकार घरों में बैठे हुए हैं, उन लोगों को कोई रोजगार नहीं दिया गया है, वे लोग बेकार घर बैठे हुए हैं, क्या सरकार उन्हें निर्वाह भत्ता देने की व्यवस्था करेगी ?

ऐसी स्थिति होते हुए भी भरतपुर और जयपुर में पोलीटेक्निक कालेज खोले हैं, इसका मतलब यह है कि बढ़ती हुई बेकारी से वाकिफ होते हुए भी इस समस्या के संबंध में सरकार सजग नहीं है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि ५३–५४ में सरकार ने एक आदेश निकाला था कि बी क्लास के इन्जीनियर्स को सरकारी ठेकेदार अपने यहां एम्प्लाय करें, काम पर लगावें, इस सम्बन्ध में आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ?

चौथी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि इलेक्ट्रीकल साइड में जो लड़के बेकार बैठे हुए हैं, उनको काम दिलाने के लिये सरकार बड़ी-बड़ी प्राइवेट कन्सर्न्स और ठेकेदारों को क्यों नहीं मजबूर करती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इन सुझावों के लिये धन्यवाद।

श्री सहदेव : सुझाव नहीं, मैं तो आप से पूछ रहा हूं कि इन बातों के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिस पर अब तक सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है, जो अभी सरकार के विचाराधीन हैं, जिसका जवाब आज नहीं दिया जा सकता, उस पर मैं वक्तव्य नहीं दे सकता। जो निर्णय होंगे वे सदन के सामने आ जायेंगे।

श्री सहदेव : मैं तो पूछता हूं कि दो साल से लड़के बेकार बैठे हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में व्यवस्था

(1) श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, श्री भैरोंसिंह, श्री केदारनाथ व श्री देवीदत्त गाड़िया ने राजस्थान मेडिकल कालेज के प्रथम एम.बी.बी.एस.के विद्यार्थियों जिनकी परीक्षाएं दिसम्बर, 1967 में हुई थीं, उनमें अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को पूर्व के अनुसार पूरक परीक्षा के लिये दो बार तीन-तीन माह की अवधि न दी जाकर केवल एक ही अवसर दिये जाने सम्बन्धी राजस्थान विश्व विद्यालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) कस्बा नोहर में तारीख 26-2-68 को रात्रि के 8 बजे किन्हीं अज्ञात गुण्डों द्वारा एक सिन्धी नौजवान को एक मोहल्ले में सड़क पर पीछे से पकड़ कर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी तथा उस नौजवान को जब अस्पताल में ले जाया गया तो दो घन्टे तक स्थानीय अस्पताल के डाक्टर द्वारा उस नौजवान के बयान स्वयं ने ले लिये किन्तु पुलिस या मजिस्ट्रेट को नहीं बुलाया गया। स्थानीय पुलिस अधिकारी 24 घन्टे तक उस स्थान का मौका भी देखने

(श्री अध्यक्ष)

के लिए नहीं गये तथा उस नौजवान की मृत्यु हो गई। इस स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य ने दी है।

उपरोक्त दोनों मामले इतने अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जा कर इन पर विचार किया जाय किन्तु फिर भी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं सम्बन्धित माननीय मन्त्रियों से निवेदन करूंगा कि वे इनके सम्बन्ध में सुविधानुसार आज या सोमवार को स्थिति को स्पष्ट करते हुए वक्तव्य देने की कृपा करें।

(3) एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री महेन्द्रसिंह, सदस्य विधान सभा ने दी है जिसमें उन्होंने ग्राम खेड़ली, पंचायत जतोदा के एक ग्रामीण व्यक्ति द्वारा गरीबी के कारण इलाज न कराए जाने से आत्महत्या करने का उल्लेख किया है।

(4) एक और प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल से मिली है जिसमें उन्होंने अलवर जिले में वक्फ सम्पत्ति पर नाजायज कब्जा करने एवं सरकारी अधिकारियों के गलत रवैये के कारण उत्पन्न साम्प्रदायिक स्थिति का उल्लेख किया है।

ये मामले अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं। अतः मैं इन्हें सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर मैं निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(5) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने अलवर शहर में रसिक मार्केट में गुण्डों द्वारा किये गये उत्पात के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है इसलिये मैं इसे सदन में रखने की अनुमति नहीं देता किन्तु मैं सम्बन्धित मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर सुविधानुसार कल या सोमवार को वक्तव्य दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : साम्प्रदायिक मामले वाले पर भी वक्तव्य होगा ?

श्री अध्यक्ष : मैंने उसे अस्वीकार किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अस्वीकार तो सब को किया है।

श्री अध्यक्ष : रसिक मार्केट से संबंधित स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य का कहा है, इस पर वक्तव्य का नहीं कहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मेरा यह निवेदन है कि जिस सम्बन्ध में यह स्थगन प्रस्ताव दिया है, भरतपुर, अलवर जिलों में 1947 में भयंकर साम्प्रदायिक दंगे हुए, लाखों लोग इधर से उधर गये थे। उस समय जो अल्पसंख्यक मुसलमान रहते थे, उनको बड़ी संख्या में इधर से उधर पलायन करना पड़ा, उनकी मस्जिदें वगैरह तोड़ दीं, अलवर में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तमाम मस्जिदें तोड़ दीं, कहीं तो मकबरे भी तोड़े, बहुत से स्थानों पर मार्केट या बिल्डिगें बना कर बस गये पर बहुत से स्थान........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं बीच में इस प्रश्न पर निवेदन करना चाहूंगा, मैंने इस स्थगन प्रस्ताव को लेकर स्वयं ने विचार किया और जो मुद्दे इसमें उठाये गये हैं, वे मुद्दे पहली सालों के हों या इस साल के हों पर जो स्थिति इस वक्त है, किन्हीं कारणों से हो, उसके सन्दर्भ में मैंने यह उचित नहीं समझा है कि यह प्रश्न सदन में लाया जाय। लेकिन मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि आप इस सम्बन्ध में स्वयं गृह मन्त्रीजी के पास बैठ कर इसका स्पष्टीकरण कर लें, मैं भी बीच में रहूंगा और भी माननीय सदस्य चाहें तो रह सकते हैं। यह सामयिक होगा। मेरा विचार है कि इस सन्दर्भ में इस प्रश्न को देखें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सूचना के लिए निवेदन कर दूं कि यह घटनाएं पुरानी नहीं हैं, अभी पिछले महीने एक मकबरे पर कब्जा करके मन्दिर बना दिया, एक मस्जिद को होस्टल बना रहे थे पर कलेक्टर ने रोक दिया। इस तरह की घटनाओं से तनाव पैदा हो रहा है। विशेषतौर से उन परिस्थितियों में जब कि देश के अन्दर रांची में, हल्दिया में, मेरठ में इस प्रकार के साम्प्रदायिक तनाव पैदा हुए, उनके पीछे इस प्रकार का एक बैक ग्राउन्ड था। उसी तरह का बैक ग्राउन्ड बना कर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो और आप चाहें कि सदन में नहीं आये, हम चाहते हैं कि हमें इस प्रकार की बातों को सदन में लाना ही नहीं पड़े, पर वास्तविकता यह है कि उच्च एडमिनिस्ट्रेशन में साम्प्रदायिक भावना है, मुसलमान माइनोरिटी में हैं, उनके बोलने में रुकावट की जाती है, मैं चाहूंगा कि सदन में उस पर बहस हो, दबाने की जरूरत नहीं है, सच्चाई सामने आनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने न आपका स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया है और न वक्तव्य का कहा है। मैंने निवेदन किया कि जितना स्पष्टीकरण करना चाहें, जहां तक अपराधों का सवाल है, मुझे सूचना मिली है कि दो चालान हुए हैं, जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सम्बन्ध है, या माइनोरिटीज के सम्बन्ध में ज्यादती अगर हो रही है, ये सारे प्रश्न गृह मन्त्रीजी के साथ बैठ कर आप जो व्यवस्था कराना चाहें वह व्यवस्था की जा सकती है। मेरा पुनः निवेदन है कि इस प्रश्न को सदन के प्रांगण में उठाने से लाभ के अतिरिक्त हानि होने की संभावना है, यह राष्ट्रीय स्थिति का प्रश्न है, इस स्थिति के सन्दर्भ में ज्यादा नहीं कहना चाहता। माननीय सदस्य इसे समझेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रकार की घटनायें होती हैं, अधिकारियों के पास पहुंच कर, मन्त्रियों के पास पहुंच कर ठीक कराने की कोशिश की, पर बावजूद पत्र लिखने के, व्यक्तिगतरूप से कहने के रवैया ऐसा दिखता है, जैसे उनके प्रति कह दिया जाता हो कि गाड़ी तुम इसी तरह चलाओ। अलवर में सैंकड़ों मस्जिदों को नष्ट कर दिया, सब पश्चात्ताप करते हैं। मेव बोर्डिंग हाउस बनाना चाहते थे, कलेक्टर के पास केस बना कर रख दिया और अपनी कोत-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वाली में वहां के कोतवाल ने मन्दिर बना लिया, सेकुलरिज्म के खिलाफ इजाजत नहीं दे सकते उसके लिये, वहां मस्जिद थी, इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट चल रहा है, रवैया चल रहा है। ये लोग महसूस करते हैं कि हम अपनी बात को यहां रखेंगे तो खतरा है, हमारे इलाके का एक आदमी था, राष्ट्रीय व्यक्ति था, मेरठ में इन दंगों में उसे मार दिया गया, वह वहां साधारणतौर पर गया था। इस प्रकार की घटनाएं हमारे इलाके में नहीं हों इसके पहले ही रोक दें। ऐसा नहीं हो कि चुप्पी साध कर इसको प्रोत्साहन दे रहे हों। मैंने अपनी आंखों से देखा है, रेल्वे स्टेशन की पुरानी सड़क पर मकबरा था, मैंने देखा, खोमारामजी ने देखा, जयकिशनजी ने देखा होगा, पिछले साल में मन्दिर बना दिया, स्टे आर्डर के बावजूद छत डाल दी। मै कहता हूं कि मुसलमानों की जो इस तरह से मांगें उठती हैं·········

श्री अध्यक्ष : इस पर स्थगन प्रस्ताव जो था मैंने अस्वीकार कर दिया। वक्तव्य देने के प्रश्न पर मैंने अपना मन्तव्य दिया कि नहीं दिया जाय। इन मुद्दों को माननीय सदस्य इस प्रांगण में उठा रहे हैं। मैंने उनसे आग्रह किया कि मुद्दे नाजुक हैं मैं फिर आग्रह करता हूं कि मैं आपको आमंत्रित करके गृह मंत्री के साथ में स्वयं बैठ कर, निराकरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में, विश्वास के सम्बन्ध में जो कुछ हो सकेगा करूंगा। मैं फिर निवेदन करता हूं कि यही बातें यहां नहीं उठाई जायं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अभी जो माननीय सदस्य अलवर से आये हैं उन्होंने जिस प्रकार की बातें कही हैं यदि वह बातें इसी समय अन्कन्ट्रोवर्टेड की जाती हैं तो उसके रिपरकशन्स बुरे होने वाले हैं। माननीय सदस्य ने शायद किसी गलत भावना से यह बात सदन में नहीं कही होगी, वास्तविक दर्द होगा लेकिन उनको मालूम होगा आज इस बात को लेकर पाकिस्तान रेडियो भारत की सेक्यूलरिज्म के खिलाफ·········

श्री अध्यक्ष : मेरे संकेत में भी यही भावना थी।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य ने आरोप लगाए कि मुसलमानों को मस्जिद नहीं बनाने दी, हिन्दुओं ने बिना इजाजत के मन्दिर बना लिए और मस्जिदों पर मन्दिर बना रहे हैं, आप चाहें तो कल पाकिस्तान रेडियो सुन लेना, निश्चितरूप से उस पर इस बात का प्रचार होगा। इसलिए यह बात अन्कन्ट्रोवर्टेड नहीं जानी चाहिए सरकार की ओर से गोपनीय रखा जाता है, लेकिन गोपनीयता नहीं रही, इसलिए उत्तर दिया जाना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिए जो सही तथ्य हैं मुझे सामने रखने का अवसर दिया जाना चाहिए·········

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपको इतना मौका तो दे दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मै यह चाहता हूं·······

श्री अध्यक्ष : आपने मेरी व्यवस्था से अलग रह कर प्रश्न उठाये हैं, उनका निराकरण होना आवश्यक है। मैं फिर उनके लिए मौका नहीं दूंगा। गृह मंत्री।

श्री दामोदर लाल व्यास (गृहमंत्री): अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही हैं वह बिल्कुल गलत है और गलत सूचना पर आधारित है और जैसी स्थिति उन्होंने अलवर में बताई है ऐसी स्थिति नहीं है। जिन शब्दों के अन्दर उन्होंने अपना स्थगन प्रस्ताव पेश किया था, उनसे मुझे यह आभास होता था लेकिन उनका जो तरीका है पेश करने का, वह ठीक नहीं था और उससे आपस में गलतफहमी पैदा होने की सम्भावना थी और इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाये, न बहस की इजाजत दी जाये। जैसे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं उनसे सहमत हूं जिस तरह की बात उन्होंने सदन में कही अगर उसको कान्ट्रेडिक्ट न किया गया, सही स्थिति नहीं बताई गई तो इसका गलत प्रचार होगा और उसके इण्टरनेशनल काम्पलीकेशन्स हो सकते हैं। इस लिए जो उन्होंने बात कही है मन्दिर और मस्जिद वाली, यह बिल्कुल गलत है और उसका कोई आधार नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोनसी गलत है ? क्या यह सही नहीं है कि कोतवाली अलवर में मन्दिर बना है ?

श्री भैरोंसिंह : आप तो मस्जिद और मन्दिर का विरोध करते थे आपको आपत्ति क्या हो गई ? आप कहते है कि कोतवाली में मन्दिर बना दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सबको मौका दिया जाना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने कानून बनाया है कि बिना परमिशन के कोई मकान नहीं बने ·······

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे यही कहना है कि नियमों का पालन सबके लिए होना चाहिए। एक तो बिना इजाजत के बनाये और दूसरा·······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य वह कन्ट्रोवर्ट किया जा रहा है।

श्री दामोदर लाल व्यास : कोतवाली में कोई नया मन्दिर नहीं बना है, पहले से मौजूद था।

श्री भैरोंसिंह : कोई भी नई बिल्डिंग सरकार बनाती हैं तो गणेश की पूजा होती है। भारतीय संस्कृति के अनुसार कोई नया मकान बनता है तो गणेशजी को पूजा होती है।

श्री मदनसिंह (सिरोही) : इन लोगों के जरिये ही तो असम के अन्दर मन्दिरों को तोड़ा गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसके भी हम उतने ही खिलाफ हैं। धार्मिक भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ चाहें हिन्दू हो चाहे मुसलमान····

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय ···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह रावत : इसका उत्तर तो आ जाय।

Page No.63

श्री अध्यक्ष : मैं डिबेट एलाऊ नहीं करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : डिबेट नहीं है। उत्तर तो ......

श्री अध्यक्ष : उत्तर का प्रश्न नहीं है। व्यवस्था के प्रतिकूल जो सवालात उठाये गये हैं उनका निराकरण होना आवश्यक था...

श्री विजयसिंह रावत : इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारे राज्य में......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य ने जो कहा है अपने प्रस्ताव में मुस्लिम मोस्क हिन्दू रिलीजस प्रोपरटीज के अन्दर कन्वर्ट की जा रही हैं—निराधार है। उन्होंने कहा है कि वहां के यू० आई० टी० के चेयरमैन के लिए उन प्रोपरटीज को कन्वर्ट कर रहे हैं, मैंने जांच कर ली है कलेक्टर की रिपोर्ट है आपके पास कापी भेज दी है। इसलिए यह बिल्कुल गलत है इसमें कोई आधार नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पुराने रेलवे रोड के लिए क्या कहते हैं जिसका मैंने स्पेसीफिक इन्स्टेंस दिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर किया है स्टेटमेंट देने की भी मनाही की है। केवल उन्होंने एक तथ्यहीन बात कह दी इसलिए स्पष्टीकरण करना है लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि इस बात पर डिबेट की जाय। आप चाहें तो अपने चेम्बर में इसका निराकरण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने स्पेसीफिक इन्स्टेन्स दी है उसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : जवाब सिर्फ यहां के प्रश्नों का है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो स्पेसीफिक इन्स्टेन्स उन्होंने बताया है, वह गलत है मन्दिर के लिए जो कहा वह भी गलत है। मस्जिद के लिए कहा है कि अलवर में मुसलमानों के लिए जगह नहीं हैं, रिलीजियस प्लेस नहीं है, उनके निमाज पढ़ने के लिए काफी इन्तजाम है किसी किस्म का तनाव नही है, किसी प्रकार की शिकायत नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मदरसे के बारे में जो मैंने कहा है उसका क्या कारण है ?

श्री दामोदर लाल व्यास : जहां कोई झगड़ा नहीं है, वहां आप झगड़ा पैदा करने की कोशिश न करें। जो तमाम बातें आपने अपने स्थगन प्रस्ताव में रखी हैं, सारी रिपोर्ट मैंने मालूम कर ली है। स्थगन प्रस्ताव में जो तथ्य रखे गए हैं गलत हैं, गलत सूचना पर आधारित हैं और मैं निवेदन करूं कि इस तरह की बातें कहकर उत्तेजना पैदा न करें, दोनों कम्युनिटीज के रिश्ते अच्छे हैं और उनको अच्छे रहने दें और कोई बात जानना चाहते हैं तो अध्यक्ष के चेम्बर में आ जायें।

श्री रामानंद अग्रवाल : बजाय मंत्री महोदय उत्तर देते उन्होंने मुझ पर आरोप लगाने की कोशिश की है।

श्री अध्यक्ष : मैं कोई स्पष्टीकरण और डिबेट आगे के लिए नहीं देने दूंगा।

श्री रामानंद अग्रवाल : × ×

× × ×

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज किया गया। आर्डर प्लीज।

श्री रामानंद अग्रवाल : × × ×

× × ×

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज किया जाये भाषण को। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री खेतसिंह (उपमंत्री गृह) : यह जनहित में नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह (पिपल्दा) : मेरा प्रस्ताव था उस व्यक्ति के बारे में कि अपने जीवन निर्वाह में असमर्थ पाकर और असमर्थता के कारण आत्महत्या करने पर उतारू हो जाय और राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब न दिया जाय, मंत्री द्वारा जवाब न दिया जाय कि यह व्यक्ति गरीबी के कारण असमर्थ रहा, और किसी प्रकार की व्यवस्था जीवन निर्वाह की न होने के कारण अपने आप आत्महत्या की है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सब माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहूंगा ऐसे मसलों पर जो सीमा से सम्बन्ध रखते हों, सीमावर्ती राज्य में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया हो अपने स्थगन प्रस्ताव न रखें। ऐसी बातों से फूट पड़ सकती है जिसमें हमारी मनोवृत्ति दुखदायी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा मिलटरी के मामले में और सीमा सुरक्षा के मामले और अन्य जो इससे सम्बन्धित मामले हैं, माननीय सदस्य पहले माननीय अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में बतायें और वहां इस बात को रखें जिससे सीक्रेट बात की जा सके और जिसमें देश की सिक्योरिटी को मेन्टेन किया जा सके, प्रान्त की सिक्योरिटी लूज न हो और जिससे हमारी विदेश नीति में फरक न पड़े। अपने दल की तरफ से मैं यह सुझाव रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका सुझाव राष्ट्रीय हित में है।

ध्यानआकर्षण प्रस्ताव (स्टाफ के सदस्यों की ओर मुखापेक्ष करके) किसका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है——वह तो अस्वीकार किया है।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान में गरीबी से, भूख से मर जाय। इस प्रकार के आरोप लगाये हैं सरकार पर। और सरकार जवाब न दे, यह तो अच्छी बात नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : लगे रहने दीजिये।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पुष्कर क्षेत्र का एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : मैं देखूंगा।

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

Page No.65

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार आपको निवेदन कर चुका हूं मेरे भी 4 स्थगन प्रस्ताव हैं। एक मूर्तियों की चोरी के बारे में है दूसरा 4–5 साल से एक एस० डी० एम० की पोस्ट खाली पड़ी है और तीसरा......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपके पुराने स्थगन प्रस्ताव हैं। अब मुझे मालूम नहीं जो व्यवस्था मैंने दी है, उसमें ये हैं या नहीं।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, आपने यह सूचना दी थी कि उसका उत्तर माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिलवा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगर अभी की व्यवस्था में नहीं है तो मैंने दूसरी व्यवस्था में स्टेटमेंट का प्रावधान रखा है, उसमें शीघ्र फिक्स-अप करने की चेष्टा करूंगा।

ध्यान-आकर्षण-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, कुछ गांवों में एक अपेडेमिक नाम की बीमारी ऊंटों में फैली हुई है। मैं उसके बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। हम सभी जानते है कि पशुधन राष्ट्र की सम्पति है। पिछले दो-ढाई महीने से मेरे क्षेत्र में और उसके आस पास गरीब आदमियों के ऊंट बीमारी से मर गये हैं उस बीमारी को सुर्रा नाम की बीमारी कहते हैं। इस बीमारी से कई ऊंट मर गये हैं लेकिन राज्य सरकार कोई इलाज की व्यवस्था नहीं कर रही है। मेरे पड़ोस में ऊंटा बोरा नाम का गांव है जहां पर एक व्यक्ति के पास 20 ऊंट थे, उनमें से इस बीमारी से उसके 16 ऊंट मर गये केवल चार ऊंट बचे हैं। 100 के आस पास इन गांवों में ऊंट मर चुके है। इसके लिए पहले एक इन्जेक्शन आया करता था, उस इन्जेक्शन का नाम (Antricide frosalt) था। अब यह इन्जेक्शन वहां की डिस्पेन्सरी में नहीं है और न ही आस पास कहीं मिल रहा है। उसको प्राप्त करने के लिये बेचारे गांव वाले मारे मारे इधर-उधर फिर रहे है लेकिन वह इन्जेक्शन प्राप्त नहीं होता है। पाली में केवल एक व्यक्ति को दो इन्जेक्शन मिले किन्तु व्यापारी ने उसकी बहुत अधिक कीमत मांगी। बेचारा वह गरीब उसको मुंह मांगी कीमत देकर आया। उससे वह दो ऊंटों की जान बचा पाया। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह 15 तारीख को सूचना मिली थी। मैंने उसके बाद डाइरेक्टर साहब को टेलीफोन करके सूचना दी तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार के इन्जेक्शन हमारे पास आते नहीं हैं। वे फॉरन से आने पर ही कुछ कर सकते हैं। मैंने पशु पालन मंत्री महोदय से भी निवेदन किया लेकिन मुझे अफसोस है कि उन्होंने मुझे बताया कि हमने जांच कर ली है और वहां इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। होना तो यह चाहिये था, अध्यक्ष महोदय, कि उस बीमारी की दवा का आवश्यक प्रबन्ध करते, किन्तु उन्होंने कोई दवा का प्रबन्ध नहीं किया और जब मैंने मंत्री महोदय से जिक्र किया तो उन्होंने बताया की अभी तक कुछ न होकर जांच के बारे में और लिखा है, ऐसा जवाब मिला है कि वहां इस प्रकार की बीमारी ही नहीं है। मैं निवेदन करूंगी कि अगर इस प्रकार की गलत ढंग से

[श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूँडावत]

रिपोर्ट मिली है, उस जांच को आप ठीक तरह से करवायें । मै माननीय मंत्री के साथ चलकर बता सकती हूं कि वहां क्या हालत है । वहां कई लोग कहते हैं, हमारे सॉड मर रहे हैं, कई लोगों की शिकायत है कि हमारे ऊंट मर रहे हैं । राजाखेड़ा आसींद तहसील में पड़ता है, वहाँ पर 10—15 ऊंट इस बिमारी से मर गये । ऊंटा बोरा जो मेरे क्षेत्र के समीप है वहां पर इस प्रकार से ऊंट मारे गये हैं। एक व्यक्ति के 20 ऊंट थे, जिनमें से 16 ऊंट मारे गये । अब उस बेचारे गरीब के पास केवल 4 ऊंट बचे हैं । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि वहां पर इन्जेक्शन को भेजने का शीघ्र प्रबन्ध करें । अगर वह इन्जेक्शन नहीं मिलता है तो फारन एक्सचेन्ज के लिये जो 50 हजार रुपया सरकार कर रही है उससे मंगवायें या कोई इसका सब्स्टीट्यूट हो, उसको मंगवायें या चाहे कहीं उत्तरी राजस्थान में किसी डिस्पेन्सरी में हो तो उसका पता लगाकर इस क्षेत्र में भिजवायें । पश्चिमी राजस्थान का यह वह भाग जहां पर ऊंट अच्छी नस्ल के होते हैं। एक गरीब पशु पालक के 16 ऊंट मर जाते हैं तो वह बेचारा क्या भविष्य में कर पायेगा । एक ऊंट की कीमत करीब एक—डेढ़ हजार के होती है । इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि इन्जेक्सन या कोई सब्स्टीट्यूट मंगवाकर वहां भेजा जाय और जिसने गलत रिपोर्ट दी है उसकी जांच कराई जाय ।

(माननीय अध्यक्ष ने माननीय पशु—पालन मन्त्री, श्री शोभाराम की ओर मुखापेक्ष करके उत्तर देने के लिये इशारा किया:)

श्री शोभाराम (पशु-पालन मन्त्री) : माननीय अध्यक्षजी जो माननीय सदस्या ने ध्यान आकर्षण किया है । खास तौर से ऊंटों की बिमारी के बारे में । यह सही है जो दवायें एन्टीपोर और नागापोर पहले उपलब्ध होती थीं वह बिना किसी असुविधा के और कठिनाई के खुले बाजार में मिलती थीं और ये दोनों दवा इस रोग पर एक असर रखती थीं । अब कुछ दिनों से इसके बेचने पर प्रतिबन्ध लग गया और इस कारण इसका बाजार में अभाव हो गया । जहां तक हमारे लेवल पर इन दवाओं को उपलब्ध कराने का प्रश्न है, हमने भारत सरकार को 50 हजार की विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने हेतु लिखा है और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार के जो सम्बन्धित मंत्री हैं, उनके पास मैं स्वयं जाकर विदेशी मुद्रा किस प्रकार से जल्द से जल्द उपलब्ध हो इस बात के प्रयत्न करूंगा और मैं आपको यह भी बता दूं कि दूसरी कोई आल्टरनेट मेडीसन इस रोग के लिये इतनी कोई प्रभावकारी नहीं है जो कि इस प्रकार के रोग से ऊंट मर जाते हैं, उनकी जान बचा सके ।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्या ने यह रखा कि देवगढ़, आसीन्द एवं मांडल वगैरह तीन तहसीलों के कुछ गांवों में इस रोग का प्रकोप हुआ आस पास में जैसा कि उन्होंने कहा उनको विशेष जानकारी है । मैं इस बारे में दो बातें कर सकता हूं जल्दी से जल्दी अगर माननीय सदस्या का कोई कार्यक्रम हो तो उनके साथ या, नहीं तो किसी जिम्मेदार अधिकारी को वहां पर भेजा जायगा इसके लिये मैं उनसे चाहूंगा कि वे मुझे एक सूची दे दें जिन गांवों में यह रोग

[श्री शोभाराम पशुपालन मंत्री]

भयंकर रूप से फैल रहा है और जिसके परिणाम स्वरूप पचास या सौ पशुओं की हानि हुई है। उनकी लिस्ट के आधार पर मैं जानकारी कराऊंगा। इसके अलावा जो सूचना अधिकारी वर्ग ने मुझको दी है वह यदि जांच के आधार पर गलत साबित होती है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कोई न कोई कार्यवाही की जायगी। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हुं कि नीचे के स्तर के अधिकारियों ने उस ओर तवज्जह न दी हो यह मैं विश्वास करके नहीं चलता। इसके सिवाय इस मर्ज का इलाज न हो इस बात से उन्होंने तवज्जह न दी यह गलत है। जितना इलाज हो सकता है किसी भी संबन्धित क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की बीमारी के फैलने की सूचना हो उसकी तुरन्त इत्तला हमें मिलनी चाहिये संबंधित उच्च अधिकारी को मिलनी चाहिये भविष्य में इस प्रकार के आदेश दे दिये जायेंगे। इस बार मैं समझता हूं हम सजग हैं और जल्दी से जल्दो आवश्यक कार्यवाही करेंगे मुझे इतना ही कहना है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जैसलमेर या बीकानेर किसी डिस्पेन्सरी से ये दवायें मंगाकर वहां पर भिजवा सकते हैं।

श्री शोभाराम : यह दवा बहुत कम मात्रा में रह गई है और जहां भी यह रह गई है वहीं पर उसका इस्तेमाल हो सकता है। यह बीमारी देवगढ़ या आसीन्द क्षेत्र तक सीमित नहीं, इन दवाइयों का अधिक मात्रा में इस्तेमाल होता है वहीं पर दवायें भेजी जाती हैं फिर भी मैं जानकारी कर लूंगा। लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है यह दवा हमारे पास में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिजीनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा आज रेवेन्यू लेण्ड कमीशन की रिपोर्ट पर वाद विवाद करने का तय किया गया था लेकिन कई माननीय सदस्यों ने कहा है लेण्ड रेवेन्यू कमीशन पर विवाद आगे के लिये रख दिया जाय तो उत्तम होगा इसलिये मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

विधायीकार्य राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक 1968

श्री अध्यक्ष : दूसरा राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड विधेयक, और उदयपुर विश्व विद्यालय विधेयक इन दोनों को आज लेना चाहता हूं मैं समझता हूं यह माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित होगा। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग विधेयक के बाद उदयपुर विश्व विद्यालय विधेयक को लिया जायगा।

(1.43 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री अमृतलाल यादव (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान खादी ग्रामोद्योग विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : पोइन्ट आफ आर्डर सर, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले सदन के अन्दर माननीय मंत्री जो, ग्रामोद्योग विधेयक विचारार्थ रखने जारहे हैं उनके बारे में सदन में काफी वाद विवाद चला है। राजस्थान दलित वर्ग संघ के जब आप चेयरमेन थे ......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

श्री विजयसिंह रावत : यह तो भूमिका है। उस समय वाद विवाद में इनके ऊपर आरोप लगाये गये कि इन्होंने दलित जाति संघ वालों से किराया लिया उसका मंत्री महोदय की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। आज वे ही मंत्री ग्रामोद्योग विधेयक ला रहे हैं जिनके विरुद्ध इस प्रकार के आरोप हैं इसकी जनता में क्या प्रतिक्रिया होगी इन सारी बातों को सामने रख कर यह जो विधेयक इनके द्वारा रखा जारहा है उसके लिए इजाजत नहीं दी जानी चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : पोइन्ट ऑफ आर्डर सर।

श्री विजयसिंह रावत : एक पोइन्ट ऑफ आर्डर पर दूसरा पोइन्ट ऑफ आर्डर नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं, ऐसे मंत्री पर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं यह विधेयक पेश करने की अनुमति न दी जाय।

श्री अमृत लाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य जरा संयम से काम लें मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक बात मेरे बारे में उठी थी मेरी गैर मौजूदगी में उस पर मैंने कहा था मैंने कोई किराया नहीं लिया।

श्री विजयसिंह रावत : उसके बारे में प्रमाण पेश किये थे, यह सब जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपन्ज।

श्री अमृतलाल यादव : एक दम गलत बात है।

श्री विजयसिंह रावत : मैं यह चाहता हूं कि ऐसे मंत्री जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं जब तक उनका क्लेरिफिकेशन न हो जाय तब तक वे इस विधेयक को प्रस्तुत नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है इसलिये इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

जिन माननीय सदस्यों ने इस पर प्रस्ताव रखे हैं उन सदस्यों को सात मिनिट से अधिक समय नहीं दिया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन

श्री मनोहरसिंह मेहता : जो सदस्य उपस्थित नहीं हैं उनका एक-एक मिनिट और बढ़ जायगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संशोधन विधेयक 1968 को एक महीने के लिये जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय यह मैंने प्रस्ताव रखा है।

खादी की विशेष महत्वता है। इस पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विशेष जोर दिया था लेकिन उस खादी के महत्व को आज कितना समझ रहे हैं अगर इसका विश्लेषण किया जाय तो यह मालूम होगा

[श्री वृद्धिचन्द जैन]

कि खादी की महत्वता की ओर आज विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खादी ग्रामोद्योग स्थापित हुआ था, उसके अन्तर्गत जो कार्य चल रहा है मेरे ख्याल में विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्र में इस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान खादी कमीशन और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अखिल भारतीय आधार पर खादी कमीशन कार्य कर रहा है उनका कार्य वास्तव में प्रशंसनीय है।

गांवों में ऊन की कताई के कारण काफी धन्धा मिला है। कम्बल उत्पादन केन्द्र बाड़मेर जिले का केन्द्र बन गया है, इस प्रकार काफी प्रगति हुई है। लेकिन मैंने यह भी देखा है कि खादी के कार्य में अनियमिततायें और जो कार्य इस खादी में नहीं होने चाहिये वे कार्य इस क्षेत्रों में हो रहे हैं यह उचित नहीं है।

जो लोन्स लिये जाते हैं उनकी वसूली के नियम ठीक तरह से न होने के कारण समय पर वसूली नहीं हो पाती। पेनल्टी भी समय पर नहीं देने से लगती है। तो इसके लिये विशेष तौर से नियम बनने चाहिये और उन नियमों के आधार पर ही उनसे वसूली की जावे तो उचित होगा।

खादी कार्य में जो कार्यकर्त्ता हैं उनमें विशेष तौर से ईमानदार कार्यकर्त्ताओं का चयन होना चाहिये। आज देखते हैं वहां भी ईमानदार कार्यकर्त्ता नहीं हैं। इस कारण लोन्स का दुरुपयोग होता है और वास्तव में जो खादी नहीं होती उसकी भी उन द्वारा बिक्री होती है। इस प्रकार जो धोखा दिया जाता है उसे रोका जाना चाहिये। कम से कम इस के अन्दर तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिये। इसके बारे में मैं खास तौर से मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनकी जांच की जाये।

बहुत अंशों तक यह भी ठीक है कि उनकी आॅडिट रिपोर्ट भी नहीं होती। अकाउन्ट्स अच्छी तरह रक्खे नहीं जाते और इस प्रकार बहुत सी अनियमितताओं के कारण खादी का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल रहा है।

अब प्रश्न यह है कि जो संशोधन रखा गया है वह इस बात का है कि जो खादी में कार्य कर रहे हैं उनको भी लोन दिया जावे विकास के लिये उनकी वृत्ति के लिये। मैं समझता हूं कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी। आज खादी में कार्यकर्त्ता हैं इसमें वे कार्य कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से तनख्वाह मिलती है फिर उनको क्या आवश्यकता है लोन लेने की ? दूसरे भी लोन्स लेने के उनके पास सीगे हैं वहां से वे ले सकते हैं। तो मैं इसे उचित नहीं समझता कि उनको लोन देने लेने के लिये विशेष तौर से खादी में कार्य करने वालों को तरजीह दी जाय।

खादी का उद्योग चल रहा है। वह वास्तव में सराहनीय है। हमारे जिले में भी आंकडो से जो रेशा निकलता है जो इसके लिये मशीने मंगाई हैं उनसे अच्छा रेशा निकलता है और इससे काफी लोगों को रोजी मिल रही है। ये चीजें जो विकास की हैं प्रोग्रेस की हैं उनकी तो सराहना करता हूं।

इसलिये चाहता हूं कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधन विधेयक को जनता की राय जानने के लिये प्रसारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया । (अनुपस्थित)

श्री केशरीसिंह ।

श्री केशरीसिंह (हिण्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय, खादी बोर्ड संशोधन विधेयक जो सदन में पेश है उस पर मेरा प्रस्ताव है कि उसे जनमत जानने हेतु तीन माह के लिये प्रसारित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे मेरा तात्पर्य यह है कि जनता को ठीक तरह से यह मालूम हो जाय कि इसमें क्या है।

जिस समय हमारे देश में विदेशी वस्त्रों का बहुत आयात होता था और इससे हमारे देश की मुद्रा विदेशों में जाती थी तो इसे रोकने के लिये गांधीजीने खादी का नारा लगाया था जो बड़ा महत्वपूर्ण और अच्छा था ।

यह निश्चित है कि जो विदेशी हमारे पर राज करते थे वे अपने ही देश का कपड़ा और हथियार और अन्न इत्यादि हर प्रकार का सामान अपने गुलाम देशों में भेजेंगे और उनसे अपने देश को समृद्ध बनावेंगे। यह स्वाभाविक था । उसको रोकने के लिये एक बहुत बड़ा ऊंचा विचार महात्मा गांधी ने इस खादी के रूप में देश के सामने रखा। पर आज मुझे कहते हुये लज्जा और शर्म आती है कि आज कांग्रेस ने उन सिद्धान्तों का परित्याग कर दिया है।

गांधीजी का कहना था कि हाथ की कती और हाथ की बुनी खादी ही पहननी चाहिये । पर आज मिल का बना हुआ सूत मिलाकर खादी का नाम देकर ये पहनते हैं । मैं अपने कांग्रेसी साथियों से पूछना चाहता हूं कि कितने लोग हाथ की बनी और कती खादी पहनते हैं ?

श्री विश्वंभरनाथ जोशी : सभी पहनते हैं।

श्री केशरीसिंह : मैं जोशीजी से कहूंगा कि वे स्वयं भी नहीं पहनते होंगे ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : ऑन पोइन्ट आफ इन्फार्मेशन सर।

खादी की परिभाषा ही यही है कि हाथ की कती बनी हो। अन्यथा खादी नहीं है।

श्री केशरीसिंह : ये दिखावे के लिये खादी पहनते हैं और अधिकतर यह कहलाते हैं कि हम गांधीजी के चेले हैं। वे मिल का सूत लाते हैं और खादी के नाम से ऐसी खादी पहनते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कौनसे हैं ऐसे बतावें।

श्री केशरीसिंह : बहुत से हैं आपके साथ। तो इसलिये यह लोन और अनुदान का जो प्रावधान रखा है वह उनको ही मिलना चाहिये वास्तव में जो इसका उपयोग करते हों।

मगर उपाध्यक्ष महोदय, होता क्या है ? हर बात में एक राजनीति घुस जाती है। यह राजनीति की एक अपेडेमिक फैल गई है जिसकी वजह से कुछ भी लीजिये, जमीन का एलॉटमेंट लीजिये, शक्कर तेल आदि का लीजिये इन चीजों तक के देने में पक्षपात करते हैं । तुमने कांग्रेस को वोट नहीं दिया इसलिये ये तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो ये

[श्री केशरी सिंह]

बातें नहीं होनी चाहिये । जो लोग इन कुर्सियों पर बैठते हैं उनको सब प्रकार का पक्षपात भुलाकर न्याययुक्त और न्यायसंगत कार्य करना चाहिये । तब इस जनतन्त्र का उद्धार और उत्थान हो सकेगा मगर मुझे अफसोस है कि जो कुछ चल रहा है उसमें ऐसा कुछ दिखता नहीं । ये अपने अपने आदमियों को देंगे । अभी प्रश्नोत्तर काल में सवाल आया था बिजली का । उसमें हमारे जो शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनको बिजली नहीं दी गई क्योंकि वहां से एक विधायक कांग्रेस का हार गया था।

श्री रघुनाथ विश्नोई : विषय से बाहर हैं।

श्री केशरीसिंह : नहीं हूं। रेगरों के मौहल्ले में बिजली नहीं दी गई। अगर इस तरह से पक्षपात होगा तो इस विधेयक का खास उद्देश्य जो है वह मारा जावेगा। यह उन्हीं लोगों को मिलना चाहिये जो इसके अधिकारी हैं और जरूरतमन्द हैं। इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

(२ म० प०)

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया (अनुपस्थित)

श्री मनोहर सिंह मेहता

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं बच्चा था तो गांव में सुबह 4 बजते ही चक्की की आवाज सुना करता था, औरतें भजन गाती थीं, गांव गांव में चरखा चलता था, चरखियां चलती थी! चड़स चलती थी, चूल्हा जलता था, 5 बच्चे सब जगह थे। जिस घर में 5 बच्चे हैं उसका मतलब उसके खेती हो रही है। चूल्हा जलता था, अब तो खैर वह समय आ गया है कि लोग होटल में भी खाना खाते हैं, चक्की चलती थी, चरखा और चरखियां चलती थीं, गांव गांव में घर घर में गाय, भैंस थीं, बिलोना होता था। मोची जूते बनाता था और बलाई कपड़े बुनता था। इस तरह से हर उद्योग गांव में ही चलता था। गांधीजी ने देखा कि यह देश ऐसा है कि इसमें ग्राम स्वावलम्बन हो या क्षेत्र स्वावलम्बन होने ही चाहिये। विनोबा जी ने खादी के लिए कहा है कि खेती सीता है और उद्योग के लिए कहा है यह राम है। तो सीता और राम जहां होंगे वहां आनन्द होगा। लेकिन दुख है कि एक तरफ तो यह बात जरूर हुई कि खादी संस्थाओं को कुछ मदद जरूर मिली, ग्रामोद्योग को भी थोड़ी बहुत मदद मिली। लेकिन एक तरफ तो आप तेल घानियों को मदद देते हैं और उसी क्षेत्र में दूसरी ओर एक्सपेलर्स की परमीशन्स देते हैं। कहीं बेचारा घानी वाला मुकाबला कर सकता है उन एक्सपेलर्स का ? इधर तो आप गाय वालों को मदद देते हैं और उधर डालडा बनाने वालों को प्रोत्साहन देते हैं जो गाय मार घी बनाते हैं। आप जब तक आर्थिक दृष्टि से गाय को उपयोगी नहीं बनायेंगे तब तक गाय की रक्षा नहीं हो सकती इसलिए जब तक ग्रामोद्योग को संरक्षण नहीं मिलेगा तब तक वह नहीं चल सकते। गांधीजी ने बराबर चरखा चलाया। उन्होंने कहा कि सूत के धागे में स्वराज्य है। जवाहर लालजी नेहरू भी अपने कन्धे पर खादी का थान लेकर और हाथ में गज लेकर गांव गांव के अन्दर फिरते थे। जब

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

गांधीजी विलायत गये तब भी अपने साथ में वह चरखा ले गए। राउण्ड टेबल कान्फ्रेंस से चाहे वह रात को २ बजे लौटते थे फिर भी लौटने के बाद चरखा चलाते थे। तो उन्होंने ग्रामोद्योग को बहुत जरूरी समझा था। मुझे दुख है कि बहुत कम माननीय सदस्य यहां विराजमान हैं लेकिन ग्रामोद्योग इतना जरूरी है। ज्यों ज्यों आबादी बढ़ रही हैं त्यों त्यों यह और भी जरूरी हैं। लोग कहते हैं कि आबादी बढ़ रही है इसलिए सबके आपरेशन कराइये। मैं कहता हूं कि जब भगवान ने एक मुंह दिया है तो हाथ भी दो दिये हैं। 'इक मुंडा के साथ में हाथ दिया हरि दोय। काम देवण्यो होय तो भूखा रहे न कोय ॥'

लेकिन काम कोई देता नहीं है। सब उद्योग-धन्धे मर रहे हैं। हो सकता हैं कुछ संस्थाओं में गड़बड़ी हुई हो लेकिन यह इल्जाम लगाना कि सब संस्थाओं में गड़बड़ी हुई है, यह बिल्कुल गलत है। कुछ संस्थायें बहुत अच्छी काम कर रही हैं और जो संस्थायें गड़बड़ियां कर रही हैं उनकी पूरी जांच होनी चाहिये जिस तरह से एक कुशल डाक्टर चीराफाड़ी करता है उसी तरह से होनी चाहिये। जो संस्थायें गड़बड़ियां करती हैं वह गांधीजी की छाती में छुरा भोंकती है मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं और यह कहना कि चूंकि गड़बड़ियां हुई हैं इसलिए सबको ही मदद नहीं दी जाये यह उचित नहीं है मेरा कहना है कि ग्रामो-द्योग को आप जितना प्रोत्साहन दे सकते हैं उतना प्रोत्साहन दीजिये। आज नहीं दिया गया उसी का कारण है कि जगह जगह लोग जमीनों की मांग कर रहे हैं। जमीन कोई रबड़ नहीं है जो बढ़ जाये। सभी लोग उद्योग छोड़ छोड़ कर अगर जमीनें मांगेंगे तो कहां से आयेंगी इतनी जमीनें? मैं एक दफा कलकता में गया था तो वहां दो दृश्य थे। एक तो नरक का दृश्य था और दूसरा स्वर्ग का। एक तरफ तो यह दृश्य था कि जो लोग लिफ्ट से ऊपर जाते हैं उनके लिए भी पंखा उसी लिफ्ट में लगा है याने दो सैकिण्ड भी बिना पंखे के नहीं रह सकते हैं और दूसरी तरफ वह लोग भी हैं जो आदमियों को जेठ की धूप, नंगे पैर, नंगे बदन खींचकर ले जाते थे रिक्शा में और वह शाम को सोते कहां थे पटरियों पर और धानी का पिसा हुआ आटा जिसको पानी में घोलकर पानी से उतारते थे। तो आखिर उन आदमियों को किसने भेजा? हम लोगों ने जिन्होंने ग्रामो-द्योग नष्ट किये हैं। अगर गांवों को सचमुच स्वर्ग बनाना है तो ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देना होगा। इसलिए मैंने संशोधन दिया है कि कृपा करके इसको एक माह के लिए जनमत जानने के लिऐ प्रसारित किया जावे यह इसलिए दिया है कि कोई भी ग्रामोद्योग ऐसा नहीं बच जाये कि जिसको मदद नहीं मिले। इसलिए जो इतना बड़ा काम है इसको जितना बल दिया जाये उतना ही अच्छा है इसलिए इन चन्द शब्दों के साथ मैंने प्रस्ताव रखा है कि कृपा करके इसको प्रसारित किया जाये एक मास के लिए और उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामोद्योग को जितना प्रोत्साहन दे सके व्यक्तिगत रूप से जो जो ग्रामोद्योग पनपने वाले हैं उनको मदद दे सकें, देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा-
(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल–(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह रावत

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खादी ग्रामोद्योग विधेयक के बारे में मैंने एक प्रस्ताव इस सदन के अन्दर किया है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की गवाही तो अपना इतिहास देता है कि हिन्दुस्तान में अंग्रेजों का राज्य था और अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए इस देश की महान आत्माओं ने क्या क्या योजनायें बनाई और उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने कितने कष्ट और कितना परिश्रम किया उनमें से एक योजना वह ग्रामोद्योग खादी की भी थी। पूज्य पिता महात्मा गांधी ने इस भारतवर्ष की जनता का ध्यान उन्होंने पुरजोर शब्दों में इस ओर आकर्षित किया। देश में बेकारी को दूर करने के लिए, देश को स्वावलम्बी बनाने के लिए और देश के अंदर ही बना हुआ कपड़ा पहनने के लिए और देश के संगठन को दृढ़ करने की दृष्टि से उन्होंने इस खादी को देश की जनता में प्रचलित किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी की तस्वीर के पीछे बैठ कर इस राज्य करने वाले सत्ताधारियों ने आज केवल खादी का नाम लेकर उसको कमाई का एक बहुत बड़ा साधन बना दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं कहूं, जैसी कि मुझे जानकारी है, राजस्थान के अन्दर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बना है उस पर यदि मैं आक्षेप लगाऊं तो मैं यह कहूंगा कि यह बोर्ड पूरा राजनैतिक अड्डा है और यदि मैं यह भी कहूं कि यह भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता श्री विरधीचन्दजी ने इस बात को स्वीकार किया है कि खादी ग्रामोद्योग का जो लक्ष्य था वह पूरा नहीं हुआ है। इससे कर्मचारियों का सिलेक्शन कैसे होना चाहिये और उसमें जो अनियमितताएं बरती गई हैं उस ओर भी ध्यान देना चाहिये इस ओर मैं माननीय सदस्यों को आह्वान करना चाहता हूं। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की सरविसेज के लिये आज जो सिलेक्शन होता है, उसमें जो कर्मचारी लिये जाते हैं वे कांपिटिशन से नहीं लिये जाते। कर्मचारियों के लिये कोई कांपिटिशन नहीं होता। जिस लक्ष्य को लेकर यह बोर्ड बनाया गया था कि ज्यादा उद्योग बढ़ने चाहिये थे वे नहीं बढ़े। लक्ष्य पूरा नहीं होना स्वाभाविक था। जो नेता लोग चुनाव में हार जाते हैं या जो प्रभावशाली व्यक्ति चुनाव में हार गया ऐसे लोगों को संरक्षण देने के लिये ही सरकार ने यह बोर्ड बनाया है। जिसको चाहे उसको इस बोर्ड के चेयरमैन के पद पर नियुक्त कर देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इस बोर्ड की सार्थकता तभी जान सकता हूं जबकि यह बोर्ड बेकारी को दूर करने का साधन बने। जैसे कि श्रम मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया, जैसा शिक्षा मंत्री जी ने 2 रोज पहले वक्तव्य दिया था देश में बेकारी बढ़ती जा रही है। कल केन्द्रीय सरकार के बजट में भी कहा गया था कि देश में उद्योगों की वृद्धि करने की व्यवस्था की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस मंच पर चढ़कर जनता को गुमराह करने के लिये भाषण देने की बात जुदा है लेकिन करना

(श्री विजयसिंह रावत)

क्या चाहिये यह बात अलग है। आज ओटोमेटिक मशीनें आ रही हैं ऐसी मशीन जो 500 आदमियों का काम कर सकती है। ऐसी मशीनें आ रही हैं जो 10 इन्जीनियरों को बेकार कर देती है। ऐसी मशीनें लगा कर बढ़ती हुई बेकारी की ओर बढ़ा रहे हैं एक ओर यह कहा जाय कि टेक्निकल स्कूलों में भर्ती कम कर देंगे या अगले साल उद्योगों में बढ़ोतरी कर देंगे तो उससे बेकारी दूर नहीं होने वाली है। महात्मा गांधी ने यह रास्ता बताया था कि चर्खा कात कर गांव के लोग खेतीहर मजदूर गांवों में अपनी रोजी कमा सकते हैं। गांवों में जहां पर बड़े बड़े कारखाने या फैक्ट्रीज नही हैं वहां के लोग रोटी कमाने का साधन अपने आप जुटा सकते हैं, सूत कात कर वे अपना गुजर कर सकते हैं। आज वह साधन और वह लक्ष्य हमारे पूज्य पिता महात्मा गांधी के पीछे उनके कदमों पर चलने वाले उनके चेले हैं वे भूल गये हैं। ये सहीरूप से उस ओर नहीं ले जाना चाहते हैं। यह सही है कि यदि आज महात्मा गांधी के जैसे विचार थे, जिस दर्पण में वे हिन्दुस्तान को देखना चाहते थे यदि उसको ये मानकर चलें और अपने आप श्रम के द्वारा मदद करें और देखें कि हम जिस किश्ती और नाव में बैठे हैं वह किनारे लगने वाली है या बीच में ही डूबने वाली है यदि ये सारी बातें सरकार सोच कर चले तो मैं कह सकता हूं कि बेड़ा पार लग सकता है। लेकिन क्या सरकार इसके लिये तैयार है? ग्रामोद्योग बोर्ड या अन्य बोर्ड हैं उसको क्या पंचायत समितियों के माध्यम से चलाने को तैयार है ताकि अच्छा काम हो सके। सिलेक्टेड कर्मचारी कांपिटिटिव सरविस के द्वारा सरविस कमीशन के थ्रू आने चाहिये। ये सारी बातें जब तक आप करने को तैयार नहीं होंगे तब तक सुधार होने वाला नहीं है। आज होता यह है कि जो आदमी चुनाव में आपका काम करते हैं या मदद करते हैं ऐसे आदमियों को राजनैतिक दृष्टिकोण से ले लिया जाता है। यह नहीं देखा जाता कि उनकी योग्यता क्या है, उनके चरित्र का क्या बैकग्राउन्ड है यह देखे बिना ही इन लोगों को लगा देते हैं इस कारण ही आज खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को आम जनता इस नाम से पुकारती है कि यह भ्रष्टाचार का केन्द्र है। हमारा जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था हर घर में, हर कोने में उद्योग चालू होंगे वह पूरा नहीं हुआ और इसी कारण आज स्थिति यह है कि इस विधान सभा में और अन्य विधान सभाओं में बेकारी दूर करने के मामले उठाये जाते हैं और दिन प्रतिदिन अनएम्पलोयमेंट बढ़ता जा रहा है। यदि सरकार इस लक्ष्य को सामने रख कर चलती तो आज यह हालत नहीं होती और बेकारी इतना भयंकर रूप धारण नहीं करती।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो नेता लोग यह बात कहते हैं कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको लोन दिया जाय और भवन आदि की सुविधा दी जाय मैं उसके खिलाफ नहीं हूं कोई कर्मचारी चाहे वह प्राइवेट सैक्टर में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में हो उसको जो सुविधा मिलनी चाहिये वह जरूर मिले। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में जो काम करने वाले हैं वे सरविस कमीशन की मार्फत नहीं आते है, वे

(श्री विजयसिंह रावत)

प्रोपरली सिलेक्ट होकर नहीं आते हैं उनको सरकार कानून बनाकर लोन देना क्यों चाहती है ? क्या सरकार उनको लोन देकर वापिस वसूल करने की क्षमता रखती है। पिछले 20 वर्षों में उनको जो लोन दिया है उसका कितना प्रतिशत सरकार ने अब तक वसूल कर लिया है। क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पर जितनी धनराशि खर्च करती है उसका 80 प्रतिशत बेकार नहीं जाता। पब्लिक आक्षेप लगाती है कि उसमें हर जगह भ्रष्टाचार है। क्या सरकार इस कमी को मिटाने के लिये बोर्ड को तोड़ कर पंचायत समितियों के थ्रू चलाने को तैयार है ? या यह व्यवस्था करने को तैयार है कि चेयरमैन कोई हारा हुआ व्यक्ति जो राजनीति में काम करता है, नेतागिरी करता है उसको नहीं बनाया जायेगा। उसके बजाय आई.ए.एस. या दूसरे किसी कोप्रोप्टेड मेम्बर को रखा जायगा जो इसको अच्छी तरह से चला सके। आज यहां के कर्मचारियों के घोटाले निकाले जायें तो बहुतेरे हैं। कोई इस बार चुन कर आ गया और अगली बार हार गया तो उसको चेयरमैन बना देंगे उसने अगर लाखों रुपयों का घोटाला कर दिया तो क्या होगा। यह बात सही है कि श्री बालकृष्ण कौल, भूतपूर्व वित्तमन्त्री ने अकाल राहत कार्यों में कितना घोटाला किया आज हार गये तो आपने उनका क्या कर लिया ...

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री विजयसिंह रावत : ऐसी कई मिसालें हैं... ...

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है, मैं आपके द्वारा यह जानना चाहूंगा कि जो व्यक्ति सदन में नहीं है उसके बारे में इस प्रकार का एलिगेशन लगाना क्या उचित है जो यहां आकर स्पष्टीकरण नही कर सकता ?

श्री भगवान दास शास्त्री : यह कोई पोइन्ट ग्रोफ ग्रोर्डर है ? आप खुद वकील होकर ऐसी बातें करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज। खादी से संबंधित बात कहें।

श्री विजयसिंह रावत : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात सही है कि जो व्यक्ति सदन में नही है---

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आसन से कई बार व्यवस्था हो चुकी है आप प्रोसिडिंग्ज उठा कर देख लीजिये।

श्री विजयसिंह रावत : इसके अन्दर कार्यकर्त्ताओं को लोन दिया जाये, फेसिलिटीज दी जाये उसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जब तक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दिये गये लोन की वसूली की गारन्टी नहीं दी जाय तब तक किसी भी हालत में अधिकार नही दिया जाना चाहिये। इसके लिये नियम बना दिये जायें। जब तक नियमित रूप से सरकार सुचारु रूप से चलाना संभव नहीं समझती हो तब तक उसको अधिकार नही दिये जायें। इसमें भ्रष्टाचार नही हो, अच्छी तरह से चले ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिये। जनता इसके बारे में क्या कहती है यह जानने के लिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय ताकि जनता इस पर सोच कर अपनी राय व्यक्त करे और बाद में यहां पर निर्णय लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गाड़िया ।

श्री मोहनलाल मोदी– आपको खादी का तो ज्ञान नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय……

श्री उपाध्यक्ष : समय केवल सात मिनट का है, इस हिसाब से शुरू करें ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सात मिनट में क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : यही व्यवस्था है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1968 प्रस्तुत किया गया है इसके अन्दर यह जो संशोधन रखा गया है, उस संशोधन के द्वारा जहां अब तक यह खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कोपरेटिव सोसायटी और उनके द्वारा गठित संस्थाओं को ही सहायता देती थी अब उसको हटाया जाकर व्यक्ति और व्यक्ति से सम्बन्धित लोगों को ही इसके द्वारा सहायता दिये जाने का प्रावधान रखा है । इससे साफ सिद्ध हो रहा है कि राजस्थान की सरकार कोपरेटिव मूवमेंट को सहकारिता के आन्दोलन को खदेड़ना चाहती है । उस को सफल नहीं होने देना चाहती है । इस लिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के खादी तथा ग्रामोद्योग तथा इससे सम्बन्धित संस्थाओं के माध्यम से जो आज गांवों की बेकारी को आप दूर करना चाहते हैं तो जो सहायता देना चाहते हैं उसमें सहकारी संस्थाओं को अवश्य रखा जाय । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तक हमें देखने को मिल रहा है कि राजस्थान सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योग संस्थाओं को और इस बोर्ड को कितनी सहायता दी है, और उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि 1966 तक राजस्थान सरकार ने अनुदान के रूप में 38 लाख 12 हजार रुपये दिये हैं और ऋण के रूप में 1 लाख 10 हजार रुपये दिये है जब कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को 1267 तक जो सहायता दी है वह बहुत पर्याप्त थी उसने इसको 4 करोड़ और 47 लाख रुपये ऋण के रूप में दिये और अनुदान के रूप में 1 करोड़ 31 लाख 76 हजार रुपये दिये । यह खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने सहायता दी है तो मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इतने जो रुपये दिये, राजस्थ न सरकार और खादी तथा ग्रामोद्योग ने कुल मिलाकर 6 करोड़ 10 लाख 36 हजार रुपये हैं यह रुपये किस पकार से खर्च हुए और इनका क्या उपयोग हुआ ? आज अगर हम राजस्थान के नक्शे को देखें तो इससे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान के गांवों के अन्दर रहने वाले जो किसान हैं राजस्थान के गांवों के अन्दर रहने वाले मजदूर हैं, वह किसान और मजदूर साल में छः महीने तक तो खेती करते हैं और छः महीने के बाद में बेकार बैठे रहते है । मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज जो देश के अंदर 80 प्रतिशत किसान हैं राजस्थान की आबादी के अन्दर आबादी के अन्दर, आबादी के हिसाब से 80 प्रतिशत किसान हैं वह छः महीने तक खेती करने के बाद में बेकार बैठे रहते हैं उनको क्या आपने कोई धन्धा दिया है ? मैं समझता हूं जब तक देश के गांवों के अन्दर रहने वाले किसानों को कोई रोजगार नहीं दिया जायगा जब तक राजस्थान के अन्दर, गांवों के अन्दर कुटीर उद्योग और ग्रामोद्योग स्थापित नहीं

(श्री देवीदत्त गाडिया)

किये जायेंगे तब तक राजस्थान में बेकारी दूर नहीं होगी। आज देखने को यह मिल रहा है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान के अन्दर बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित करने के लिए टाटा, बिड़ला, डालमिया और बड़े बड़े करोड़ पतियों को थोड़े कम प्रतिशत ब्याज के ऊपर करोड़ों रुपयों का ऋण दिया है और उसके बाद वह करोड़पति और वह बड़े बड़े पूंजीपति जिनके पास आज करोडों रुपये की सम्पत्ति है जो स्वयं अपने पैसे के द्वारा राजस्थान के अन्दर उद्योग स्थापित कर सकते हैं लेकिन आज जो सरकार है जो अपने आपको समाजवादी सरकार कहलाती है उसने आज पूंजिपतियों से सांठगांठ करके उन लोगों को और सरसब्ज किया है। मैं यह मानता हूं कि राजस्थान के अन्दर उद्योगों को स्थापित किये जाने से कुछ मजदूरों को रोजगार मिला है लेकिन आज गांवों में रहने वाले किसान हैं गांवों में रहने वाले मजदूर हैं उनके लिए गांवों के अन्दर ऐसे उद्योग होने चाहिए जिनका उनकी फसल से सम्बन्ध है। जैसे कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिले के अन्दर या अन्य स्थानों के किसान हैं जो चांवल पैदा करते हैं, जो गन्ना पैदा करते हैं, जो अलसी पैदा करते हैं और तिल्ली पैदा करते हैं इन से सम्बन्धित उद्योग, कुटीर उद्योग, और लघु उद्योग उनके वहां पर स्थापित किये जा सकते हैं। जिन गांवों में किसान चांवल पैदा करते हैं वहां पर चावल की भूसी के द्वारा कागज बनाया जा सकता है। जहां पर किसान गन्ना पैदा करते हैं उस गन्ने का रस निकालने के बाद जो बचता है उसके द्वारा कागज बनाया जा सकता है। आज शाहबाद क्षेत्र के अन्दर इतनी अधिक घास पैदा होती है इस शाहबाद क्षेत्र की ओर मैं माननीय मंत्री जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह शाहबाद का इलाका काफी पिछड़ा हुआ है जिसके अन्दर लाखों मन घास हर साल पैदा होता है। वहां घास से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का पुट्ठा बनाने का, कागज बनाने का कोई कारखाना नहीं है, वह घास वहां से मिलिट्री में जाता है। मिलिट्री में वह घास जाना चाहिए मैं इसका समर्थक हूं। आज देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर रहने वाले नौजवानों के यातायात के लिए लगाए गये खच्चरों के लिए यह घास जाता है तो यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है लेकिन कोटा जिले के अन्दर कोई पुट्ठे बनाने का कारखाना हो, उसके काम में यह घास आए तो उस इलाके के किसानों और उस इलाके के मजदूरों के लिए मजदूरी का साधन बढ़ाये। इसलिए इस इलाके के अन्दर गत्ता बनाने का कारखाना खोलना चाहिए। लेकिन राजस्थान की सरकार उनको किसी प्रकार का ऋण नहीं देना चाहती और आज तक किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया है। यह खादी तथा ग्रामोद्योग से सम्बन्धित समितियां है, यह आज क्यों नहीं फैल रही हैं, यह क्यों असफल हो रही हैं—इसका एकमात्र राजनैतिक कारण है कि उनके द्वारा लोगों को जो कर्जा दिया जाता है, जो अनुदान दिया जाता है वह इतना अपर्याप्त है कि जिसके कारण वह संस्थाएं अच्छी प्रकार से रन नहीं कर सकतीं, चल नहीं सकतीं। इस कारण से उनके अन्दर आज यह स्थिति चल रही है। इस कारण से उनके अन्दर भ्रष्टाचार चल रहा है और भ्रष्टाचार चलने के कारण और

Page No.78

(श्री देवीदत्त गाडिया)

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के जो मठाधीश हैं उनके कारण यह स्थिति है। मैं यह जानना चाहूंगा कि आज तक जो राजस्थान सरकार और आयोग ने राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को 6 करोड़ 10 लाख दिया है, उस 6 करोड़ 10 लाख के माध्यम से उसके कारण से कितनी वेकारी दूर हुई है, कितने गांवों में कल कारखाने स्थापित हुए हैं कितने कुटीर उद्योग स्थापित हुए हैं ? अगर आप इसकी जांच करवाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी ग्रामोद्योग सफल नहीं हुआ है। यद्यपि चौमू के अन्दर गोविन्दगढ़ के अन्दर जो खादी से सम्बन्धित संस्थाएं हैं वह उत्पादन का काम करती हैं, लेकिन आज उनकी हालत यह हो रही है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इन खादी की संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है राजनैतिक आधार पर और जो व्यक्ति गांव के किसान या मजदूर या कार्यकर्ता किसी भी संस्था को स्थापित करना चाहते हैं तो राजनैतिक आधार पर खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पदाधिकारी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और उसको ऋण नहीं दिलाते हैं। आज तो हालत यह हो गई है कि खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की खादी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए वेतन समय पर दिया जाय इसके लिए आन्दोलन करना पड़ता है। मंत्रियों को अपनी यूनियन के माध्यम से अपने संगठनों के माध्यम से सत्याग्रह करने की धमकी देनी पड़ती है और उनका भविष्य बिल्कुल अन्धकारमय है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इन खादी तथा ग्रामोद्योग संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के भविष्य के लिए इनके प्रावीडेण्ड फंड के लिए क्या व्यवस्था है ? जो कर्मचारी जो कार्यकर्ता दस वर्ष अपनी जिन्दगी के इसमें लगा चुके हैं उनका अब क्या होगा ? इनके लिए कोई प्रोवीडेण्ड फंड की कोई व्यवस्था नहीं है इनकी नोकरी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर यह हालत चलती रही तो यह खादी यह ग्रामोद्योग सफल नहीं हो सकता है। जैसा मैंने निवेदन किया उपाध्यक्ष महोदय, कुछ गांव के किसान बहुत अच्छी अलसी पैदा करते हैं, तिल्ली पैदा करते है, तो क्यों नहीं उन गांवों के अन्दर उनसे सम्बन्धित कारखाने, छोटे मोटे कारखाने खोले जाते हैं ? स्याही के ब्लाटिंग पेपर के और दूसरे ऐसे ही छोटे छोटे धन्धे, मिरची पीसने के, धनिया पीसने के छोटे छोटे धन्धे हैं जिनके लिए छोटी छोटी मशीन हों तो यह काम शुरू हो सकता है। तो क्यों नहीं गांवों के अन्दर ऐसी मशीने लेकर दी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिला ऐसा जिला है जिसमें खेती के अलावा जुलाहे का और डोरिया की साड़ियां बनाने का काम हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध है। लेकिन इन जुलाहों को पावर लूम नहीं दिये गये है और किसी प्रकार के साधन नहीं दिये गये हैं। न किसी प्रकार की मशीन लेकर दी गई है। आज बिजली बड़े बड़े उद्योगों और कारखानों को दी जाती है तो यह गांव के उन मजदूरों को क्यों नहीं दी जाती जो छोटे छोटे उद्योगों का काम करने वाले हैं खाती और बढ़ईगिरी का काम करने वाले हैं, जुलाहे का काम करने वाले हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

दो मिनट के अन्दर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। तो जिन लोगों का पंत्रिका धन्धा गांवों के अन्दर था उन लोगों का धन्धा इस सरकार ने समाप्त कर दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं और मिल हैं उनसे जुलाहा कपड़े और धोती जोड़े के मामले में कम्पीटीशन में ठहर नहीं सकता है। उसके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? यदि गांव में रहने वाले खाती, बढ़ई और जुलाहों को पर्याप्त ऋण दिया जाता है, यदि पर्याप्त अनुदान दिया जाता हैं और उनको मशीन लेकर दी जाती है और उनको उसका प्रशिक्षण दिया जाता है तो यह लोग अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत राजस्थान के अन्दर 11 पंचायत समितियों के अधीन ट्रेनिंग सेण्टर खोले गये। इन ट्रेनिंग सेण्टरों पर राजस्थान सरकार ने 4 लाख 20 हजार रु० खर्चा किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 11 पंचायत समितियों में जो ट्रेनिंग सेण्टर खोले गये उनमें से दो ट्रेनिंग सेण्टरों में काम नहीं हुआ और नौ ट्रेनिंग सेण्टर में लगातार 36 महीने तक कर्मचारियों को वेतन दिया गया जबकि वहां किसी प्रकार का काम नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, जिन पंचायत समितियों में ट्रेनिंग सेण्टर खोले गये मैं पूछना चाहता हूं कि उन कर्मचारियों को 36 महीने तक बिठाये रखकर तनख्वाह क्यों दी गई ? जो लाखों रुपयों की मशीनें वहां लगाई गईं उनका हुआ क्या ? वह मशीनें बेकार गई और 36 महीने तक तनख्वाह बेकार दी गयी। उसके बाद सरकार ने एक और गलती की। 36 महीने बाद राज्य सरकार ने ट्रेनिंग सेन्टर बन्द करने का आदेश 1964 के अन्दर दिया। बन्द करने के बाद उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई। यह आदेश देने के बाद राजस्थान सरकार ने उन कर्मचारियों को जयपुर बुलाया और बुलाने के बाद दूसरे विभाग में एब्जार्ब करने में खर्च किया गया। यह इस प्रकार अपव्यय क्यों हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे जयपुर में सरंजाम खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जहां आज वाटर वर्क्स का आफिस है, लाखों रुपयो से ट्रेनिंग सेन्टर खोला गया। उपाध्यक्ष महोदय, उस ट्रेनिंग सेन्टर में अम्बर चरखे का निर्माण केन्द्र खोला गया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपका समय समाप्त हो गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक मिनट और........तो उपाध्यक्ष महोदय, वहां अम्बर चरखे बनते थे। वहां पलंग बनते थे वहां कुर्सी बनती थी। उन अम्बर चरखों का क्या हुआ ? मुझे मालूम हैं कि आज से पांच छः महीने पहले खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से सम्बन्धित अधिकारियों ने उस कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों ने उसकी फर्जी नीलामी कार्यवाही करके हजारों रुपयों का सामान आपस में बांट लिया। न कोई टेण्डर इनवाइट किये और न अखबारों में विज्ञप्ति प्रकाशित की। इस प्रकार फर्जी कार्यवाही करके हजारों रुपयों का जो सामान था। वह अपने घरों में ले गये हैं। वहां ऐसा क्यों हुआ क्या सरकार ने इसकी जांच करवाई है... ....

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस प्रकार से....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, बारां के अन्दर....

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बहुत थोड़े में कह देता हूं। मैं पार्टी की ओर से बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय मेरा संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सात मिनट का समय था उसके बजाय आप दस मिनट ले चुके हैं। आदेश देने पर और चेतावनी की घण्टी दे दी गई है, फिर भी आप बोलते जा रहे है और आदेश की अवहेलना करते जा रहें हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आधे मिनट में ही समाप्त करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, बारां के अन्दर हाड़ा हाड़ोती खादी ग्रामोद्योग संस्था है, उसमें लाखों रुपया राज्य सरकार ने खर्च किया है। आज भी उस संस्था में 73 हजार बकाया है। उस संस्था का क्या हुआ? उस संस्था के द्वारा जगह जगह से अम्बर चरखे मंगाये गये। अम्बर चरखे पर हजारों रुपया खर्च किया गया। उसका क्या हुआ? क्या सरकार द्वारा इसकी जांच करवाई जायेगी?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इतना कहते हुए..............।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। समाप्त कर दीजिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इनके लिए जांच के आदेश दें।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे बड़ा अफसोस है कि बार बार चेतावनी की घण्टी देने के बाद, बार बार ध्यान आकर्षित करने के बाद भी आप अपने मन की बात कहे जाते है, यह उचित नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपकी आज्ञा मानकर बन्द कर दिया वरना मेरे पास मसाला था लाखों रुपये के गोलमाल का जिसको एक राजनैतिक नेता खा गये हैं। इसलिये संस्था फैल हो गई। इसलिये राज्य में सरकार ने अनुदान देना बन्द कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अमृतलाल यादव जैसे महन्त ने यहां की जमात के मठाधीश बनकर दलित वर्ग का संघ बनाकर पैसे का दुरुपयोग किया। यही कांग्रेस का नीति है। उस पर आप पुनर्विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। .. श्री श्रवणलाल।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मठाधीश कब से बना दिया?

श्री उपाध्यक्ष : सात मिनट का समय है, कृपया ध्यान रखें।

श्री श्रवणलाल (हिण्डोन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक संशोधन प्रस्ताव है, खादी तथा ग्रामोद्योग (संशोधन)

(श्री श्रवण लाल)

विधेयक को जनमत जानने हेतु तीन महीने के लिए परिचालित किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान खादी बोर्ड द्वारा चलाये जाने वाले छोटे छोटे उद्योग और छोटी छोटी खादी संस्था हैं तथा किसी समय बहुत ही अच्छा और ग्रामीणों द्वारा कुछ पैसा उनके अन्दर कमाने की दृष्टि से उनके लिए बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम था। उपाध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम को जिस समय गांवों में पहुंचाया और ग्रामों के अन्दर छोटे छोटे बढ़ईगिरी के और दूसरे कारीगरी के काम हैं। छोटे छोटे मोचियों द्वारा जूतियां बनाने का काम है चाहे वह छोटे छोटे उद्योगों के रूप में या अन्य किसी प्रकार के कार्य हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उस प्रकार से जब ये संस्थाएं अपना कार्य करती रहीं और कुछ समय तक ये निष्पक्ष और निस्वार्थ अपने उन कामों में जुटी हुई थीं। लेकिन जब यहां पर यह देखा गया, उनको अखबारों में ऐसी खबरें पढ़ने को मिलीं, अन्य नेताओं के भाषण पढ़ने को मिले तो इस प्रकार की उनके दिमाग में फिजा पैदा हुई और उन कार्यकर्ताओं में भी यह भावना उत्पन्न हुई कि यहां पर आप जिस प्रकार से कार्य कर रहे हों, निष्पक्ष, और निस्वार्थ भाव से, वह भूल कर रहे हो। क्योंकि राजस्थान के अन्दर आज कोई भी डिपार्टमेंट इस प्रकार का नहीं है जिसमें कि घोटाला नहीं होता हो। हर चीज में मिलावट होने लगी, दूध में पानी। तेल में पानी और दूसरी अनेक प्रकार की जो योजनाएं हैं उनके अन्दर भी धोखा है तो उन्होंने सोचा कि खादी में भी क्यों नहीं मिलावट की जाये। उस बात को देख कर खादी में पवित्र खादी में, महात्मा गांधी का जिससे ताल्लुक है आज उसके अंदर भी मिल का सूत मिलाने लगे हैं। मिल के सूत के कारण छोटी छोटी समितियों के द्वारा छोटे छोटे ग्रामोद्योग चलते थे आज उनकी यह भावना हो गई है कि जिस प्रकार खादी पहनने वाले निस्वार्थ भाव से खादी पहनते थे कि मेरे देश का कपड़ा है। हिन्दुस्तान का कपड़ा है जो कि छोटे छोटे मजदूरों के हाथों से बनाया हुआ है। वह इस सिद्धांत से पहनते थे लेकिन आज उसी खादी को इस प्रकार से ठुकराने लगे हैं। क्योंकि जब आज वह देखते हैं कि खादी के अन्दर इस प्रकार से मिल के सूत की मिलावट हो गई है तो वह सोचते हैं कि क्यों न हम मिल के कपड़े ही पहनें। उसके अंदर इस प्रकार की भावना पैदा हो गई है कि हम खादी पहनें तो उसके अंदर मिल का कपड़ा पहनना पड़े तो क्यों नहीं मिल के कपड़े पहनें। उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं, यह भावना गिर रही है, आज इस प्रकार से खादी के प्रति भावना गिरती जा रही है। खादी की इतनी महत्वता कम हो गई है कि जो आदमी कई प्रकार की भावना के कारण इसे पहनते थे, जैसे एक तो इस भावना से खादी पहनते थे कि यह हमारे देश का कपड़ा है। इससे मजदूरों को रोजी मिलती है। आज वह व्यक्ति इस प्रकार के हो गये हैं कि खादी का कुरता पहना, कलफ लगी टिनोपोल लगी सुन्दर टोपी लगाई और फिर अपनी नेतागिरी जमाना शुरू कर देते हैं, ढोंग जमाना शुरू कर देते हैं। एजेन्टगिरी शुरू कर देते हैं। खादी का चोला पहनकर वह लोगों पर अत्याचार और व्यभिचार करना शुरू कर देते हैं। वह सोचते हैं कि मैं तो लीडर हूं। खादी मैंने पहन ली। अब पूछने वाला कौन

(श्री श्रवणलाल)

है ! इसमें सब कुछ छिप सकता है ? मुझे डरने की जरूरत नहीं। यह महात्मा गांधी की खादी है। चाहे ब्लैक करें। घोटाला करें। गबन करें। इस प्रकार के वह खादी पहन कर विचार करना शुरू कर देते हैं।

जो इस प्रकार की भ्रष्ट कार्यवाहियां खादी संस्थाओं के द्वारा की जाती हैं, उनके कारण खादी के प्रति लोगों की आस्था गिर गई है, कोई आज खादी पहन कर बाजार में निकलता है, मोटर में या रेल में सफर करता है तो लोगों द्वारा उसे बुरी निगाहों से देखा जाता है, इस तरह से उसे देखा जाता है कि यह डकैत है। 2 प्रकार के डकैत होते हैं. एक तो वे डकैत हैं जो बीयावान जंगलों में रहते हैं, बड़े बड़े लखपतियों, पूंजी पतियों को लूटते हैं, बड़े बड़े, सेठों के लड़कों को उठाकर ले ले जाते हैं और उनके एवज में भारी भरकम रकम लेकर उनको छोड़ते है या बड़े 2 सेठों की तिजोरियों को तोड़कर उनकी दौलत लूट कर ले जाते हैं। पर ये दूसरी तरह खादी पहनने वाले डकैत किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं। किसी के पास पैसा है या नहीं है, चाहे कोई कितना ही गरीब या दुखियारा क्यों न हो, चाहे उसके पैर में चप्पल भी नहीं हो पर इन खादी पहनने वाले डकतों के द्वारा, एजन्टों के द्वारा उससे पैसा ऐंठा जाता है। चाहे ट्रान्सफर का सवाल हो, चाहे कोई थाने से सम्बन्ध रखने वाला मामला हो, चाहे सरपंच, प्रधान या प्रमुख से काम कराना हो तो इन नेताजी का काम है हर एक से पैसे ऐंठना, किसी को कोई काम कराना हो तो इन नेताजी से मिलिये, ये नेताजी हमारा काम करवायेंगे, इन नेताजी का काम है हर एक से पैसे ऐंठना, किसी भी गांव से ऐसे लोगों को जयपुर आना, गवर्नमेंट होस्टल में ठहरना, ऊंचे ऊंचे आदमियों से मिलाना, उनके साथ कारों में बैठ कर बंगलों पर पहुंचना, इस प्रकार के काम इन नेताओं के द्वारा किये जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ खादी संस्थाओं के प्रति भी लोगों की आस्था कम हो गई है। जिस विचार से, जिस उद्देश्य को लेकर इन संस्थाओं को चलाया गया था, उस लक्ष्य की पूर्ति इन संस्थाओं से बिलकुल नहीं हुई है। इन संस्थाओं के द्वारा चुनावों में काम लिया जाता है। जब भी चुनाव आते हैं तो दो महीने पहले ही इन संस्थाओं में काम करने करने वाले सभी लोगों को पूरी तरह से कांग्रेस के लिये चुनाव प्रचार करने में लगा दिया जाता है। इन लोगों को सब प्रकार की छूट दे दी जाती है कि कांग्रेस का प्रचार करो। जो इन संस्थाओं में बुलाकर और दूसरे दूसरे लोग काम करने वाले होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है कि कांग्रेस से ही योजनाओं के द्वारा छोटे २ उद्योग चलाये जाकर आपको रोजगार दिया जा रहा है, इसलिये कांग्रेस का प्रचार करो। तो इस प्रकार चुनावों के स्टंट इन छोटे २ उद्योगों को बना लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पहले इन संस्थाओं में काम ठीक होता था। मैंने भी खादी ग्रामोद्योग के अन्दर 10 साल तक काम किया है, उस समय इनमें बड़ी आसानी से श्रद्धापूर्वक काम होता था, पर आज इनमें बेईमानी के सिवाय कुछ नहीं है, जितना अनुदान का पैसा

(श्री श्रवण लाल)

सरकार के द्वारा इन संस्थाओं को दिया जाता है, आज झूंठी और फर्जी कार्यवाहियां करके उस पैसे को कुछ लोग हजम कर जाते हैं

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि इस मामले में मुझे बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : ये दो विधेयक आज पारित करने हैं, उन पर बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या ज्यादा है। इसलिये 7 मिनिट का समय निर्धारित कर दिया गया था।

श्री श्रवण लाल : मेरे बाद मेरी पार्टी की ओर से कोई नहीं बोलेंगे, इसलिये मैं इस सम्बन्ध में कुछ और निवेदन करना चाहूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : थर्ड रीडिंग में और बोल सकते हैं।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, आज उन अनुदानों का पैसा कहां जाता है? जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो जानते नहीं हैं, आज उनके लिए झूंठे अंगूठे टिका कर और कई प्रकार की फर्जी कार्यवाहियां करके जो अनुदानों का पैसा इन संस्थाओं को दिया जाता है, उसको ये मठाधीश हड़प जाते हैं। हमारे यहां के हिन्डौन खादी संघ का निरीक्षण करें तो मैं मन्त्री महोदय के सामने कम से कम 100 आदमियों से कहलवा सकता हूं कि इस प्रकार का फर्जी कार्यवाहियां करके अनुदानों का पैसा हड़प कर लिया गया है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनिट और

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो गया है। आर्डर प्लीज। आगे और अवसर ले लीजिये, आपका नाम पुकारा गया था तो आप उपस्थित नहीं थे फिर भी आपको अवसर दिया गया है। और भी कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, सभी हिस्सा ले सकें इसलिये 7 मिनट का समय निर्धारित कर दिया गया है, आपका सहयोग नहीं होगा तो और माननीय सदस्य नहीं बोल सकेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल! क्या आप बोलना चाहते है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं अपना प्रस्ताव मूव करता हूं और बैठ जाता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों के प्रस्ताव हैं वे पहले बोलेंगे।

दूसरा प्रस्ताव है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों ने आरोप लगाये हैं कि सारी ही खादी ग्रामोद्योग संस्थायें इस प्रकार की हैं, सारे अनुदानों के पैसे का घोटाला हुआ है और आज कल इन संस्थाओं में कार्य होता है वह ठीक नहीं होता। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे आरोप बगैर तथ्य रखे और उदाहरण रखे, लगाये गये और

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

स्वीपिंग रिमार्कस इस संस्था के प्रति रखे हैं वे उचित नहीं हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि साढ़े 6 करोड़ रुपया दिया गया उसका क्या हुआ। रुपया करोड़ों की संख्या में इन संस्थाओं को दिया गया है, उसके हिसाब के सम्बन्ध में त्रुटियां हो सकती हैं पर हिन्दुस्तान में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा जो कार्य हुए हैं, वे बड़े सराहनीय कार्य हुए हैं। आज खादी की इतनी अच्छी अच्छी वेरायटीज हैं कि उनकी विदेशों के अन्दर मांग बढ़ गई है, वस्त्र उद्योग का बड़ा भारी महत्व है, सारे विदेशों के अन्दर इसकी प्रशंसा हुई है तो बगैर तथ्यों के कहा जाय कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्दर घोटाले हैं, व्यभिचार है, इस प्रकार के आरोप लगाना, मैं समझता हूं, नितान्त गलत है। कुछ आरोप रखे जा सकते हैं, उनकी जांच की जा सकती है और उनमें अगर कोई दोषी पाया जाय तो उसको दण्डित भी किया जा सकता है ......

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप मंत्री थोड़े ही हैं, जो इस प्रकार बोल रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई उदाहरण कोई प्रमाण आपने नहीं दिया है। कोई अगर ऐसा मामला हो तो उसको प्रमाणित करके जो दोषी हो, उसको दण्डित करवाया जा सकता है।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में ऋण देने की पद्धति रही है, सब्सिडी देने की परिपाटी रही है। इसके हिसाब के बारे में कुछ त्रुटियां रही हैं पर जो ऋण, जो अनुदान बोर्ड द्वारा, खादी कमिशन द्वारा या राज्य सरकार द्वारा दिये जायें उनका हिसाब अच्छी तरह से रखने की सावधानी बरती जाती, हिसाब किताब उनके बिलकुल सही होते तो, आज इतनी बातें सुनने को नहीं मिलती। मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भविष्य में जो भी ऋण दिये जायें, जो भी अनुदान दिये जायें, उनके सम्बन्ध में नियमों का सख्ती से पालन किया जाय। यह ऐसी संस्थाएं हैं जिनका असर राजस्थान की 70-80 प्रतिशत आबादी जो ग्रामीण जनता है उस पर पड़ता है। मैं यह कहूंगा कि इस बारे में जितना ध्यान सरकार को देना चाहिये था उतना नहीं दिया गया है।

आज गांवों में सुथार हैं, लोहार हैं, मेघवाल हैं उन लोगों को राज्य सरकार से, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से कोई अनुदान नहीं दिये गये। ऊन वितरण करके मेघवालों से कताने की बात कही जाती है, उसके इतने कठोर नियम हैं कि आज बाजार में जो भाव हैं, उनके अनुसार कताई की कीमत नहीं देते हैं। इसी तरह से देखा गया है कि गांवों में प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। आज इन नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है।

मंत्री जी द्वारा जो छोटा सा संशोधन रखा जा रहा है। मेरी समझ में इस कानून का दायरा छोटा था, उसमें इतना ही संशोधन किया जा रहा है कि अमुक व्यक्तियों या व्यक्तियों के समुदाय को सब्सिडी या ऋण दिये जा सकें, जो इसमें काम करना चाहता हैं. उनको अनुदान या सहायता देने का संशोधन किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

संशोधन बहुत पहले ही हो जाना चाहिये था, इस ओर राज्य सरकार का ध्यान बहुत देरी से गया है। इसके लिए मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद दिये बिना तो नहीं रह सकता कि देर से सही पर वे इस प्रकार का संशोधन ला रहे हैं। पर इसकी क्या टर्म्स और कन्डिशन्स रखें? क्या नियम बनेंगे, यह स्पष्ट नहीं है। इसके अभाव में, नियमों के अभाव में ऐसे लोगों को ऋण मिल जाते हैं जो इस संस्था को बदनाम करते हैं। इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि किन व्यक्तियों को कौनसी संस्थाओं को अनुदान और ऋण देना चाहते हैं। मेघवाल, जटिये, सुथार, लोहार ऐसे लोगों को ऋण देने की भावना है तो अच्छा होगा। इस बारे में मैं मन्त्री महोदय की भावना जानना चाहूंगा। क्योंकि आज सरकार को इस कानून में प्रावधान न होने से क्या कठिनाई आयेगी, मैं समझता हूं कि वह लोगों को सहायता नहीं दे पाई। इसलिए वह देना चाहती है तो अच्छा होगा। इसके अलावा कोई एम्बीग्यूइटी न हो, नियमों में क्या प्रावधान करके आपकी मन्शा को पूर्ति कैसे करने जा रहे हैं और छोटे छोटे उद्योग धन्धे जो पनपाना चाहते हैं गांवों को विकसित करने में राज्य सरकार को कठिनाइयां उपस्थित हुई हैं, उन कठिनाइयों को किस तरह दूर करेंगे और भी कोई प्रावधान जिससे लोगों को सही रूप से अनुदान दे सकें, तो करें और नियम अच्छी तरह से बनाए जाने चाहिएं और जो धन्धा करना चाहते हैं उनको लाभ मिले न कि बड़े बड़े लोगों को अनुदान मिल सके और वे लोग जो नियमों के अभाव में ऋण नहीं ले सके उनके बारे में मन्त्री महोदय को खुलासा करना चाहिए।

दूसरी बात जो कुम्हार और जटिए हैं जो बकरी के बारे बनाते हैं, लुहार और सुथार छोटे छोटे तेल और जो घाणी का काम करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अत्यधिक फायदा हो। इसलिए मैंने इस संशोधन के जरिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि 15 दिन के लिए सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करके जो इस में रुचि रखने वाले हैं अगर अच्छी तरह से पूरे रूप से देखकर प्रस्तुत सदन में करें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ होगा, इस मन्शा से मैंने संशोधन रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे पूर्व वक्ता ने काफी कह दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री शिवनाथ सिंह।

श्री रामनारायण।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : मैं एक मिनट के लिए थोड़ा सा निवेदन कर दूं। मैं तो आपको डाक्टर समझ कर अपनी बीमारी का निवेदन करता हूं। मैं बहुत सेन्सीटिव हूं जब दोनों तरफ से सदन में माननीय सदस्यों को बिराजते हुए नहीं देखता हूं और लोबीज में बिराजते ही रहते देखता हूं तो मुझे पीड़ा होती है, यह पीड़ा कैसे कम हो क्योंकि काम से चले जायें तो मैं समझता हूं लेकिन लोबीज में बिराजते रहें और जब लम्बी घंटी बजाई जाय तब आयें तो मेरी पीड़ा कैसे कम हो?

श्री उपाध्यक्ष : आप भी लॉबी में पधार जाइये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : वह तो मैं नहीं करने वाला हूं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इसके लिये भी आपको भूख हड़ताल करनी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण।

श्री रामनारायण (मंडावा) : राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1968, पर इस समय विचार चल रहा है। मैं भी खादी उत्पादन करने वालों और खादी पहनने वालों का पक्षपाती हूं और हिमायती हूं। खादी संस्थायें एक तरह से राष्ट्रीय संस्थायें हैं। खादी के प्रति देश में एक प्रकार की भावना है और उस भावना को कायम रखने के लिये और आगे बढ़ाने के लिये हमारे मन्त्री महोदय ने विधेयक में संशोधन प्रस्तुत किया है। इस संशोधन को देखने से जानकारी मिलती है कि वह खादी बोर्ड के काम को और अधिक विस्तृत बनाना चाहती है और ऐसे लोगों को जो खादी बोर्ड से लाभ नहीं उठा सकते हैं, जो गांवों में छोटे छोटे उद्योग धन्धे चलाते हैं उन लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए यह संशोधन लाया जा रहा है, ऐसा मैं समझता हूं। अब तक जो खादी बोर्ड के नियम रहे हैं, उनके अनुसार सार्वजनिक संस्थाओं और सहकारी समितियों को ही ऋण और अनुदान दिया जाता रहा है। इस सदन में पीछे बैठने वाले लोगों ने खादी के बारे में और खादी पहनने वालों के बारे में काफी कहा है। मैं उनके कथन को कुछ नहीं समझता और अपना प्रतिरोध प्रकट करता हूं। खादी के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा है उसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि खादी के बारे में उनको पूरा ज्ञान नहीं है। खादी पहनने वालों के बारे में जो कुछ उन्होंने छींटाकसी की है, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि खादी पहनने वाले लोगों में गड़बड़ी नहीं है और उनमें कोई कमी नहीं है लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं कि खादी पहनने वालों में एक प्रकार की भावना है और खादी पहनने वाले अधिकांश लोग अच्छे हैं, यह मेरा दावा है। कहने के लिए तो सदन में प्रत्येक व्यक्ति को छूट है, आजादी है और स्वतंत्रता-पूर्वक अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकते हैं लेकिन इस सदन में हम क्या कहें, किस प्रकार और किस भाषा में भावों की अभिव्यक्ति करे यह कहने वालों की जिम्मेदारी पर छोड़ना पड़ेगा।

मन्त्री महोदय ने संशोधन पेश किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। इस संशोधन से काफी लोगों को फायदा पहुंचेगा लेकिन इसके साथ ही साथ मन्त्री महोदय से यह भी चाहूंगा कि जिस प्रकार का संशोधन आप लाना चाहते हैं, ला रहे हैं, वह पास होगा और पास करने में हम मदद करेंगे। यह पास हो जाने के बाद आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उस संशोधन के द्वारा जो आपको या खादी बोर्ड को अधिकार मिलता है, उस अधिकार का सदुपयोग हो और दुरुपयोग न हो। आपके खादी बोर्ड के पुराने काम काज को देखने से और काम काज के तौर तरीकों में अधिक बारीकी में जाने के बाद जो स्थिति हमारे सामने आती है वह दुखदाई है। खादी बोर्ड को करोड़ों रुपये मिले हैं और उन्होंने खर्च किये हैं। हमने देखा कि ऑडिट रिपोर्ट के अन्दर बहुत से इस तरह के आक्षेप किये गये हैं, जो गंभीर है। हमने देखा है कि लाखों

(श्री रामनारायण)

रुपयों के यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट्स नहीं आये हैं। आडीटर्स ने इस बात पर रिमार्क्स दिए हैं वे खेदपूर्ण हैं। उन संस्थाओं का निरीक्षण ही नहीं किया गया, उनको ऋण देने और अनुदान देने से पूर्व न तो उनका सर्वेक्षण किया गया न उनकी स्थिति का ज्ञान किया गया और बिना पूरे अध्ययन के उन संस्थाओं को लाखों रुपये दिए गए और उसके बाद क्या हुआ ? बोर्ड के पास कोई हिसाब नहीं है। 11 लाख और कुछ हजार रुपये के यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट्स नहीं आये हैं, उनकी ओर मन्त्री महोदय ध्यान दें और उन रुपयों का क्या हुआ, इस मामले में भी वह अपना वक्तव्य दें और स्थिति स्पष्ट करें। मैं खादी संस्थाओं को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के पक्ष में हूं। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विधेयक लाया गया है, उसमें मैं अपने पूर्व अनुभव को देखते हुए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि खादी ग्रामोद्योग जिस भावना से इसकी नींव डाली गई थी वह देश के लिये एक उत्थान का कारण थी। इसकी असफलता का कारण इस उद्योग को व्यक्ति विशेष ने, एक भारतीय जनता के नागरिक नहीं किन्तु एक पार्टी विशेष के नाते इसको ले करके जनता को काफी दूर रखा है। अनुदान के रूप में चाहे सहायता के रूप में और चाहे ऋण के रूप में जो उनका विशेष लाभ हुआ है वह अत्यन्त खेदजनक है। जहां तक मेरे ध्यान में आया है खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नाम से 50-50 हजार रुपये का अनुदान लेकर लोग खा गये। इसके फलस्वरूप सदन के एक उच्च अधिकारी जिसको आप चाहे मन्त्री कहें, चाहे वे नेता रह चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया इस घोटाले से। जो कुछ उद्योग को हानि पहुंची है, उन्होंने इस्तीफा देकर जान छुड़ाई। यह उद्योग ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो जो इसको सुचारुरूप से प्रारम्भ करने वाले महात्मा गांधी ने इसको प्रारम्भ किया कि देश से गरीबी, गांवों से भूख मरी और स्त्रियां अपने योग्य कार्य को घर में बैठ कर करें। गरीब और अनाथ अपना काम सुचारुरूप से चला सकें। जहां तक राजस्थान का सवाल है, मैं समझता हूं यहां मोटा खाना और मोटा कपड़ा पहना जाता है। किन्तु ग्रामीण उद्योग का जो कर्तव्य है वह हमारे सत्ताधारी, उनको पूरा न निभा सके। आज लाखों की सम्पत्ति अनुदान के रूप में देते हैं तो आपके ऊपर संघर्ष होगा, खिलाफत होगी और जिस भावना से यह उद्योग पनपाया गया था वह कार्य एक व्यक्तिविशेष का न होते हुए, मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं इसे दल का रंग लग गया है। चाहे वह बढ़ई हो, धोबी हो चाहे कोई भी हो उनको अनुदान मिलना चाहिये था किन्तु उन संस्थाओं को नहीं मिल पाता है। आज आप संशोधन लाने वाले हैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री मण्डल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो नींव खादी ग्रामोद्योग की डाली गई है वह बापूजी की विचारधारा से अलग है। वह एक समय था। आज तो दुख के साथ कहना पड़ता है बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी अन्दर तो मील का बनियान पहनते हैं और बाहर से खद्दर। ये देश के साथ धोखा करते हैं। विशेषकर जहां राजस्थान की गरीबी और भुखमरी सर्व-

(श्री भगवानदास शास्त्री)

व्यापी है। बापूजी के उद्देश्य के अनुसार घर घर में चर्खा चलाना, घर घर में सूत बनाना, यह परम आवश्यक था। बहुत से कार्यकर्ता यह चिल्लाने लगते हैं कि अनुदान नहीं मिलता है, ऋण नहीं मिलता है फिर आपके संशोधन लाने से मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अनुदान धनी लोगों को प्राप्त होगा, जो गरीब लोग हैं उनको प्राप्त नहीं होगा। यह ऋण प्राप्त होगा, उनको जिनके पास शक्ति है, जिनके पास पैसा है और जो आपके चुनाव में समर्थन करते होंगे। उपाध्यक्ष महोदय जो प्रायोरिटि इस खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में बरतनी चाहिये वह मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि नहीं बरती जा रही है। आज जो ऋण लेते हैं उनके लिये ये देखते हैं कि उनके पास कोई प्रापर्टी तो नहीं है कोई दुकान या मकान तो नहीं है—ऐसे लोगों को ऋण मिलेगा। मैं कहता हूं वे ऋण के लायक नहीं हैं। ऋण तब दिया जाता है जब कोई कार्पोरेशन हों, जिसके पास अपनी जमीन हो, जायदाद हो ताकि वह अपनी जमीन जायदाद गिरवी गवर्नमेंट के पास रख सके। कुछ न कुछ स्योरिटी के रूप में विटनेस होनी चाहिये जिससे ऋण प्राप्त हो सके। जिनको ऋण दिया जाता है उनसे बांड भरवा लिये जायें चाहे वे 10 वर्ष के हों, 5 वर्ष के हों, या चाहे 20 वर्ष के हों। पर कम से कम स्योरिटि होना आवश्यक है। मेरे विचार में जो संस्थाएं हैं और जहां तक उनके कार्य करने का प्रश्न है वे सब फर्जी हैं। आप संशोधन लाये, संशोधन में जहां तक मुझे जो बू आती है वह यही है कि कुछ लोगों को जिनको आप विशेष रूप से फायदा पहुंचाना चाहते हैं, वह पहुंचायेंगे। मैं व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाना नहीं चाहता। ये संस्थाएं जनता को राहत देने के लिये हैं, भारतीय नागरिक को राहत देने के लिये है, किसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं है। कोई भी कार्य सुचारु रूप से नहीं चलता है। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है इस उद्योग से किसी व्यक्ति विशेष को फायदा हुआ होगा, आम जनता को किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ है यह मेरा पूरा विश्वास है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड हमारे लिये कोई फायदे की संस्था हो......

(लगातार लम्बी घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भगवानदास शास्त्री : यह खादी बोर्ड सुचारु रूप से.........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भगवानदास शास्त्री : बस मैं स्पष्ट करके—...। खादी ग्रामोद्योग के लिये नियमित रूप से यह संशोधन जो आप लाये हैं, मैं उनसे कतई सहमत नहीं हूं। मैं अपने प्रोग्राम में आपके प्रति यह धारणा रखना चाहता हूं यह विचार रखना चाहता हूं कि जिनको ऋण या अनुदान दिया जावे, जिस किसी व्यक्ति को भी यह दिया जाय, उससे स्योरिटि के रूप में कुछ न कुछ अवश्य लिया जावे। चाहे............

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह आवश्यक है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजोरिया।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संशोधन विधेयक सदन में रखा है और जिन माननीय सदस्यों ने इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिये कहा है, उनका मैं समर्थन करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि यह जो खादी ग्रामोद्योग है और इस खादीग्रामोद्योग से जिन लोगों को या जिन संस्थाओं को फायदा होना चाहिये था, उनको तो होता नहीं और दूसरे लोग इसका फायदा उठाते हैं। मैं सबसे पहली बात यह कहूंगा कि जो यह खादी गान्धीजी ने चलाई है, इसका दूसरा उद्देश्य था और आज की गवर्नमेंट ने इसको एक पार्टी बेसिस पर और अपने दल को पनपाने वाली बनाली है। गान्धीजी का उद्देश्य था कि देश का बना हुआ कपड़ा पहना जाय और इस कपड़े को बनाने वाले कौन हैं, इसको ध्यान में रखकर इस चीज को उन्होंने हाथ में लिया था। उन्होंने उन लोगों को देखा, जो पिछड़े हुए तबके के थे और कपड़ा बुनते थे। उन लोगों को विदेशी कपड़ों की वजह से काफी दिक्कतें उठानी पड़ती थी। इस चीज को ध्यान में रखते हुये हाथ से बुना हुआ कपड़ा काम में लिया जाय। इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाय और कांग्रेस की संस्था इसको अपने दिमाग में लेकर चले कि यह कपड़ा पहनें। यही उद्देश्य था कि इस कपड़े की खपत ज्यादा से ज्यादा हो चाहे अलबत्ता यह मंहगा पड़े ताकि कम से कम उन लोगों को मेहनत का पैसा मिल सके जो हाथ से बुनते हैं, हाथ से कातते हैं और सारा कार्य हाथों से सम्पन्न करते हैं। इस वजह से यह खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उस समय कायम किया गया था।

इसकी वजह से खादी ग्रामोद्योग चालू किये गये लेकिन इसके अन्दर क्या होने लगा देश में जो यह नीति बनायी थी अच्छी थी पिछड़े जाति के लोगों को इससे सहायता मिल सकती थी इनकी सोसाइटीज बनाकर इसको पनपाया जा सकता था। वह नहीं करके सरकार के गलत तरीके से जो लोग कपड़ा बनाते हैं उनको फायदा नहीं हो सकता। जिन लोगों का यह धन्धा नहीं था उन्होंने इन संस्थाओं के नाम पर पैसा लिया और उसको अपने उपयोग में लाने लगे।

जो पिछड़े लोग थे उनको यदि इन संस्थाओं में रखा जाता तो वे पनप सकते थे उनकी स्थिति सुधर सकती थी। लेकिन उनकी किसी प्रकार भी उन्नति नहीं हुई। इस पर साढे छः करोड़ रुपया खर्च कर दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ यदि यह रुपया पिछड़ी जाति पर ही खर्च होता तो आज जैसी स्थिति उनकी है वैसी नहीं होती। अब जो आपने व्यक्तिगत लोन देने का इस बिल में प्रावधान रखा है उससे पिछड़े हुये तबके को लाभ मिलेगा और व्यक्तिगत लोन लेकर उन रुपयों से वे फायदा उठायेंगे लेकिन आप यह सोचकर चले कि इससे पिछड़ी जाति के लोगों को किसी प्रकार से फायदा होने वाला नहीं। क्योंकि व्यक्तिगत लोन भी उन्हीं को मिलेगा जिनको पहले मिलता आया है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा अगर इस संशोधन के साथ एक कालम और जोड़े कि जो रुपया ऋण के रूप में दिया जावेगा वह उन्हीं को मिलेगा जो लोग खादी बुनते हैं या हाथ से उद्योग चलाते हैं।

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

एक बात और कहूंगा ग्रामो उद्योग के जरिये जो आर्थिक सहायता दी जाती है यह बहुत कम है। 500 रुपया देने के बाद जब तक आप उनको पूरा ऋण नहीं देंगे उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। आप कुछ अनुदान देते हैं तो उसके साथ ऋण जरूर मिलना चाहिये ताकि वह धन्धे में उसको लगा सके नहीं तो 500 रुपया खा पीकर पूरा हो जाता है। यह भी ख्याल करना होगा।

एक बात और कहना चाहता हूं हमारे पिछड़े वर्ग के पिछड़े रहने का कारण यह है इनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। एक तरफ आप जमीन नहीं देते, ग्रामोउद्योग चालू करने के लियें पूरा पैसा नहीं देते तो आखिर इस मसले को किस तरह से हल करेंगे। इन बीस सालों में इस वर्ग की हालत इतनी खराब हो गई है कि आज इनको रोजी नहीं मिलती। पहले गांव में ये लोग मजदूरी कर लिया करते थे, खेतों में लेकिन अब किसान खुद ट्रेक्टर से जमीन जोतने का काम ट्रेक्टर से या दूसरे यंत्रों द्वारा कर लिया जाता है तो इनको मजदूर भी कोई नहीं रखता। जिनके पास कुछ जमीन है भी तो वह नाम मात्र की है इसलिये इन लोगों की क्या दशा हो रही है गांवों में रहते हुए भूखे मरते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि शिड्यूलकास्ट के लड़को को पढ़ाया जाय। पढ़ाना तो दूर रहा आज उनका पेट तक नहीं भरता। जब उनकों पेट पालना मुश्किल हो जाता है. तो वे दूसरे प्रदेशों में जाकर मेहनत मजूरी करते हैं उससे भी वे अपना पेट नहीं भर पाते। मैं कांग्रेस की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग उद्योग चलाना चाहें उनको आप आर्थिक सहायता दें ऋण दें इसके साथ साथ इनको पनपाने की कोशिश करें। नहीं तो वे गांवों को छोड़कर शहर में आ जायेंगे उनसे शहरों की भी दुर्दशा हो जायेगी और यह लोग रोज पेट पालने की तलाश में मारे मारे फिरते रहेंगे। इसलिये यह कहना चाहिये कि पिछड़ी जाति के लोग जो खादी और ग्रामोद्योग में काम करते हैं उनकी पूरी तरह से मदद करें। आपके इस धन से बड़े बड़े नेता पल रहे हैं जितना भी सरकारी रुपया वो लेते हैं, वो अपने खुद के काम में लेते हैं। मनी लेन्डर का धन्धा करते हैं। अतः ऐसे लोगों को बिल्कुल कर्जा नहीं दिया जाय जो धन्धा करते हैं उन्हीं को दिया जाय यही मेरा निवेदन है।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड विधेयक जो पेश किया गया है उस सम्बन्धी जो प्रस्ताव है, कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वक्त यह संशोधन पेश हुआ मैंने देखा नहीं था मैं उम्मीद करता था कि इस संशोधन द्वारा शायद इस बोर्ड को एबोलिश करना होगा। इस संशोधन से तो भ्रष्टाचार के लिये एक सीढ़ी और बढ़ गई है। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब से इस बोर्ड का गठन हुआ है तब से इस बोर्ड की आडिट रिपोर्ट को उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा लाखों रुपयों का घोटाला. आडिट रिपोर्ट में सिद्ध किया है। सहकारी समितियों को अनुदान दिया गया बोगस समितियों को लोन दिया गया जिनकी रिकवरीज नहीं हुई। यह भी मालूम हुआ है कि लाखों रुपये के

(श्री दिग्विजय सिंह)

ऋण को सरकार ने निर्णय लेकर रेमिट कर दिया है क्योंकि ऐसी समितियां एग्जीस्ट ही नहीं करती है।

इस पवित्र संस्था को इसलिये शुरू किया गया कि इससे लघु उद्योगों को फायदा मिले इसमें भी इतना घोटाला हो गया फिर भी इस पर राज्य सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और इससे सहायता देने के लिये एक और संशोधन लाये हैं।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी सोसाइटियां जो नियमानुसार गठित हुई उनको लोन देने के बाद उनसे रिकवरी करने में सरकार असफल रही है अब इसके द्वारा जब लोन इनडिवीजुअल को चला जायगा तो बोर्ड इसको कोपविथ नहीं कर सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, खादी बोर्ड के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं जहां तक खादी पहनने का प्रश्न है उसके लिये अपनी अपनी विचार धारा है। अगर किसी को खादी के प्रति प्रेम है तो वह उसे पहन सकता है। बोर्ड का जब संचालन का सवाल था उस समय देश आजाद नहीं हुआ था उस समय इसकी आवश्यकता थी। लेकिन आज जब हम आजाद हो गये तो खादी बोर्ड को चलाने से क्या फायदा है। कोई भी खादी पहने या न पहने तो इससे क्या फर्क पड़ता है जिनको खादी पहननी है वे तो पहनेंगे ही। आज खादी ग्रामोद्योग के नाम पर लाखों रुपया हजम करने को फेक्टरी बना ली है। मेरा निश्चित मानना है बोर्ड को बन्द कर दिया जाय तो खादी पहनना बन्द हो जाय तब वास्तव में आपको पता चल जायगा कि लोगों की आस्था कितनी है खादी में। बाद में आपको यह खादी का कपड़ा देखने को नहीं मिलेगा।

दूसरी मेरी मान्यता बोर्ड के प्रति और है। यह बोर्ड सिर्फ पोलिटिकल लीडर, जो राजनैतिक क्षेत्र में पराजित हो जाते हैं उनके लिए असैलम है। उनको संरक्षण देना, उनका काम चलता रहे, रोजगार उनका चलता रहे इसलिए यह गठित किया गया है।

मैं पूछना चाहूंगा कि अगर इनकी लिस्ट उठा कर देखा जाय तो सबके सब आपको एक्स कांग्रेसमैन मिलेंगे। दूसरी पार्टी के किसी सदस्य का अगर खादी में विश्वास भी हुआ तो वह नहीं मिलेगा। अगर एक भी ऐसा व्यक्ति आप मुझे बतादें तो उपाध्यक्ष महोदय मैं कहें सो करने तैयार हूं। कांग्रेस के उन मठाधीशों को जब पब्लिक द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया तो वे एक तरफ पड़े रहें उनको प्रोत्साहन मिलता रहे और अपनी पार्टी में कोई गड़बड़ गोटाला न कर बैठें इस दृष्टि से उनको इधर बिठा दिया गया है। उनके चुप रखने के लिए यह संस्था बना दी गई है।

अन्त में यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा उन्होंने कहा कि लघु उद्योगों को इससे प्रोत्साहन होता है, मैं सिद्धान्ततः इस बात को मानता हूं कि लघु उद्योगों का भी यह माध्यम है। साथ साथ मेरा निवेदन है कि इस बोर्ड का गठन न किया जाकर यदि आपका यह सही मकसद है कि सही काम हो, तो इस काम को आप पंचायत समिति को सौंप दें। उनके पास कई प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। एग्रीकल्चर का फरटीलाइजर का प्रोग्राम उनके पास होता है तो

(श्रीदिग्विजय सिंह)

क्या वे जो वास्तव में काम करना चाहते हैं आ दी पब्लिक लेवल में इसको भी इम्प्लीमेन्ट क्यों नहीं कर सकेंगे ! उन्हीं के मार्फत आप ऋण दिलायें। वे ही इसकी देखभाल करें ताकि सही तरीके से इस राशि का उपयोग हो जावे।

साथ ही मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि इसके अन्दर यह जो अमेण्डमेन्ट आया है उस पर जो व्यक्तिगत लोन दिया जावेगा उसके लिये सिक्योरिटी और स्योरिटी का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है कि किस प्रकार से लोन दिया जावेगा और उससे पहले क्या स्योरिटी ली जावेगी। क्योंकि बहुत से ऐसे वाकये हो सकते हैं परिस्थितियां बन सकती हैं कि लोन वसूल करने में कठिनाई हो।

उसलिए इसे जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जावे यह मेरा प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मन्त्रीजी।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये उनके बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि इसके माध्यम से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पर उन्होंने विभिन्न प्रकार से समालोचनायें की। मैं क्रमशः उनके संतोष के लिए इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा।

इसके पहले मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह जो संशोधन है वह हमारा जो खादी बोर्ड है वह अखिल भारतीय खादी कमीशन से सम्बन्धित है। अखिल भारतीय खादी कमीशन पार्लियामेन्ट के एक्ट के द्वारा बना हुआ है। और वहां के एक्ट में यह प्रोवीजन है कि जिसे हम अब इस संशोधन में रख रहे हैं। पहले खादी बोर्ड के राजस्थान के एक्ट में यह प्रोवीजन नहीं था और इसकी वजह से जो आर्टिजन गांवों में रहते हैं जो परम्परा से उस खादी उद्योग में लगे लगे हुये हैं उनको इस प्रोवीजन के लाभ से वंचित रहना पड़ता रहा और जो खास मकसद हमारा था कि इस प्रकार के लोगों को विशेष लाभ मिले और उनकी उत्पादन शक्ति से देश का धन बढ़े और एम्प्लोयमेन्ट मिले उनको उसमें यह एक कमी महसूस की जा रही थी।

एक माननीय सदस्य ने कहा सहकारी समितियों को ही इसके अन्दर जो काम करती हैं ऋण दिया जाना चाहिये। सहायता दी जानी चाहिए और इस संशोधन से उनको नहीं दी जाकर दूसरों को दी जाने की बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो वर्तमान एक्ट के तहत केवल सहकारी समितियों को ही ऋण दिये जाने का प्रावधान है। अब इस संशोधन से उनके साथ साथ इन्डिविजुअल व्यक्तियों को भी या व्यक्तियों के समूहों को भी दी जानी चाहिए इसकी व्यवस्था है। इसलिये इससे यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि इसके पास होने के बाद सहकारी समितियों को ऋण अनुदान नहीं दिया जावेगा। उनको तो बराबर बदस्तूर दिया जाता ही रहेगा। तो यह भ्रम माननीय सदस्यों को दूर कर लेना चाहिये अगर ऐसा भ्रम है तो।

इसके साथ जो यह कहा गया कि सहकारी समितियों के अलावा जो व्यक्तियों को दिया जावे तो वह बोर्ड को खतम करके

(श्री अमृतलाल यादव)

पंचायत समितियों और जिला परिषदों के मार्फत दिया जावे तो उनको भी इस संशोधन से जहां अच्छा काम हो सकता हो, दिये जाने की गुंजाइश हो सकती है। तो इस वजह से यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि कोई सहकारी समितियों को नहीं दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

यह कहा गया कि जो इसमें अधिकतर रकम लगी है उसकी वसूली वक्त पर नहीं होती है और जो ऋण या अनुदान दिये जाते हैं तो उनके देने के और वसूली के नियम नहीं हैं और कर्मचारियों के लिये भी सेवा नियम नहीं हैं। इसके लिये निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी खादी बोर्ड को सहायता दी जाती है वह उन योजनाओं और स्कीमों के अन्तर्गत दी जाती है जो बनाई जाती हैं और वे योजनाएं खादी कमीशन के पास स्वीकृति हेतु भेजी जाती हैं और खादी कमीशन काफी बहस मुबाहिसे के बाद उनको स्वीकृति करता है और इसके बाद यह ऋण खादी बोर्ड को दिया जाता है और फिर खादी बोर्ड विभिन्न संस्थाओं को देता है। इन ऋण और सहायता के भी पुख्ता नियम बने हुये हैं और वे नियम कमीशन के द्वारा निर्धारित है और कमीशन के नियम भारत सरकार द्वारा निर्धारित हैं।

अब जो दिया गया उसका उपयोग दुरुपयोग कितना हुआ इसके लिए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एक मई 67 तक 101 विभिन्न समितियों को 64 लाख 5 हजार का ऋण दिया गया है। इसमें से करीब 46 लाख वसूल हो गये और जो बाकी हैं वह करीब 17 लाख का है उसमें भी उन संस्थाओं के पास इससे अधिक की कीमत की उत्पादित खादी स्टाक में पड़ी है। खादी का उत्पादन जब अधिक हो जाता है और खपत नहीं हो पाती तो रकम अटक जाती है तो माल तो जमा रहता है वह जब बिक जावेगा तो उस पैसे की वसूली भी हो जावेगी। तो कहीं कहीं इस वजह से रकम अटक जाती है और वसूली में देर लगती है तो वसूली की तरफ सरकार को पूरी पूरी तवज्जह है।

अब यह आरोप लगाया गया कि खादी बोर्ड में उन्हीं लोगों को लिया जाता है जो कोई राजनीति से चुनाव हारे हुए होते हैं या राजनैतिक किसी दल विशेष के ही आदमी होते है। मैं यह निवेदन करना चाहता कि यह खादी बोर्ड के जो अध्यक्ष होते है वे राज्य के मन्त्री होते हैं और उनके सदस्य वे लोग होते है जो इस कार्य में शुरू से लगे होते हैं। जो खादी ग्रामोद्योग में काम में लगे हैं वे किसी राजनीति में नहीं है और न वे राजनीति में रहे इस बात की अपेक्षा उनसे की जाती है। जहां तक खादी बोर्ड के सचीव का सवाल है उसके लिए आपको जानकर खुशी होगी कि उसका सचिव कोई राजनैतिक पार्टी का नेता या नान आफिसियल लोगों में से नहीं है बल्कि राज्य सेवा में से आये हुए व्यक्ति है।

इसके अतिरिक्त फाईनेन्सियल एडवाइजर और अधिकांश कर्मचारी राज्य सेवा में से हैं और इसके अलावा जो कर्मचारी नियुक्त किये जाते है वे एक विशेष समिति के द्वारा किये जाते है और राज्य सेवा के जो नियम है वे ही उन पर लागू होते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मन्त्रीजी, एक बात बता दीजिये कि 1 मई 67 तक 9

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

लाख 10 हजार बाकी है तो उसमें जिनके प्रमाण-पत्र नहीं आये वे कितने हैं ?

एक माननीय सदस्य : दूसरी जाति के लोगों के साथ हरिजनों को भी नौकरियां देने में ध्यान रख गया है ।

श्री अमृतलाल यादव : मैं माननीय सदस्य के इस विचार का स्वागत करता हूं और मैं माननीय उपाध्यक्षजी, इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब से मैं इस बोर्ड का अध्यक्ष हुआ हूं तब अध्यक्ष होने के दूसरे दिन ही मैंने उन पर यह पाबंदी कर दी कि जो भारत के संविधान में 12½ प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए प्रावधान है वह इस बोर्ड पर भी लागू होगा और इसलिए मैंने उनको कहा है कि आप लिस्ट पेश करे कि इस बोर्ड में कितने कर्मचारी ऐसे है कि जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं और कितने वैसे हैं.......

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसमें हरिजनों का भी ख्याल रखना ।

श्री अमृतलाल यादव : शिड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति और उसका परिष्कृत शब्द हैं हरिजन ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपकी बिरादरी में आ जाते हैं लेकिन हरिजन नहीं आते है ।

श्री अमृतलाल यादव : मेरी जाति में तो हरिजन ही है । हरिजन और आदिवासियों के लिए राज्य सेवा में जो प्रावधान है उसी तरह का प्रावधान खादी बोर्ड में भी है । इस बात का पाबन्द मैंने अपने अध्यक्ष होने के बाद वहां किया है और मुझे यह निवेदन करते हुए खुशी है कि इसके लिए खादी बोर्ड के कर्मचारी सजग हैं और उन्होंने इस ओर कदम उठाया है । कुछ ऐसा होता है कुछ जगह खाली नहीं होती है तो नयी जगह क्रियेट करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन जितना स्टाफ है उसके मुताबिक प्रतिशत पूरा हो यह प्रयत्न किया जाता है ।

श्री श्रवणलाल : आपने कहा कि सर्विस रूल्स लागू कर दिये गये हैं तो कब से लागू किये गये हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : लागू हैं वह तो ।

श्री उपाध्यक्ष : उसके आप अध्यक्ष बने उसके दूसरे दिन से ।

श्री केसरीसिंह : उससे पहले कोई सर्विस रूल्स नहीं थे क्या ?

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु.): उपाध्यक्ष महोदय, यह बता सकते हैं कि कितने उसमें हमारे लोग हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए अलग से पूछ लें । अभी जो विधेयक विचाराधीन है उस पर चर्चा चल रही है इसलिए मन्त्री महोदय का पहले उत्तर सुन लें ।

श्री परसराम गंगाराम : सारी पता होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : यह आशा नहीं की जा सकती कि उनके पास सारी सूचना हो ।

श्री अमृतलाल यादव : मैं यह निवेदन कर रहा था माननीय सदस्य के सन्तोष के लिए कि यह तो मै नहीं कह सकता कि कितने कुल कर्मचारी हैं और कितने आदिवासी हैं ……………।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी जानकारी में कितने हैं यह बता दें।

श्री अमृतलाल यादव : लेकिन अधिक से अधिक इस तरफ तवज्जह दे रहे हैं यह मैं आपके सन्तोष के लिए कह रहा हूं।—

श्री श्रवणलाल : आपका जो बोर्ड बना हुआ है उसमें भी इस प्रकार के कोई व्यक्ति लिये गये हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : बिल्कुल

श्री श्रवणलाल : कितने ?

श्री अमृतलाल यादव : वह तो अलग बात है पर लिए गए हैं।

श्री श्रवणलाल : कितने लिये गये हैं, एक, दो या चार ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न है यह।

श्री अमृतलाल यादव : 1-2-66 से यह लागू किया गया तो यह मैंने आपसे निवेदन किया। अब बारां से आने वाले मानयीय सदस्य ने एक संस्था के बारे में कहा। मैं उस संस्था के लिए और इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां भी कहीं इस प्रकार की संस्थाओं में जो गड़बड़ियां नजर आती हैं उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए यथा सम्भव पूरा प्रयत्न किया जाता है और उसके जो फाइनेन्शल एडवाइजर हैं और जो अकाउण्ट्स् सेक्शन में काम करते हैं वह लोग इसको देखते हैं। जिस संस्था विशेष की ओर आपने ध्यान आकर्षित किया उसके बारे में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि उस संस्था की तरफ जो कुछ बकाया निकलतो है उस संस्था की जो भी चल-संपत्ति थी उसको कुर्क करके रकम को वसूल किया है और उसकी जो अचल सम्पत्ति है उसको बोर्ड के हक में ट्रांसफर करने के लिए सख्ती से कार्यवाही की जा रही है और यहां तक की कमीशन तक को भी इस बात के लिए जोर देकर लिखा जा रहा है। इसलिए यह प्रश्न नहीं है कि कोई ढिलाई बरतने का सवाल आता है। उस क्षेत्र में घास अधिक होती है और सहरिये जो कि आदिवासी लोग हैं उनके लिए कोई उद्योग की बात हो तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि न तो आपकी तरफ से और न कहीं उनकी तरफ से किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की कोई योजना खादी बोर्ड के सामने रखी।…. …

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मंत्री जी मैं आपको एक बात बता दूं कि शाहबाद पंचायत समिति ने एक रेज्योल्युशन पास किया। शाहबाद पंचायत समिति ने एक फण्ड इकट्ठा किया और 50 हजार रुपये की लागत से छींपाबाड़ी के अन्दर गत्ता फैक्टरी खोलने का एक निर्णय किया था वह ड्राप कर दिया गया और आज तक वह कारखाना स्थपित नहीं हुआ।

श्री अमृतलाल यादव : खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो काम करता है उसके कमीशन से स्वीकृत कुछ उद्योग होते हैं और उन

(श्री अमृतलाल यादव)

उद्योगों की लिस्ट के अनुसार ही हम उसके अन्दर काम कर सकते हैं तो यह जो कार्ड बोर्ड का उद्योग है यह उसके अंदर नहीं है। हाथ कागज का उसमें है। इसको मैं आपको निवेदन करता हूं। और हाथ कागज की वहां सहरियों के लिए कोई व्यवस्था करने की बात हो तो बोर्ड सहर्ष उनको सहायता देने के लिए तैयार रहेगा और जहां तक पंचायत समिति का सवाल है उसी के लिए संशोधन है कि सहकारी समिति जो रजिस्टर्ड हों उनके अलावा किसी और को नहीं दे सकते इसलिए प्रावीजन है कि उनको भी दे सकें और उन व्यक्तियों को भी दे सकें। क्योंकि रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसाइटी में कम से कम दस–बारह सदस्य होने चाहिए। अब जहां कहीं भी दो खाती हैं, चार सुनार हैं वह अच्छा काम करते हैं तो वह उस लाभ से वंचित होते हैं क्योंकि यह अनुदान और ऋण कमीशन से मिलता है। भारत सरकार से कमीशन के द्वारा मिलता है उससे भी यह ट्रेडीशनल आर्टीजन्स वंचित रह जाते हैं इसलिए वह वंचित न रह इसके लिए यह किया गया है।

एक और माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई थी कि उनके यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह तेजी से ध्यान दिया जा रहा हैं और अधिकांश संस्थाओं के यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट्स प्राप्त किये जा चुके हैं और बाकी के लिए पूरी तेजी से काम हो रहा हैं। .. .

श्री रघुनाथ विश्नोई : कितनों के बाकी हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : मैं अधिकांश के लिए निवेदन कर सकता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सरंजाम कार्यालय का क्या हुआ ?

श्री अमृतलाल यादव : सरंजाम कार्यालय का जहां तक सवाल है वह घाटे में चलता था और उस कार्यालय से कुछ अधिक लाभ का सवाल नहीं था और उसको घाटे में चलाने के लिए बोर्ड ने उचित नहीं समझा और एक रेज्योल्युशन द्वारा उसको बन्द करना पसन्द किया। उसमें जो अबर चर्खे और दूसरी चीजें हैं वह संस्थाओं को उचित व्यवस्था के अनुसार उनको दी जाये जैसे ट्रेडीशनल चर्खा है वह आज भी गांवों में खपता है और मैं निवेदन करूं कि लगभग इस उद्योग से करीब करीब $1\frac{1}{2}$ लाख लोगों को इससे धंधा मिलता है और $1\frac{1}{2}$ लाख में भी ऐसे लोग हैं कि जो गरीब हैं, जो गावों में रहने वाले हैं। अब इसका मील उद्योग से मुकाबला करने की दृष्टि से तो कोई आधार इसका नहीं रहता है। जो ग्रामीण अपने यहां रहते हैं, कृषि के साथ इसका सम्बन्ध आता है। मैं इसको मानता हूं कि 80 प्रतिशत जो भारत के ग्रामीण हैं उनका संबध कृषि से है और जो गावों में प्राचीन उद्योग धन्धे हैं उनको प्रोत्साहित कया जाना अत्यन्त आवश्यक है और इसी उद्देश्य से यह खादी कमीशन और स्टेट्स में खादी बोर्ड कायम किये गये हैं।...... इस तरह से काम कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपको खुशी होगी कि राजस्थान में खादी का जो आज उत्पादन किया जाता है उसकी क्वालिटी में बहुत उन्नति हुई है। आज से 10 साल पहले जो खादी उत्पादित की जाती थी उसको

(श्री अमृतलाल यादव)
क्वालिटी में और आज की खादी की क्वालिटी में बहुत अंतर आया है। यहां की संस्थाओं का माल मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और दूसरी जगह जाता है। इसके अलावा कुछ विशेष चीजें जो यहां होती हैं जैसे गाढ़ा जो कुर्तों के काम आता है इस गाढ़ा में यहां की राजस्थान की संस्थाओं ने बहुत नाम कमाया है।......

श्री विजयसिंह रावत : मंत्रीजी यह सूचना तो दे दें कि ढ़ाका की मलमल से आपका स्टेन्डर्ड कितना गिर गया है ?

श्री अमृतलाल यादव : यह तो आप पता लगा लेंगे। मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के जहां तक गाढ़ा का सवाल है उसने बहुत नाम कमाया है। इसके अलावा विभिन्न तरह के माल के बारे में भी आपको जानकारी होगी। आपको यह जानकर खुशी होगी कि यहां पर विदेशी पर्यटक आते हैं वे भी काफी बड़ी तादाद में छपी हुई छीटें और साड़ियां अधिक मात्रा में खरीदते हैं। वे लोग पेन्ट और कोट का कपड़ा भी खरीदते हैं। राजस्थान खादी बोर्ड को जो दूसरी प्रशंसा प्राप्त हुई है वह राजस्थान के ऊनी माल में हुई है। ऊनी कम्बल ओढ़ने की लोई, साड़ी, कोट, पेन्ट के कपड़े आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। खास करके राजस्थान के बोर्डर पर जो लोग रहते हैं उनकी इन्कम दूसरे लोगों से आधी भी नहीं है वहां के लोगों को रोजगार दिलाने के लिये खादी कमीशन और खादी बोर्ड ने महत्वपूर्ण काम किया है। उनका यह काम सराहने योग्य है।

श्री परसरामः आपको खादी के विषय में और चर्म उद्योग के विषय में कितना ज्ञान है और आपके घर में कितने व्यक्ति इसको पहते हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर) : आपके घर में कितने व्यक्ति खद्दर पहनने वाले हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिये अलग प्रश्न पूछें।

श्री अमृतलाल यादव : मैं खादी पहनता हूं, मेरे परिवार में भी खादी पहनते हैं और आपके परिवार में ज्यादा लोग पहनते है। मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के बोर्डर पर खादी बोर्ड द्वारा ऊनी माल उत्पादन करने का काम किया जाता है उससे काफी लोगों को रोटी रोजी मिली है। वहां पर अच्छी किस्म का ऊनी माल तैयार होता है उससे लाभ भी अधिक से अधिक होता है। इस प्रकार लाख डेढ़ लाख लोगों को काम मिलता है और उनके रोटी रोजी का इन्तजाम होता है। इस खादी बोर्ड के अन्दर जो विभिन्न प्रकार के लोग काम करते हैं उनके लिए वेलफेयर और प्रोविडेन्ट फंड का भी प्रोविजन है।

जो अन्य उद्योग खादी के अलावा हैं उनके बारे में मैं इतना ही निवेदन करदूं कि जितना दूसरे उद्योगों के बारे में और अन्य बातों के बारे में कहा गया उनके बारे में मैंने जानकारी दी। चर्म उद्योग के बारे में भी कह दिया बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि वहां पर आंकड़ा अधिक तादाद में होता हैं उसका सदुपयोग नहीं हो रहा था, ग्रामोद्योग बोर्ड के जरिये यह योजना तैयार की गई कि उसका रेशा बनाया जाय इसलिये उसका रेशा बनाया गया और प्रदर्शनी में रखा गया और सब तरफ से उसकी प्रशंसा हुई और उससे काफी लोगों को एम्पलोयमेंट दिया जा रहा है।

(श्री अमृतलाल यादव)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्यों ने जो जो मुद्दे उठाये यथा संभव मैंने उनका उत्तर देने की कोशिश की। खादी में मिलावट करने की बात कही गई उससे किसी आदमी को दुःख हुए बिना नहीं रह सकता। खादी जैसी चीज में मिलावट हो तो यह बहुत बुरी चीज है। खादी बोर्ड के अन्तर्गत जो संस्थायें काम करती हैं उनके द्वारा तैयार की गई खादी प्रमाणितमानी जाती है। खादी बोर्ड के अंतर्गत काम करनेवाली संस्था जिसको प्रमाणित संस्था कहते हैं उसमें से किसी ने मिलावट की हो ऐसी बात मेरी ध्यान में नहीं है। अप्रमाणित खादी संस्थायें भी चलती हैं। खादी का मतलब है हाथ से बुना हुआ तानाबाना काम में लाकर कपड़ा बनाना। उसके साथ कोई मिल का धागा काम में ले लेता है तो यह मिलावट कहलाती हैं। किसी अप्रमाणित संस्था ने ऐसा किया होगा। प्रमाणित संस्था का ऐसा कोई उदाहरण नहीं है।

श्री श्रवणलाल (हिण्डोली) : यह आपने कैसे कहा कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है ? मैं हाईकोर्ट के जजमेंट का हवाला दे सकता हूं। करोली की खादी संस्था के बारे में हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि खादी में मिल का सूत मिलाया है।

श्री अमृतलाल यादव : मेरी जानकारी में यह बात नहीं है। ऐसा हुआ होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी हुई होगी। जहां तक यह सवाल है, ऐसी अप्रमाणित संस्थाओं ने मिश्रित खादी बनाई होगी तो पता नहीं। ऐसी खादी भी कई लोग खरीद लेते हैं और यह सन्तोष करते हैं कि यह खादी है। हमारे द्वारा उनको रोकने का प्रश्न नहीं है। लेकिन जो खादी बोर्ड के अन्तर्गत संस्थाऐं चलती हैं उनके द्वारा मिलावट करने का सवाल हो तो···

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सवाल है कि खादी के अंदर मिलावट का कोई केस चालान नहीं हुआ है······

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : लोक सभा की जनलेखा समिति ने राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में अपनी रिपोर्ट के बारे में लिखा है···

श्री अमृतलाल यादव : क्या फरमाया?

श्री देवीदत्त गाड़िया : लोक सभा की जनलेखा समिति···

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय को बजट के समय उठाया जा सकता है।

श्री विजयसिंह रावत : अभी मंत्रीजी कह रहे थे कि ऐसी मिलावट की शिकायत नहीं है. मिलावट कभी होती नहीं है। जब एक माननीय सदस्य ने कहा कि हाईकोर्ट की रूलिंग है। आपका यह कहना कि मिलावट कभी हुई नहीं है सदन को गुमराह करना है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कहा कि उनके ध्यान में नहीं आया, हाईकोर्ट का रूलिंग नहीं पढ़ा होगा।

श्री अमृतलाल यादव : गुमराह करने की कौनसी बात हुई। खादी के बारे में जानते तो हैं नहीं, अचानक टपक पड़ते हैं····

श्री विजयसिंह रावत : ये टपकने की बात कह रहे हैं मैं इस पर सख्त ऐतराज करता हूं । मैं यह निवेदन करता हूं कि यह शब्द कार्यवाही में से निकाल दिया जाय । मेरा खयाल है कि ये भी आसमान से टपक नहीं पड़े होंगे । भ्रष्टाचार का खून भरा हुआ है । इनसे तो मैं ज्यादा अच्छा हूं । इनसे मैंने राजस्थान की ज्यादा सरविस की है । तीन तीन लड़ाइयां लड़ कर यहां पर आया हूं । क्या काम किया है । मेरे पर चार्ज लगाते हो । अपना मुंह दर्पण में देखो । एक भ्रष्टाचारी किस मुंह से मेरे को कहता है कि टपक पड़े हो ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर प्लीज ।

श्री विजयसिंह रावत : मेरे को कहते हैं टपक पड़ा । मैं तीन तीन लड़ाइयां लड़ कर चुनाव में खड़ा हुआ और तुम्हारे भ्रष्टाचारी वित्त मंत्री को हरा कर आया हूं मेरे को बोलने की सुध नहीं है । यहां पर दलितवर्ग का नारा लगा कर बैठ गये हो । आपने फिर बात कही तो बाहर निकलिये बाहर निकल कर दो दो हाथ करें···

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष (मंत्रीजी से): आप ही छोटा करदें अपना भाषण ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मंत्री जी इस प्रकार एक माननीय सदस्य को जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चुनकर आये हैं, भूतपूर्व वित्त मंत्रीजी को हजारों मतों से पराजित करके आये हैं, उनके लिये कहना कि टपक पड़े हो, उचित नहीं है इसलिये इस शब्द को प्रोसिडिंग में से निकाल दिया जाय क्योंकि ये चुन कर आये हैं टपक कर नहीं आये हैं । यह शब्द असंसदीय है एक जिम्मेदार मंत्री यदि इस प्रकार की भाषा का उपयोग करेगा मैं समझता हूं,

श्री उपाध्यक्ष : टपक पड़े हो का मतलब यह है कि वित्त मंत्रीजी के खिलाफ जीतने की उम्मीद नहीं थी पर जीत गये, अचानक आ गये ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्री जैसा जिम्मेदार व्यक्ति असंसदीय शब्द चुने हुए प्रतिनिधि के लिये कहेगा तो मंत्रियों के बारे में भी इस प्रकार के शब्द कहे जायेंगे ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप कौनसी कसर रखते हैं·· ···

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर प्लीज ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वरना इन शब्दों को निकाल दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री को इस शब्द के लिए खेद प्रगट करना चाहिये और यह शब्द प्रोसीडिंग्ज से निकाले जाने चाहियें ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने शब्द कहा है, XXइसे प्रोसीडिंग्स से हटाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : तुम को हटा दिया जाय ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : टपक पड़े यह शब्द निकाले जाने चाहियें । माननीय सदस्य चुनकर आये हैं, टपक नही पड़े हैं ।

XX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये ।

(श्री विजयसिंह रावत, श्री परसराम, गंगाराम और श्री देवीदत्त गाड़िया के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष : एक माननीय सदस्य बोलें। तीन कैसे बोलेंगे ?

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध है मुझे कोई आपत्ति नही है, मंत्रीजी मुझे कैसे कैसे भी शब्द कहें, मुझे कुछ भी कहें। जहां तक सम्बन्ध है एक विधायक का, जहां तक विधान सभा सदस्य का सम्बन्ध है, उसके लिए यह शब्द कहना, और वह ट्रेजरी बेंचेज पर बैठने वाले व्यक्ति के द्वारा कहना, जो जिम्मेदार व्यक्ति है कि यह व्यक्ति अचानक टपक पड़ा है, तो यह शब्द गम्भीर शब्द है क्योंकि मतदाताओं ने मुझे चुन कर भेजा है। इस विधान सभा की जो गरिमा है उसको मंत्री महोदय ने चैलेंज दिया है और मतदाताओं की इन्टेग्रिटी को क्वेश्चन किया है। इसलिये मैं आपके द्वारा चाहूंगा कि टपक पड़े हैं यह शब्द प्रोसीडिंग्स से निकालिये और मंत्री महोदय को खड़े होकर खेद प्रकट करने के लिये कहिये। अगर ऐसा नही करते हैं तो मैं आपत्ति प्रकट करता हूं और उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव करता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, जहां तक इस शब्द का प्रश्न है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग काफी होता है और बहुत बार होता है। टपक पड़े शब्द है, इसका मतलब है कि भगवान की कृपा से आ गये हैं। पहले जिस तरह से देवता भाषण करते थे उस माफिक यहां भाषण करें तब तो और बात है। वैसे मैं इस तरह के शब्द के लिए कहता हूं कि टपक पड़े हैं हाउस में, का मतलब है, अचानक आ गये हैं इस हाउस में, यह जीत नहीं सकते थे, तो कैसे आ गये यानि टपक पड़े हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इससे ज्यादा ज्यादा सख्त शब्दों का प्रयोग हुआ है इधर से और उधर से······

श्री विजयसिंह रावत : इससे ज्यादा सख्त शब्दों का प्रयोग हुआ होगा तो एक्सपंज भी हुआ होगा और खेद भी प्रकट किया गया होगा। इसलिये मंत्री महोदय ने जो शब्द कहा है, उसके लिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आप जो ठीक समझें वह व्यवस्था दें लेकिन आपको इस पर व्यवस्था देनी चाहिये।

श्री मदनसिंह दांता : मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं।

श्री विजयसिंह रावत : और इन शब्दों को प्रोसीडिंग्स में से एक्सपंज किया जाना चाहिए।

श्री मदनसिंह दांता : मै तारीफ नहीं करना चाहता। इस शब्द के लिए मैं अर्ज करता हूं कि अगर इस शब्द को एक्सपंज कर दिया जाता है तो क्या आपत्ति है ? आयन्दा हम भी सतर्कता से बोलेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, आज तो·········

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! टपक पड़े-यह शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं कहे जा सकते और इसलिए टपक पड़े–शब्दों के लिए व्यवस्था दे दी जाय सदन की ओर से कि यह अनपार्लियामेन्ट्री हैं तो यह चीज उचित नहीं होगी। ठीक है. उपयोग इस तरह

(श्री उपाध्यक्ष)

नहीं करना चाहिए यह और बात है। लेकिन अनपार्लियामेन्ट्री कह कर एक्सपंज करना और प्रिशिडेन्ट बनाना— यह दूसरी बात है। वह कहां तक उपयुक्त था या नहीं था यह अलग प्रश्न है।

श्री श्रवण लाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात है...........

श्री केसरी सिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं..........

श्री बिजय सिंह : तुम शब्द का आपने एक्सपंज करवाया है लेकिन माननीय वित्त मंत्री ने कल विरोधी दल के सदस्यों को तुम कहा था उस पर जब आपत्ति उठाई तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम कहा वह प्रेम के कारण कहा। कल तो तुम शब्द नहीं निकाला तो आज कैसे निकाल दिया। कल माननीय मंत्रीजी ने जब तुम कहा तो उसको कैसे नहीं निकाला।

श्री उपाध्यक्ष : वह किन परिस्थिति में उन्होंने कहा उससे अन्दाज लगाया जा सकता है। अगर भावावेश में आकर किसी को तुम कहते तो उसका मतलब और होता। उन्होंने जो तुम कहा था वह प्रेम से कहा था और उसका मतलब और था।

श्री विजयसिंह रावत : यह जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है..........

श्री उपाध्यक्ष : इस पर व्यवस्था दे दी गई है।

श्री विजयसिंह रावत : मुझे आपत्ति है इसके ऊपर।

श्री उपाध्यक्ष : आपत्ति सुन ली।

श्री विजयसिंह रावत : इस पर मंत्री खेद प्रकट करें और यह शब्द प्रोसिडिंग्स से निकाले जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह रावत : इसके अन्दर विधान सभा के सदस्य की डाइरेक्टली पर्सनल इन्टेग्रिटी को चैलेन्ज किया गया है....

श्री उपाध्यक्ष : टपक पड़े कौनसी इन्टेग्रिटी का सवाल खड़ा होता है।

श्री विजयसिंह रावत : सदन के सदस्य को सरकार का कोई मंत्री इस तरह के शब्द नहीं कहे इस बात का आप आदेश दें। यह खेद प्रगट करने को क्यों तैयार नहीं होते हैं। टपक पड़ा का मतलब पैदा होना नहीं होता है। तो क्या आप आसमान से गिर गये हैं। पैदा नहीं हुए हैं। मैं टपक नहीं पड़ा हूं मैं जीत कर आया हूं मैंने जमानत जब्त करवा दी है ....

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो व्यवस्था का ववदर्शन कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कृपया आप अपने व्यवहार को देखिए, आर्डर प्लीज ! मैं यह निवेदन कर दूं कि माननीय सदस्य का व्यवहार कई बार बहुत ही आपत्तिजनक होता है। वार बार आसन की ओर से रिक्वेस्ट आपको की जाती है कि स्थान ग्रहण करें उसके बाद में भी आप बोलते जाते हैं और आपके चेहरे के हाव भाव से प्रकट होता है कि आवेश में कह रहे हैं।

श्री विजयसिंह रावत : मैं आवेश में कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कहेंगे तो नियम के अनुसार कहेंगे, आसन की इजाजत होगी तब कहेंगे ऐसे नहीं कि जब चाहें जब कह दें। ऐसे नहीं।

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चेयर की व्यवस्था मानने के लिए तैयार हूं लेकिन इस शब्द के लिए मुझे आपत्ति है। जब तक मंत्री खेद प्रकट नहीं करते हैं तब तक हम चेयर के आदेश को सेल्यूट करने के लिए तैयार नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उनको आसन की ओर से कहा जाय।

श्री विजयसिंह रावत : इस तरह हमारा अपमान होता है तो हम इस तरह आसन से सहयोग करके चलने को तैयार नहीं है। आसन उस तरफ किस तरह का रुख रखता है और हमें रोकता है। तो हम यह जानते हैं कि किस तरह से सदन की गरिमा रखने की है, किस तरह से सदन का डिकोरम रखना है, किस प्रोसीजर को रखने का है- यह हमें आता है। मैं चाहूंगा आपके द्वारा कि मंत्री ने जो शब्द कहें हैं या तो वह उन्हें वापिस ले लें। आप एक्सपंज नहीं करना चाहते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है। आप कोई व्यवस्था दें इससे.........

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह रावत : आप मंत्री को खेद प्रकट करने के लिए क्यों नहीं कहते हैं?

श्री देवीदत्त गाड़िया : आसन की ओर से ताड़ना दे दें मंत्री को।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ?

श्री अमृतलाल यादव : इसलिये निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय,.......

श्री उपाध्यक्ष : एक बिल और है, विचाराधीन है, यह मेरा निवेदन है।

श्री अमृतलाल यादव : मैं अभी समाप्त करता हूं।

श्री विजयसिंह रावत : मेरे से कहने के लिए चला है। अपनी शक्ल तो देख अपना चेहरा तो देख आइने में।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य

श्री मनोहर सिंह मेहता : यह तो ठीक नहीं है।

श्री अमृतलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, खादी तथा ग्रामोद्योग के उत्थान और विकास में रत ऐसे व्यक्तियों को, या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को जो छोटे छोटे उद्योगों में लगे हुए हैं, इन संशोधन से इन लोगों को सहायता दी जा सकेगी, जो वंश परम्परागत रूप से ऐसे उद्योग में लगे हुए हैं, जो गांव में रहते हैं, जिनके आर्थिक साधन नहीं हैं, जो सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं—उन लोगों को इस संशोधन से लाभ होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है इस सदन में हैं, कि सरकारी समितियों के साथ साथ ऐसे व्यक्तियों को भी और व्यक्तियों के समूह को भी अनुदान और सहायता मिल सके, इस बात का प्रावधान किया है। मै निवेदन करना चाहता हूं, जो माननीय सदस्यों ने प्रश्न यहां पर उठाये उनके

(श्री अमृतलाल यादव)

सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया है और मेरा अब माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इस संशोधन विधेयक को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव को वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं। माननीय मंत्रीजी का उत्तर संतोषजनक प्रतीत होता है इसलिए मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय रघुनाथ विश्नोई और माननीय रामनारायण चौधरी ने प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं वापिस लेता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री श्रवणलाल, श्री वृद्धिचन्द जैन, श्री केसरीसिंह हाड़ा, श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री मनोहरसिंह मेहता, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री विजयसिंह रावत ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने हेतु प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डश: विचार।

खण्ड (2)

श्री शिवनाथ सिंह !

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड दो स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड स्वीकार किया गया।

खण्ड 1, प्रश्न यह है कि इस विधेयक का अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना व नाम स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 1 स्वीकार किया गया।

माननीय मंत्री जी !

श्री अमृतलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1968 को पारित किया जाय।

श्री विजयसिंह रावत : पारित किया जाय या विचारार्थ लिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि ••

श्री मनोहरसिंह मेहता : जरा सा निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जाय ! माननीय मेहताजी !

(4 म. प.)

श्री मनोहरसिंह मेहता : खादी बोर्ड के मामले में माननीय मन्त्रीजी ने बहुत सारी बातें बतलाई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत जगह अच्छा काम हो रहा है। और जहां कई करोड़ रुपया इसमें लगा हुआ है उतने ही करोड़ रुपया किसी मिल में लगाया जाये तो अन्दाज लगाइये कि मिल में कितने कम लोग काम करेंगे। और इसमें कितने हजार लोग काम करेंगे ? जहां तक ग्रामोद्योगों के सम्बन्ध में काम होने का सवाल है उस दिशा में बहुत अच्छा काम हो रहा है। आज बीकानेर में जाकर देखें कोई जहां ऊन का काम हो रहा है वह कितना अच्छा हो रहा है। ऊन का काम बहुत अच्छा हो रहा है। जगह जगह खादी का काम अच्छा हो रहा है। खादी बोर्ड में हमें कार्यकर्ता अच्छे मिल सकते हैं और खराब भी मिल सकते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को कौन नहीं जानता है कि इसमें गोकुल भाई भट्ट जैसे कार्यकर्ता हैं। जिनका चरित्र ऐसा है कि जिसके लिए कबीरदासजी ने कहा था, "ज्यों कि त्यों धरी दीन्ही चादरिया"। तो इस तरह के आदमी इसमें काम कर रहे हैं। यह बात मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, कृपा करके आप ध्यान रखिये इस बात का कि गान्धीजी ने इस खादी को केवल खादी का टुकड़ा ही नहीं बल्कि इसके साथ सत्यमेव जयते को भी जोड़ दिया था। खादी को अहिंसा के साथ सत्य के साथ, चरित्र निर्माण के साथ, सब के साथ जोड़ दिया था। उन दिनों जब कोई व्यक्ति खादी के कपड़े पहन कर आता था। खादी की टोपी पहन कर आता तो सैकड़ों आदमी उसके इर्दगिर्द जमा हो जाते थे। और सोचते थे कि कोई सेवक आया है। लेकिन आज बीस वर्ष में ऐसी स्थिति आ गई है कि जब कोई खादी के कपड़े पहन कर जाता है या गान्धी टोपी पहन कर जाता है तो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं कि इसके चक्कर से दूर रहा जाये। अभी किसी सज्जन ने जिक्र किया था कि इस खादी के काम को स्कूलों की तरह पंचायत समितियों को सौंप दिया जाये। तो कृपा करके ऐसा न कीजिये। शिक्षा का आप सौंप चुके हैं और अब उसको वापिस लेने की बात उठती है। वैसे मैं कहता हूं कि पंचायतें बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। और को-ओपरेटिव अच्छी चीज हो सकती है लेकिन दुर्भाग्य है। उसमें तीन रोग लग गये हैं। वात, पित्त और कफ। जातिवाद, पार्टीबाजी और व्यक्तिगत स्वार्थ। इन तीनों ने मिल कर इसको डस लिया है। या, कहिये, इसको रसातल की ओर ले जा रहे हैं। यह तीनों चीजें मिल गई हैं इस लिए इनकी यह हालत हो गई है। इसलिए कृपा करके इसको पंचायत समितियों को नहीं सौंपिये। अगर सौंपते हैं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने स्कूलों को पंचायत समितियों को सौंप दिया है और अब पार्टी-

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

बाजी और व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण स्कूलों कों उनके हाथ से निकालने की सोच रहे हैं। इसी तरह से इस काम को भी पंचायत समितियों को सौंपेंगे तो कहीं ऐसी ही स्थिति नहीं हो कि इसको भी पंचायत समितियों के हाथ से निकालने की बात सोचें।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि आप इस बात को ध्यान में रखियेगा कि आज ऐसी संस्थाओं की आलोचना क्यों होती है? यदि कोई काली चादर ओढ़े और उसमें कोई काला धब्बा लग जाये तो उसका कोई हर्ज नहीं क्योंकि वह किसी को नहीं दिखता है लेकिन कोई सफेद चादर है उसमें काला धब्बा लग जाये तो वह बहुत खराब लगेगा। सफेद चादर पर शोभा नहीं देगा। इसीलिए कहा है :—

काली ने देखे कुणी, रिया मोखला लाग।
धोली चद्दर पै जग्यों, फबे न कारो दाग।।

एक सफेद चादर पर काला दाग हो तो वह शोभा नहीं देगा। तो कृपा करके यह ध्यान रखें कि कहीं सत्ताधारी पार्टी के लोगों को ही कर्जा नहीं दिलाया जाये। सहायता नहीं दिलायी जाये। कर्जा सहायता देते वक्त यह ध्यान न रखा जाये कि इस आदमी ने कांग्रेस का फेवर किया या नहीं। कृपा करके निष्पक्ष रह कर काम करिये। मैं प्याज के छिलके छीलने में विश्वास नहीं करता। मैं इतना निवेदन करता हूं कि आप "सत्यमेव जयते" के मोटो को सामने रखिये। महात्मा गांधी के आदर्श को सामने रखिये। जिसकी शताब्दी होने वाली है। वह आज आकर अपने पुत्रों की करतूतों को देखें तो कहीं ऐसा न हो कि उसके दिल में धक्का लगे! मैं खादी को पवित्र मानता हूं इसलिए जो कुछ कह रहा हूं वह इस भावना से कह रहा हूं कि हम लोगों को ऐसा काम करना चाहिये जिससे कि देश आगे बढ़े। उपाध्यक्ष महोदय, खादी तथा ग्रामोद्योग पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है और जैसा कि कहते हैं भगवान के हजार हाथ होते हैं तो हमारे देश के एक अरब हाथ हैं। यदि एक अरब हाथ किसी काम पर लग जायें तो देश के प्रगति रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। लेकिन धीरे धीरे महात्मा गान्धी की सब बातों को ठुकराते जा रहे हैं। बुनियादी तालीम यदि होती और कुटीर उद्योग और ग्रामोद्योग पनपते तो आज देश में इतनी बेकारी नहीं होती। लेकिन बुनियादी तालीम और कुटीर उद्योग की तरफ ध्यान दिया नहीं और अब कहते हैं कि कालेज बन्द करेंगे। स्कूल बन्द करेंगे। अब बन्द करेंगे। तो आपने क्यों खोली? आज हालत यह हो गई है कि अंग्रेजों की नकल करते करते पैण्ट इस हद तक संकड़ी हो गई है। बच्ची का पाजामा इतना संकड़ा हो गया है कि किसी बच्चे के हाथ से कोई नीचे चीज गिर जाये तो न तो बच्चा उठा सकता है और न लड़की उठा सकती है जब तक कि वहां धोती वाला न आ जाये तब तक उठाने की बात नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि डोकरे ने जो कहा था उसको ध्यान में रखें और खादी में जो काम कर रहे हैं उनके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह मठाधीश न बनें।

श्री उपाध्यक्ष : इस अवसर पर उपदेश देना उचित नहीं होगा इसके पक्ष में या विपक्ष में कहें यह दो बात हो सकती हैं।

श्री मनोहर सिंह : इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं.......

श्री भैरों सिंह : आपकी यह मान्यता दिखती है कि उपदेशों का उधर असर होने वाला नही है।

श्री मूलचन्द डागा : इधर असर होता है। उधर होता है या नहीं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता: मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने उद्योग पनप सकते हैं और ग्रामोद्योग जिन जिन गांवों में खोलकर लोगों को काम पर लगा सकते हैं कृपा कर आप सब उद्योगों के लिए जो आपने दस बारह नाम लिये हैं जांच करवायें कि कितने उद्योग हैं, जो हाथ में लिये जा सकते हैं। ऐसे भी उद्योग हैं, उनको हाथ में लीजिए ताकि सबको रोटी रोजी मिल सके। सब का पेट भर सके। केवल खेती पर ही लोग निर्भर न रहें और आधे से ज्यादा लोग इन ग्रामोद्योगों में लग जाएं और ऐसी व्यवस्था करें तो बड़ा अच्छा होगा।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, खादी के ऊपर जो चर्चा हो रही थी। बिल के ऊपर खादी तथा ग्रामोद्योग नाम तो बड़ा सुन्दर है और जैसा भी मेरे से पहले बोलने वाले मांडल गढ़ से आने वाले महानुभाव ने कहा कि इससे काफी लोगों को रोजगार मिलता है। और यह पैसा किसी दूसरे काम में लगा दिया जाये तो बहुत कम लोगों को रोजगार मिलता है। उन्होंने यह भी कहा, खादी में बड़ी सादगी है। मैं कहता हूं कि खादी पहनने में बिल्कुल सफेद है लेकिन इनमें दूसरे कलर भी आते हैं। सब तरह की खादी होती है। और उन्होंने यह भी कहा कि खादी में राजनीति नहीं लानी चाहिए। और खादी के मामले में किसने कांग्रेस को सपोर्ट किया है किसने नहीं किया है यह विचार नहीं आना चाहिए। मैं समझता हूं कि खादी ग्रामोद्योग में काम करने वाले ज्यादातर लोग कांग्रेस के खिलाफ हैं। नमूने के तौर पर आप सामने बैठे हैं। कौन कहता है कि कांग्रेस ने स्थिति बिगाड़ी है कि जो सपोर्ट करेगा उसी का साथ देंगे। हमने आपका भी साथ दिया है।

श्री मनोहर सिंह मेहता : मैंने इल्जाम नहीं लगाय। मैंने कहा ध्यान रखिये।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : इल्जाम का ध्यान है। आप जो कहते है, उसका भी ध्यान रखते है। आज कितने ही जौहरियों के मकानों और दूकानों में

श्री दौलतराम सारण : आप धमकाना चाहते है इनको यह बात कहकर।

श्री मनोहर सिंह मेहता : मैं डरने वाला नहीं हूं। इस तरह की बातों से डरकर चुप रहने वाला नहीं हूं।

श्री दौलतराम सारण : आप इनको डरा कर और भय देकर चाहते हैं कि ये बोलें नहीं।

श्री मनोहर सिंह मेहता : मै डरने वाला नहीं हूं। मै सिर्फ भगवान से डरता हूं और किसी से नहीं डरता।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैं डराने की बात नहीं कहता। कांग्रेस का तो प्रयत्न होता है कि सब का साथ दें। उसमें खादी का काम करने वालों को कभी नहीं कहा कि तुम हमारा सपोर्ट करो। और कितने ही लोग कांग्रेस का विरोध करते है फिर भी

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

उनको सहन करते हुए उनका साथ देते हैं। क्योंकि कांग्रेस में यह भावना ही नहीं है इसके बाद जो खादी में काम करने वाले लोग हैं उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने इस जयपुर में जौहरियों का कौनसा अच्छे से अच्छा मकान नहीं है जो किराये पर नहीं ले रखा हो। कौनसा काम उन्होंने बाकी छोड़ा है। कैसा जीवन उन्होंने बनाया है। सरकारी सहायता पर इस प्रकार की स्थिति सहनीय नहीं है। यह डिपार्टमेंट जो खादी के काम की देखभाल करता है वह गांधीजी के नाम से नहीं चल सकता। गांधीजी की संस्था नहीं चल सकती। हमें उसमें सुधार करना पड़ेगा। ठीक हैं, गोकुल भाई भट्ट अच्छे हैं। गांधीजी अच्छे हैं। विनोबा अच्छे हैं मैं भी कह सकता हूं कि राम अच्छे हैं। कृष्ण अच्छे हैं। लेकिन हम कैसे है यह बतायें। आज खादी के नाम पर जितना खर्च किया जा रहा है जितना डेकोरेशन और फर्नीचर में खर्च किया जा रहा है। एमरेल्ड हाउस ले लिया यह ले लिया वह ले लिया। दो हजार का खर्चा मकान का है। इसको बरदाश्त किया जाता है? आज हमारे मजदूरों को मिनिममवेजेज नहीं मिल सकती। मिनिमम-वेजेज नहीं मिलती है तो खादी के काम को चलाने का क्या मतलब है?

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक के पक्ष में या विपक्ष में बोलें।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मै बिल के पक्ष में बोल रहा हूं लेकिन जो खादी की गलत वकालत करके कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो मैं कांग्रेस के पक्ष में भी बोलूंगा। जो सही स्थिति है वही मै बोल रहा हूं। बीकानेर के अन्दर खादी ऊन का काम होता है। काफी अच्छा काम है। बहुत बड़ा काम है। लेकिन वहां भी मिनिममवेजेज नहीं दी जाती थी। मिनिममवेजेज के लिए हमको सरकार से और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से लड़ाई लड़नी पड़ी तब जाकर लागू हुई है। नहीं तो आठ आना दस आना देते थे। और जो उसके लिये व्यवस्थापक है, उसको ढाई सौ रुपया माहवार दिया जाता है, वह बंगले में रहता है और मजदूर को रोटी नहीं, खादी का काम करने वालों को न्यूनतम वेतन नहीं मिले तो वह खादी के नाम को बदनाम करता है। खादी ग्रामोद्योग में गरीब लोग काम करते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। कुछ संस्थाएं मठों के तरीके से बनाली हैं और कहते है कि उन्हीं के द्वारा खादी ग्रामोद्योग का कार्य चलायेंगे जब कि सहकारी समितियों से इनका कार्य चलाना चाहिये, ग्रामों में जो गरीब लोग काम करते हैं उनके द्वारा खादी ग्रामोद्योग का कार्य कराना चाहिये।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि खादी ग्रामोद्योग संघ के कार्यों में मोनोपोली कर दी है कि एक जिला फलां संस्था चलाएँ, दूसरा जिला फलां काम चलाए, इस प्रकार खादी कमीशन ने जोन बनाकर दे दिये हैं कि दूसरा कोई काम ही नहीं कर सकता, यह क्या है? इसमें पूंजीवाद आ जाता है। 10 आदमियों की एक संस्था बना दी गई और वह कहे कि 500 गांवों में हमारे सिवाय और कोई काम नहीं कर सकता तो वहां के ग्रामीण क्या करें? या तो यह कहिये कि उन 10 आदमियों के हाथ में वहां के सब लोगों की जिंदगी है, या यों कहिये कि जो करना चाहें वे काम कर सकते हैं, गरीब लोग

Page No.108

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

काम कर सकते हैं, सहकारी संस्थाएं बना कर काम कर सकते हैं, बीकानेर मे केवल चार पांच आदमियों के हाथ में ही यह सारा काम है, कौओपरेटिव सोसायटीज् काम नहीं कर सकती, गरीब लोग काम नहीं कर सकते।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसका भी विकेन्द्रीकरण कीजिये, पंचायत समितियों को मत दो पर जो लोग काम करना चाहते हैं, उनको काम करने का मौका दो।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा, यही कहूंगा कि जो कमीशन को चलाने वाले हैं, उनको फिजूल मत भरो, फिजूल खर्ची बन्द करिये, जितनी ज्यादा सब्सिडी देते हैं, उसको फिजूल खर्ची में खर्च करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का समर्थक हूं पर इस बोर्ड द्वारा जो इस सम्बन्ध में व्यवस्था की जाती है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मजदूरों को जो मजदूरी दी जाती है, वह बहुत कम है, उन मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन दर लागू की जानी चाहिये।

दूसरा मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि प्रमाण-पत्र हासिल करने का तरीका है, वह गलत है, उससे मोनोपोली सिस्टम पनपता है, जो कोई भी काम करना चाहें, चाहे सहकारी समितियां काम करना चाहे, कोई भी गरीब काम करना चाहे, उनको सहायता देनी चाहिये। इस सम्बन्ध में आज जो प्रणाली है, वह उचित नहीं है।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि खादी के नाम पर कुछ लोगों ने अपनी दुकानें चला रखी हैं, अपनी संस्थाऐं रजिस्टर करा रखी हैं, उनके खिलाफ अनेक शिकायतें आने पर भी उन्हीं संस्थाओं को प्रोत्साहन कैसे दिया जा रहा है?

जिनसे पहले के पैसे वसूल नहीं हुए हैं, उनसे वह सब पैसा वसूल होना चाहिये और इन संस्थाओं की चेकिंग की निगरानी का समुचित सिस्टम होना चाहिये, इसके अभाव में खादी जैसी पवित्र चीज को ऐसे लोगों ने बदनाम कर दिया है इसलिये खादी की इज्जत बचाने के लिए, इसकी पवित्रता की रक्षा करना जरूरी है, इनके सम्बन्ध में गहराई से ठीक तरह से जांच करके बड़ी कार्यवाही करनी चाहिये।

इसके साथ ही साथ में यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने खादी में मिलावट का काम किया है, जिन लोगों के खिलाफ इस प्रकार का सदेह है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। जो लोग बैंकडोर से इस तरह की संस्थाएं रजिस्टर करवा कर इस तरह के पैसे का दुरुपयोग करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये।

खादी बोर्ड का गठन विस्तृत तरीके से होना चाहिये, मिनिस्टर ही इसके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष गोकुल भाई हैं, ठीक हैं पर इसका क्षेत्र सीमित है, संकुचित है इसलिये इस बोर्ड के अन्तर्गत खादी के क्षेत्र में कार्यवाही की जा रही है, उस कार्य प्रणाली में सुधार और सुन्दर व्यवस्था करने की जरूरत है।

(श्री दौलतराम सारण)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ईंट भट्टे, तेल घाणी, चर्म उद्योग आदि कई प्रकार के उद्योग बोर्ड के सहयोग से पहले चले उनको अब करीब २ बन्द कर दिया गया है। बहुत सी जगह चल रहे थे। ऐसे काम धंधे एक बार चालू किये और फिर बन्द कर दिये। एक प्रयोग होता है, उसमें लाखों रुपये खर्च होते हैं। फिर उनको बन्द कर दिया जाता है, तो इससे पैसे का बड़ा भारी दुरुपयोग होता है, इस तरह नहीं होना चाहिये, उन उद्योगों को संरक्षण देना चाहिये। सब्सिडी के नाम पर लोग पैसे खा जाते हैं, फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर खा जाते हैं, उसे कड़ा कदम उठा कर बन्द करना चाहिये। पहले जो धंधे चलाये थे उनको बन्द कर दिया, उनका प्रशिक्षण बन्द कर दिया। कई गांव खाली पड़े हैं, वहां काम चालू करने चाहिये। कई काम ग्रामीण क्षेत्रों में बन्द कर दिये, सुदूर ग्रामों में कई उद्योग मृत प्राय: मृत अवस्था में पड़े हैं, उन्हें बोर्ड को देखना चाहिये। आज बोर्ड का क्षेत्र कुछ स्थानों तक ही सीमित है, शहरों तक ही सीमित हो गया है। ग्रामों में जो लोग काम करते हैं, उनको मदद करनी चाहिये, आज के ढांचे में उनको मदद नहीं मिलती। उनको मदद देने के लिये यह संशोधन लाया गया है तो ठीक है। पर यह नहीं हो कि चन्द लोग, चाटुकार लोग ही इसका लाभ उठा सकें। यह नहीं होना चाहिये।

बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : (किशन पोल बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, खादी से मेरा बड़ा अटूट सम्बन्ध है ... ...

श्री उपाध्यक्ष : ७ मिनिट का समय निर्धारित है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसी लिये मैंने यह कहा, अभी तक किसी माननीय सदस्य ने नहीं कहा कि खादी से मेरा अटूट सम्बन्ध है ...

श्री दौलतराम सारण : खादी आप कमीज तक ही सीमित रखते हैं।

श्री भैरोंसिंह : इस कमीज को भी उतारना चाहता हूं।

खादी की चर्चा करने के सम्बन्ध से मेरा खादी के साथ अटूट सम्बन्ध है इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस सदन में मैंने कई बार आंकड़ों से यह सिद्ध किया था कि खादी में अनुदान और कर्जा देने का यह जो प्रावधान है, यह बहुत ही आपत्तिजनक है। आज मंत्री महोदय और स्वयं सरकार के प्रतिनिधि इस बात को स्वीकार करके चलते हैं कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से हम ग्रामोद्योगों का विकास नहीं कर पाये। कुछ स्टुडेन्ट्स ने कुछ समय पहले इस सम्बन्ध में रिसर्च किया था कि ग्रामों में ग्राम उद्योगों का क्या हाल है। और इस रिसर्च का परिणाम यह निकला कि सन् 1939 में जो ग्रामोद्योगों की स्थिति थी वह धीरे धीरे हर साल घटती जा रही है और उनके गिरने की अवस्था इस हालत तक पहुच गई कि प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं, किसी गांव में चले जाय जो परम्परा की दृष्टि से लोगों के यहां गांवों में और हर घर में जिस प्रकार के उद्योग चलते थे, वे उद्योग धीरे धीरे सब समाप्त हो गये। उन उद्योगों

Page No.110

(श्री भैरोंसिंह)

को नये सिरे से चलाने की प्रक्रिया हमने खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से ली पर वह भी सफल नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा कुप्रभाव हमारी इकोनोमी पर यह पड़ता जा रहा है कि हम ग्रामों में इंडस्ट्रियेलाइजेशन नहीं करना चाहते, जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे देश में खुली वे शहरों में केन्द्रित होती जा रहीं हैं। इस वजह से गांवों की जनसंख्या शहरों की ओर बढ़ रही है, गांवों में बेकारी बढ़ रही है उससे लोग शहरों की ओर आ रहे है और शहरों में बेकारों के गिरोह चक्कर लगाते नजर आते हैं तो सरकार को हम कहते है कि इन शहरों मे लोग गांवो की तरफ जाय। पर आज बेकार व्यक्ति गांवों की तरफ जाने को तैयार नही क्योंकि गांवों में उनके लिये एट्रेक्शन किस बात का है। गांवों मे केवल खेती का एट्रेक्शन हो सकता है पर खेती के लिये जमीन नहीं है। उद्योग वहां जो चलते थे वे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अगर आप वास्तव में इस बोर्ड का मूल्यांकन करें तो किस आधार पर कह सकते है कि हमने खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास में प्रगति की है। यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार की खादी कमीशन से इतना लोन मिला इतना अनुदान मिला वह हमने इस प्रकार वितरित किया और हमने कर्जा इन खादी संस्थाओं को दिया, यह एक मुद्दा है जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के मारफत इस बात का ध्येय बनाया था कि जो एक्चूअल निर्माता है उनके और मालिक के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होनी चाहिये। हम हरेक क्षेत्र में मध्यस्थ का विरोध करते हैं चाहे अनाज का प्रश्न हो, चाहे भूमि का प्रश्न हो, हम हर इश्यू पर मध्यस्थ धीरे धीरे समाप्त करना चाहते है लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह बोर्ड खादी की विभिन्न संस्थाओं और मजदूर के बीच और परचेजर्स के बीच में ऐक मध्यस्थता कायम करने लगा वह आज के मुनाफाखोर, ब्लेक-मारकेटियर और तथा कथित अराजकीय तत्वों से ज्यादा भयंकर है। मजदूर जिन पैसों के अंदर किसी चीज का निर्माण करता है उसका उसको थोड़ा मूल्य मिलता है उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उपभोक्ता के पास जाता है। जिससे कीमत बढ़ जाती है और उस के कारण मार्केट कम्पीटीशनमें जो स्टेंड करने की सुविधा होती है वह धीरे धीरे खतम हो जाती है। इसलिए दूसरा मुद्दा मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि एक्चूअल निर्माता और परचेजर के बीच मे इन संस्थाओं के मारफत जो मैन्युफैक्चर की रकम बढ़ाकर एक मध्यस्थ की व्यवस्था की है, उस व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त किया जाय।

तीसरे मैं मंत्री महोदय का विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज इस संशोधन के द्वारा हम कुछ व्यक्तियों को अनुदान की बात कहकर चलते हैं, कुछ व्यक्तियों को लोन दिया जाय, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। आज तक सोसायटीज ने 26 लाख रुपए का राजस्थान में दुरुपयोग किया है, उनको अनुदान दिया गया है, उन सोसाइटीज में 90 प्रतिशत सोसाइटीज आज के दिन ऐसी है जिनके आफिस का पता नही कागजात का पता नहीं, पदाधिकारियों का

(श्री भैरोंसिंह)

पता नहीं। जिन सोसाइटीज के बारे में ऑडिट रिपोर्ट और इंसपेक्शन रिपोर्ट कई बार सदन में आए हैं, कई यूनियन पी. ए. सी. और राज्य पी० ए० सी० ने बड़े बड़े चैप्टर्स लिखे हैं लेकिन राज्य सरकार आज भी नहीं कह सकती कि 26 लाख के अनुदान का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध किसी प्रकार का एक्शन लिया हो।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसमें कांग्रेस के विरोधी भी शामिल हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के विरोधी है, कांग्रेस के पक्ष में हैं, इसके लिए न उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि राजस्थान में 26 लाख रुपए अनुदान के रूप में जो लोग खा गए, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं। सरकार मौन है क्योंकि जब इनको नोटिस दिया जाता है तो देखते है कि कोई मंत्री या मंत्री का रिश्तेदार या कार्यकर्त्ता किसी न किसी रूप में फंसा हुआ है। आज कई मंत्रियों के विरुद्ध खादी बोर्ड का बकाया है, खादी संस्थाओं में बकाया है और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि एक खादी संस्था के अकाऊंट में पिछले आम चुनाव में जो 1967 मे हुआ उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार का भोजन खर्चा पूरा 2 हिसाब लिखा हुआ है। उसी संस्था के हिसाब में एक मंत्री के नाम बकाया लिखी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि किस लिए रकम उधार ली·······

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आप साफ कहें कितने चुनाव लड़ा, कौनसी संस्था है ?

श्री अमृत लाल यादव : कौनसी संस्था ?

श्री भैरोंसिंह: रेलमगरा आपका निर्वाचन क्षेत्र। हिसाब आपके पास है। हिसाब पेश कर दें, आपके नाम का उल्लेख आ जायगा।

अमृत लाल यादव : वह गलत किया है उसके लिए कार्यवाही चल रही है।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने गलत किया है वह मुझे पता नहीं। जो कुछ उसमें है मैंने सदन के सामने रखा है, उसमें आपका नाम है, कार्यकर्ताओं को भोजन सामग्री की व्यवस्था करने का उसमें उल्लेख है। मैं वादविवाद में नहीं जाना चाहता कि कितना सही है लेकिन खादी के कार्यकर्त्ता आपके स्वयं के पक्के भक्त हैं, ऐसी गलती नहीं कर सकते जिसके कारण अमृतलाल यादव की प्रतिष्ठा पर कोई आंच आ जाय। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो संशोधन लाया जा रहा है उसकी कहीं यह तो मन्शा नहीं है कि ऐसी रकम खादी संस्थाओं के मारफत उधार दी जाय और उसका दुरुपयोग हो। यदि यह मन्शा है तो निश्चित रूप से मैं इसका विरोध करूंगा।

मैं यह भी जानकारी करना चाहता हूं कि आपने अब तक जितनी संस्थायें बनाई हैं उनमें आज वर्किंग कन्डीसन में कितनी है, कितनी संस्थायें आज के दिन चल रही है, कितनी डिफंक्ट हैं, उनके अनुदान पर कितना रुपया लगाया कितना कर्जे का ? जो कर्जे की रकम बकाया है किस प्रकार से वसूल कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि साधारण नागरिक सरकार की बकाया लैंड रिवेन्यू के रूप में वसूल करते हैं, पी०डी०आर० में केस रजिस्टर करवाकर हैरेसमेंट करके

(श्री भैरोंसिंह)

वसूली की कार्यवाही करते हैं। खादी संस्थाओं की तरफ से मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो लाखों रुपए 66 लाख की जो बकाया निकल रही है लोगों के अन्दर, उसकी वसूली के लिए क्या आपने आज तक कार्यवाही की, कितने केसेज पी०डी०आर० में दिए ? मैं बता सकता हूं कि राजस्थान में कई ऐसी संस्थायें हैं जो नाम मात्र की भी नहीं है, यदि पुलिस के द्वारा जांच की जाय, राजस्थानी भाषा में जो कहते हैं कि बिलाई घुमा कर देखें तो एक भी संस्था नहीं मिलेगी लेकिन ऐसी संस्थाओं को लोन दिया गया है। इससे अधिक शर्म की बात नहीं हो सकती.......

(घंटी)

श्री दौलतराम : 2-4 नाम तो बताओ

श्री भैरोंसिंह : पी० ए० सी० की रिपोर्ट पढ़ लें।

श्री दौलतराम सारण : पढ़ी है।

श्री भैरोंसिंह : तो याद नहीं हैं। हम खादी के विरोधी नहीं हैं, खादी से लोगों को रोजगार मिलता है, मिलना चाहिये लेकिन खादी संस्थाओं और मजदूरों के बीच में आज दुनिया भर के झगड़े पैदा हो रहे हैं। जितने लेबर लाज हैं उन पर लागू करने की वे मजदूर मांग कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि शोषण बढ़ता जा रहा है, मजदूरों में असंतोष बढ़ता जा रहा है और इन संस्थाओं के अन्दर ठेकेदार पनप रहे हैं। इसी प्रसंग को लेकर एक बार जब मैंने सदन में आंकड़े प्रस्तुत किये तो मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि इसकी जांच कराई जायेगी। जांच समिति का गठन हुआ। श्री वृजसुंदर शर्मा उसके सदस्य थे, मैं भी था। पहले दिन समिति की बैठक में जाकर बैठे, उस दिन कागज नहीं मिले बल्कि ये कागज मिले कि इस समिति को भंग कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि उस समय समिति कुछ काम करती तो निश्चित रूप से राजस्थान की बहुत बड़ी सर्विस होती। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि लोन्स देने की जो व्यवस्था कर रहे हैं, क्या वितरण के संबंध में कोई नियमों का प्रकाशन किया। आज इस एक्ट के अंतर्गत जो स्टेचूटोरी बोडीज थी, उनके नियम बनने चाहिए थे और बाइलाज भी। आज तक आपने कितने रूल्स बनाए, लोन्स यूटीलाइजेशन के कितने रूल्स बनाए, आज तक रूल्स का प्रकाशन नहीं कराया ? आप एक्ट को अपने सामने रखें किस किस विषय पर आपको रूल्स बनाने चाहिये थे कितने बनाए हैं ? रूल्स नहीं बन रहे हैं इसलिए इन संस्थाओं के प्रति जो लोगों की श्रद्धा होनी चाहिए थी वह धीरे धीरे खतम हो रही है। यह मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि खादी के प्रति जितनी श्रद्धा बढेगी लोगों के अंदर हर प्रकार से अपने कार्य करने की पद्धति में, आर्थिक स्थिति सुधारने में, बेकारी मिटाने में, सुविधा होगी लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इस मामले में पूर्णतः असफल रही है। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, शेखावतजी ने इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है।

एक माननीय सदस्य : क्या कहा ? कुछ सुनाई नहीं दिया।

श्री केशरीसिंह (हिण्डोली) : शेखावत साहब कहें, नहीं तो ये बुरा मान जायेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं दो मिनट में यह बता देना चाहता हूं कि खादी बोर्ड के लिये लोगों की जो विचारधारायें हैं वह बड़ी खिलाफ चल रही हैं। क्योंकि इस खादी के अन्दर लोगों की आस्था नहीं है। हमारे मंत्री मण्डल के जो सदस्य हैं, उनके घरों में आप जाकर देखें तो खादी सिर्फ ये नेता लोग ऊपर ऊपर ही पहनते हैं। अन्दर जो बनियान पहनते हैं वह मील की मिलेगी, उनके घर वाले खद्दर नहीं पहनते हैं, उनके बच्चे खद्दर नहीं पहनते हैं। उनके बच्चे जो सेन्ट जेवियर स्कूल में पढ़ने जाते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ों की पतलूनें पहनते हैं। घर में खादी का कोई भी प्रभाव नहीं है। यह खादी बोर्ड न आज कोई प्रगति कर पाया है और न आगे चल कर ही पनप सकता है और न कोई इससे आम जनता को लाभ हो सकता है। मेरी तो मान्यता है कि राजस्थान के अन्दर खादी बोर्ड के नाम से यह संस्था नहीं होनी चाहिए। इसका नाम बदल देना चाहिये। जो जबरदस्ती मिनिस्टरों को खादी पहनाई जाती है, सरकारी कर्मचारियों को खादी पहनाई जाती है, उससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि लोगों की भावना खादी के प्रति नहीं है। इसके पीछे गांधीजी का समाजवाद का प्लान था, लेकिन गान्धी जी के कहे मुताबिक कोई काम नहीं हुआ। इसमें लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ है। लाखों करोड़ों रुपयों का जो अनुदान दिया गया, उससे आम लोगों को फायदा नहीं हुआ और आगे चल कर भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज लोगों की इसमें कोई आस्था नहीं है। यह बहुत बड़ा उद्योग है, इसको सही ढंग से चलाया जाय, लेकिन यह सही ढंग से नहीं चलाया जाता है। अपने समर्थकों को पनपाने के लिये, अपने लोगों को फायदा देने के लिये और इसके साथ में गान्धीजी की विचारधारा है, उसका पालन करने की आड़ को लेकर आज खादी बोर्ड चलाया जाता है। मेरे अन्य साथियों ने बताया है कि कितने गलत तरीके से इस पर धन खर्च किया गया है। चुनाव में खादी बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया जाता है। मेरे एक साथी ने बताया है कि अभी इसमें कोई नियम वगैरह भी नहीं बनाये गये हैं। यह तो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करने का अड्डा है और इसको समाप्त करना चाहिये और इसका नाम बदल कर दूसरा नाम रखा जाना चाहिए। खादी लाजमीतौर पर पहननी पड़ेगी, इसके अन्दर छुट होनी चाहिये। जो पहनना चाहे, अपनी स्वयं की इच्छा से वह पहने दबाव नहीं होना चाहिए और न कोई प्रतिबन्ध ही होना चाहिए। आप इनके परिवारों में जाकर देखें तो हालत कुछ दूसरी ही मिलती है। यहां भी विधान सभा के हाउस में भी ये रेशमी पर्दे लगाए गए हैं, यहां कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मैं कहता हूं कि खादी में भी बढ़िया बढ़िया पद मिलते हैं, उनको यहां लगाना चाहिए था ताकि आने वालों को स्पष्ट पता लगे कि खादी का उत्थान हो रहा है। विदेशियों पर भी जो यहां देखने आते हैं, उन पर भी इसकी छाप पड़े। इसी तरह बड़े बड़े नेताओं के यहां जाकर देखें तो वहां भी रेशमी टाइप के कपड़े मिलते हैं। मैं कहता हूं कि आज तो खादी में भी मील का सूत काम में लिया जा रहा है। इन भड़कीली खादी की पोशाकों से साफ जाहिर है कि इसमें मिलों का सूत इस्तेमाल किया

(श्री रामचन्द्र आर्य)

जाता है और उनके कार्यक्रम में लिखा है कि यह शुद्ध खादी है। इसके पीछे देश के अन्दर बहुत बड़ा फर्जी काम किया जाता है। इस फर्जी काम को बन्द किया जाय और इतने बड़े खादी बोर्ड द्वारा जो देश के अन्दर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है किन्तु ग्राम लोगों को कोई फायदा नहीं है। सिर्फ उन लोगों को फायदा है जो खादी बोर्ड में अपना कब्जा जमाये बैठे हैं। बाकी ग्राम लोगों को जो मजदूरी दी जाती है, उस मजदूरी में वे कतई ध्यान नहीं देते हैं। गरीबों का पेट काटा जाता है और उनका पेट काट काट कर उस पैसे का उपयोग अपने बंगले बनाने में, नेताओं के परिवारों को साधनसम्पन्न बनाने में खर्च किया जाता है। इसके पैसों का खुले रूप में दुरुपयोग करते हैं। मैं कहता हूं कि यह संस्था नहीं रहनी चाहिये, इसके अन्दर बिल्कुल स्वावलम्बीपन नहीं है। मैं तो यह मानता हूं कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का नाम बदल दिया जाय। इसको सरकार के संरक्षण में भी नहीं रखना चाहिये। आज कोई भी खादी पहन कर बाजार में जाता है तो लोग कहते हैं कि यह कांग्रेसी आदमी है। लोगों के दिमाग में घृणा हो गई है। खादी पहनने वालों को घृणा की दृष्टि से देखा जाय और इस प्रकार से खादी की सफेद टोपी पहन कर कोई बाजार में चला जाय, तो उसको धिक्कारें और कहें कि तुम रिश्वत लेते हो अनेक घोटाले करते हो। आज ग्राम जनता के दिमाग में ये सब बातें गहरा असर कर गई हैं। खादी पहनने वालों के प्रति सख्त घृणा हो गई है। गान्धी जी जिस समय थे उनके अपने सिद्धान्त थे। लोग उनको देवता समझते थे और आज इन खादीधारियों को चोर डाकू समझते हैं। क्या फायदा है आपको इस बिल से। मेरी तो यह राय है और मैं तो यह चाहूंगा कि खादी बोर्ड को समाप्त कर दिया जाय और इसमें जितनी फिजूल खर्ची होती है, उससे दूसरे उद्योग धन्धे चलाये जायं जिससे जो ये इतना बड़ा घोटाला है वह बन्द हो जायगा। मैं इतना ही कह कर स्थान ग्रहण करता हूं।

एक माननीय सदस्य: चोर डाकू शब्द प्रोसिडिंग से निकाल दिये जायं।

श्री रामचन्द्र आर्य: मैंने उनको चोर डाकू नहीं कहा है। मैंने तो यह कहा है कि खादी पहनने वाले आदमियों को चोर डाकू समझने लग गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, खादी के सम्बन्ध में जो यह संशोधन विधेयक है, उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि आज सभी लोगों को खादी के प्रश्न पर जिस पृष्ठभूमि में, जिस धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर देश में खादी का प्रचार और प्रसार किया गया था किन्तु अब वक्त आ गया है कि हम इस पर पुनः विचार करें। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ··

श्री उपाध्यक्ष: कम से कम आपका ध्यान मैं आकर्षित कर दूं कि आप इससे सम्बन्धित बात ही कहेंगे, जिससे इस विधेयक का प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: वही तो कह रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय। मैं समय उतना ही लूंगा जितना आप दे रहे हैं ··· उपाध्यक्ष जी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसमें कोई सन्देह नहीं कि खादी ने साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की, हमारे देश में। इसके साथ गान्धीजी ने एक नया विचार प्रदर्शन भी उसके साथ जोड़ने का प्रयत्न किया और वह यह है कि समाज में जो यह वर्ग-संघर्ष है, इस वर्ग संघर्ष को हम खादी के जरिये वर्ग सहयोग में बदल कर शोषणविहीन समाज की स्थापना कर सकते हैं। उपाध्यक्षजी, जहां तक खादी की लड़ाई और जहां तक खादी की स्थापना का प्रश्न था वह यह था कि हिन्दुस्तान में स्वदेशी चीजों को प्रोत्साहन देना था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने को लोगों में आजादी की भावना पैदा करने की जो उसकी भूमिका थी वह खादी ने बखूबी से निभाई और वह देश में स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान में ऐसे कार्यकर्ताओं को पैदा किया जिन्होंने ऐशो-आराम को छोड़कर खादी की तरफ और आजादी की तरफ कुर्बानी का रास्ता अपनाया परन्तु उपाध्यक्ष जी गान्धी जी जो यह कहते थे कि हम देश में जो यह शोषणविहीन सामाज है, एक फिलास्फी के जरिये, उनको समान लाने के लिये यह इकोनोमिक पालिसी इस देश में स्थापित करना चाहते थे। वे खादी को केन्द्रबिन्दु बनाने की कोशिश में थे। जिसके कारण हमारे देश में स्वतन्त्रता के बाद जो गवर्नमेंट स्थापित हुई, उसमें बहुत बड़ा बजट इसको अनुदान के रूप में देने के लिये रखा गया। और जो बोर्ड और कमीशन के जरिये खर्च हो रहा है हमारे देश में खादी के परीक्षण द्वारा बहुत बड़ा बजट देश में खर्च हो रहा है। मैं यह चाहूंगा कि जो लोग खादी के संबन्ध में उसूल की तौर पर विचार करते हैं क्या वास्तव में हमारे देश में इससे शोषणविहीन समाज की स्थापना हो पाई है। खादी के द्वारा वास्तव में वर्ग संघर्ष वर्ग सहयोग में बदल सके हैं, क्या इससे समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह जो परीक्षण था आजादी आने के बाद बीस बरस बाद यह परीक्षण द्वारा साबित हो गया है हम इससे समाज में वर्ग संघर्ष की बजाय जो वर्ग सहयोग पैदा करना चाहते थे वह नहीं कर सके हैं। आज आप देखेंगे कि एम्प्लोयर्स की क्लास अलग है वर्कर्स की क्लास अलग है ट्रेड यूनियन एक्ट की तहत इसमें भी ट्रेड यूनियन्स बनने लगी हैं। इनके वर्कर कम्युनिस्ट पार्टी के पास आते हैं और कहते हैं कि हम ट्रेड यूनियन एक्ट की तहत बोर्ड के अधिकारियों से केस फाइट करना चाहते हैं इन्होंने अन्धेरगर्दी मचा रखी है अपनी मनमानी इसमें होती है। हमारी सरविस कन्डीशन्स अच्छी नहीं है। आज यह स्थिति खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के तहत चलने वाली संस्थाओं में चल रही है।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हुं अगर हम हृदय से परिवर्तन करना चाहते हैं तो एम्प्लोयर्स को मजदूरों के हितों के प्रति जागरूक कर देते हैं अगर उनके हित के लिये उनमें अन्तर्द्वन्द्व है तो मैं समझता हूं खादी से हम जो वर्ग संघर्ष को मिटाने की आशा करते हैं वह कदापि नहीं हो सकता। गांधी जी ने इसको चलाया था बावजूद इसके कि समाजवादियों ने विरोध किया समाजवाद का काम खादी नहीं कर सकती। इसके साथ एक फिलोस्फी जुड़ी हुई मोडर्न टेकनोलोजी का पूरा उपयोग करें तो ग्रामोंद्योग में एक इकोनोमी बन सकती है। आज हमें यह भी देखना है कि जहां बड़े बड़े

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उद्योगों में हजारों लोगों को एम्प्लोय कर देते हैं वहां ऐसे उद्योग नहीं चल सकेंगे। जिसमें किसी प्रकार की मशीनरी का उपयोग न हो तो खादी के लिये यह व्यवस्था हम करें कि छोटे छोटे उद्योग, कुटीरउद्योग, ग्राम उद्योग उनके मुकाबले चल सकें यह कतई संभव नहीं हो सकता। इरादा गान्धीजी का बहुत अच्छा था लेकिन आज जब सब तरफ टेक्नोलोजी के आधार नयी नयी मशीनें पैदा हो रही है उसका उपयोग आज इन्सान नहीं छोड़ सकता। इन्सान का वह इतिहास रहा है इन्सान ने हमेशा तरक्की करने की कोशिश की है। नये नये साधन ढूंढने की चेष्टा की है। इस मशीन युग में आप चाहें कि कोई चरखा लेकर बैठे यह परीक्षण आज फेल हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह विधेयक उन संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिये जिसके तहत हमारी कल्पना है शोषण समाप्त करके समाजवाद की स्थापना कर सकेंगे यह सोचना नितान्त भूल है। जिस समय यह चलाया गया था उस समय यह काफी हद तक उचित था लेकिन आज के समय में लोग वापिस बैंक टू दी विलेजेज होंगे यह नहीं हो सकता। मशीन छोड़कर चरखा चलायेंगे यह नहीं हो सकता। आज लोग बैलगाडियों में बैठने वाले नहीं आज तो हवाई जहाज से चलने की इच्छा करते हैं स्फुटनिक की कल्पना लेकर चलते हैं। खादी की विचारधारा रिट्रोगेट विचारधारा है। इससे देश की इकोनोमी में सुधार आयेगा यह नारा पिछड़ा हुआ नारा है। शोषण को कायम करने का नारा है इसी रूप में खादी की पोलिसी फेल हुई है। इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। अगर इसको चलाना है तो इसको अपने मेरिट पर चलने दें। अब इसको स्पुनफिडिंग की जरूरत नहीं है। इसलिये मैं इस विधेयक का सपोर्ट नहीं कर सकता।

श्री दुर्गालाल बाहदार (हवा महल, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक समाज और देश में समय के अनुसार मान्यतायें बदलती रहती हैं। एक समय था हमारे देश में बाहर की हकूमत थी उस समय विदेशी राज्य करते थे उनका इस देश में अपनी मशीनों के द्वारा काम करने का उद्देश्य था वे अपने कारोबार में किसी प्रकार का आघात पहुंचाने की चेष्टा नहीं करते थे। उसी के परिणामस्वरूप आन्दोलन गान्धीजी ने शुरू किया और इस खादी को चलाया। लेकिन मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं जिस समय खादी का आन्दोलन चला देश के अन्दर एक प्रक्रिया चल रही थी टोप पहनकर कोट पतलून और टाई लगाकर जो आता था उसको समझा जाता था ये हकूमत करने वाले हैं यह बात सही है। आप जानते हैं प्रत्येक नागरिक जानता है उस समय भी स्वार्थी तत्वों ने इसका काफी फायदा उठाया। उस समय जो लोग उपरोक्त वेशभूषा में पाये जाते थे, उनकी इज्जत करते थे, उनका धीरे धीरे समाज सम्मान करने लगा। उस समय से देश में गान्धीजी ने इस खादी आन्दोलन को चलाया वह आन्दोलन धीरे धीरे उस समय बढ़ता गया। और जब खादीवालों की हकूमत आयी इस पवित्र काम में ऐसे असामाजिक तत्व प्रवेश कर गये जो अपने आपको शासन चलाने वाले समझने लगे। मैं सभी लोगों के लिये नहीं कहता लेकिन कुछ असामाजिक तत्व खादी का ताज सर पर लगाने लगे, वे यह मानने लगे कि यह हकूमत करने वाली पार्टी

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

का द्योतक है। जब लोगों में यह भावना उत्पन्न होने लगी तो इसके प्रति लोगों की घृणा भी जागने लगी। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि खादीग्रामोद्योग के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जितना अनुदान दिया वह उपयोग किस तरह से हुआ यह सबको विदित है। इससे होना तो यह चाहिये था कि छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये था लेकिन उनकी कितनी दुर्गति हुई। खादी कन्सेशन रेट पर बेचने के नाम नुक्सान लगने लगा और उस नुक्सान के कारण उसको अनुदान देकर बचाने की चेष्टा की जाने लगी लेकिन फिर भी आप देखेंगे खादी के मुकाबले मिल का कपड़ा काफी सस्ता मिलता है। जिन मान्यताओं को लेकर यह खादी का आन्दोलन चला आज उसके लिये मान्यता है एक तरफ कांग्रेस की सरकार रूढ़िवाद से दूर हटना चाहती है दूसरी तरफ इस रूढ़िवाद को प्रोत्साहन दे रही है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आप किस सुन्दर दृष्टि से इस आन्दोलन को चलाना चाहते हैं जितने भी आपके खादीघर हैं इनकी दुकान हैं एक बार उनका अवलोकन तो करिये।

सम्भवतः महात्मा गांधी की आत्मा स्वर्ग से आ जावे तो जो खादीघर बना है उसका जो शो रूम बना है उनको देखकर कल्पना नहीं कर सकते कि हमारा देश सद्भाव की तरफ जा रहा है या कौनसी प्रवृत्ति अपना रहा है। वहां की चमचमाहट और सजावट को देख कर ऐसा लगता है मानो कोई सीधा विलायत से ट्रेण्ड होकर यहां सजाने आया हो। आप उसे देखिये और समझिये कि खादी के अन्तर्निहित जो भावना है वह कहां तक उसमें साकार हुई है।

मैं चाहता हूं आप विकास करिये पर जिस भावना के साथ जिस भावना से प्रेरित होकर आप विकास कर रहे हैं या करना चाहते हैं अथवा जो सादगी की हमारी पुरातन संस्कृति की प्रतिच्छाया या प्रतिबिम्ब आप इन प्रवृत्तियों द्वारा समाज पर डालना चाहते हैं वह क्या इन खादीघरों द्वारा फैलाई जा रही है क्या ?

तीन दृष्टिकोणों से आप विचार कर लीजिये कि जब समय के अनुसार देश में लोगों की मान्यतायें और प्रवृत्तियां बनती हैं तो हमको भी विकास की ओर अग्रसर होने की दृष्टि से विचार करना चाहिये। मैं कहूंगा कि जब हम सामान्य जन की तरफ सहानुभूति की बात नहीं करते हैं तो परिणाम यह होता है कि इसकी प्रतिक्रिया की भावना लोगों के हृदयों में जागृत होती है। सत्तर पिचहत्तर प्रतिशत से भी अधिकांश लोग जिस आन्दोलन के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे थे आज से कोई तीस चालीस साल पहले उन्हीं लोगों की भावनाओं में आज क्या कारण है कि विरोध और प्रतिक्रिया की भावना जाग गई है। क्या यह भी आपने सोचा ? अगर इसके अन्तर्निहित कारणों पर विचार नहीं करते हैं तो परिणाम क्या होगा ? ये प्रतिक्रियात्मक विरोध की भावनायें निश्चयात्मक रूप से देश में पनपेंगी और देश के विकास में इससे अवरोध बढ़ेगा। जहां एक एक शक्ति एक एक व्यक्ति की शक्ति देश को आगे बढ़ाने के संयुक्त रूप से जुटनी चाहिये और संयुक्त रूप से इस बढ़ने की भावना को प्रोत्साहन नहीं

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

दिया गया तो परिणाम यह होगा कि लोगों के अन्दर विकास की ओर बढ़ने के स्थान पर विकार और विनाश की ओर बढ़ने की भावनाएं पैदा होंगी।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आप धारा शास्त्री हैं। नियमों से परिचित हैं। यह जो संशोधन है, उस पर आप कुछ कहिये न ? यह बात और किसी अवसर पर कह दीजिये।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : विषय से विषयान्तर होते हुए भी मैं विनम्रतापूर्वक आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि दृष्टान्त देकर जिस सम्बन्ध की बात होती है उस पर विशेष प्रकाश डालना चाहता था मैं। पर समयाभाव के कारण यह कहना चाहता हूं कि ग्राम उद्योगों से सम्बन्धित यह विधेयक है। मैंने जो प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसमें यह कहा है कि इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे इसका मूल कारण यह है कि इन सारी बातों की जांच वहां कराली जावे।

श्री उपाध्यक्ष : अब कारण के लिए स्टेज आई है ?

श्री दुर्गालाल बाड़दार : आपने अनुमति दे दी तो आपकी कृपा से मैं अपने विचार व्यक्त कर देता हूं। पर जो मान्यताएं मेरी हैं उनको व्यक्त करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। इसलिए निवेदन करूंगा कि जो आन्दोलन में अपना हाथ रखते हैं मैं उनसे चाहूंगा कि जब तक अपना दृष्टिकोण समाज के हित के साथ नहीं बदलेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते ऐसे आन्दोलनों में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इस सम्बन्ध में थर्ड वाचन में दो तीन बातें कहीं उनका मैं उल्लेख कर देना चाहता हूं।

एक तो न्यूनतम वेतन की बात कही गई। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि खादी उत्पादन में काम करने वाले आमतौर पर फुल टाइम वर्कर नहीं होते। कत्तिनें भी थोड़े समय कातती हैं। पूरे समय कातने वाली नहीं होती। इस तरह धोबी रंगरेज हैं। वे भी पार्ट टाईम वर्कर हैं। इसके अलावा बुनकर का काम जो करते हैं उनमें भी अधिकांश पूरे समय काम नहीं करते। तो जब तक आवर्स निश्चित न हों न्यूनतम वेतन की बात बिठाना मुश्किल होता है। पर इस बात को देखा गया है कि आमदनी उनकी बढ़े किसी तरह से। कताई की रेट बढ़ाई गई है। बुनकर की रेट बढ़ाई गई है। इसके अलावा जो ट्रेडीशनल चरखे से आठ दस आने मुश्किल से मिलता था वहां अम्बर चरखे से दो ढाई रुपया रोज भी कमा लेते हैं।

उनके उत्पत्ति केन्द्रों के क्षेत्रों के बारे में कहा गया कि अमुक संस्थाएं वहां दूसरों को अलाऊ नहीं करती। अलग से प्रमाण-पत्र सीमित होते हैं।

यहां यह देखते हैं कि जो संस्था वहां काम कर रही हैं उसका एक वाइबल यूनिट बने। इस बात की कोशिश की गई है जिससे उस संस्था में कोई घाटा न हो और उत्पादन में भी घाटा न हो।

(श्री अमृतलाल यादव)

एक ने कहा कि समितियों की धनराशि का हिसाब नहीं है और कहा कि उपयुक्तता प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है।

श्री मदनसिंह दांता : इन बातों को काहे को दोहराते हैं।

श्री अमृतलाल यादव : 97 प्रतिशत धनराशि के उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जा चुके हैं। कुछ ही ऐसी हैं जिनके उपयोगिता प्रमाण-पत्र बाकी हैं। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत हर प्रकार के काम के लिये उनके नियम और उपनियम हैं।

इसके अलावा छः केस पी. डी. आर. और दो केस कोर्ट में चालान हुए हैं। मैं इस बात से आपसे सहमत हूं कि कहीं कोई किसी संस्था में गड़बड़ी है या रकम की वसूली में देरी है तो उसकी सख्ती के साथ वसूली करने की कोशिश की जावे।

श्री भैरोंसिंह : 90 प्रतिशत संस्थाओं के उपयोगिता प्रमाण-पत्र आ गये हैं?

श्री अमृतलाल यादव : 90 नहीं, 97 प्रतिशत के आगये हैं।

श्री भैरोंसिंह : जो पिछली संस्थाएं थीं, उनमें आज जो जीवित हैं जिनको आपने अपने रजिस्टर में जीवित मान रखा है उनके उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के बारे में तो आपने कह दिया।

पर जिनके बारे में पी० ए० सी० या अन्य स्थानों पर उल्लेख आया और जो काफी संख्या में थे उनके बारे में क्या हुआ?

श्री अमृतलाल यादव : इनमें भी ऐसी हैं जिनके लिये यह काम किया गया है। बाकी और भी हैं जिनके बारे में कार्यवाही चल रही है। बाकी संस्थाएं उनमें से ही हैं।

दूसरा, मैं निवेदन कर रहा था कि इसके अलावा यह कोशिश की जाती है कि जो नये नये खादी के अलावा ग्रामोद्योग हैं उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचे इस दृष्टि से व्यक्ति या व्यक्ति समूह ट्रेडीशनल काम करते हैं, समितियों में संगठित नहीं हो सके हैं, उनको भी अगर वे उस उद्योग को पनपाने के लिये सहायता मांगें और वह उनको मिल सके और उनको देना उचित प्रतीत हो तो इसके लिये भी प्रयास किया गया है।

इतना निवेदन करने के बाद मैं निवेदन करूंगा कि इसको पारित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खादी तथा ग्रामोद्योग संशोधन विधेयक, 1968 को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही दिनांक 4-3-68 को सुबह 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनतर सदन की कार्यवाही 5.00 बजे सोमवार, दिनांक 4 मार्च, 1968 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 377 की सूची)

औद्योगिक बस्ती गंगापुर में भूमि नियतन हेतु प्राप्त हुए आवेदन–पत्रों का विवरण

क्रमांक	नाम आवेदक	भूमि नियतन हुई है या नहीं	अगर हो गई है तो कितनी	अगर नहीं तो उसका कारण	विवरण
1.	पहाड़िया कोल्ड स्टोरेज जोधपुर (तेल मिल)	हां	आधा एकड़	—	कब्जा मिलने पर कब्जा दिया जाएगा।
2.	निर्मल कुमार पाटनी जयपुर (खनिज)	हां	1.16 एकड़	—	,,
3.	उमका ट्रेडर्स, जयपुर (केटल फीड)	हां	1.50 एकड़	—	,,
4.	लक्ष्मी आईल एण्ड फ्लोर मिल्स नया बाजार, गंगापुर	नहीं	—	—	आवेदक द्वारा सत्यंकार राशि जमा नहीं कराई गई है और नहीं प्रस्तावित उद्योग की योजना प्रस्तुत की गई है।

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या 380 की सूची)

सांड पालन फार्म नोहर वर्ष 1962-63 में प्रारम्भ किया गया था, तथा उसमें नियुक्त किये गये कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

पद एवं संख्या	पद सृजन करने की तिथि एवं दिनांक	फार्म पर नियुक्ति दिनांक
अधीक्षक···1	एफ० 3 (58) सी.ए./जी.आर. 11/61 दिनांक 20-6-61	7- 2-62
कनिष्ठ लिपिक···1	,,	1-12-67
स्कंद सहायक···1	,,	1- 5-62
काफ बाय···5	,,	(क) 6- 2-64
		(ख) 11- 5-64
		(ग) 1- 6-63
		(घ) 1-12-67
		(ङ) 15- 1-68

सूची

सांड पालन फार्म नोहर में इस समय निम्नांकित मशीनरी उपलब्ध है:—

1. ट्रेक्टर मय ट्रोली-एक
2. डिस्क प्लो एक
3. हेरो ग्राफ सेट-एक
4. ब्लेड टरेसर-एक
5. टीलर-एक
6. कुट्टी काटने की मशीन (बैलों द्वारा चलने वाली)-एक
7. तांगा-एक
8. बैलगाड़ी-एक
9. तोलने की मशीन एक

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 386 की सूची)

सूची नं० 1

अन्य प्रान्तों से आनेवाले विद्यार्थी जो सैनिक स्कूल, चित्तौड़ में पढ़ रहे हैं :—

क्रम सं०	राज्य	छात्रों की संख्या
1.	जम्मू व कश्मीर	4
2.	उत्तर प्रदेश	5
3.	हिमाचल प्रदेश	1
4.	पोर्टब्लेर	1
5.	दिल्ली	15
6.	आसाम	1
7.	पंजाब	26
8.	हरयाना	49
	कुल योग	102

सूची नं० 2

सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ में जिलेवार छात्रों की संख्या

क्रम संख्या	जिला	छात्र संख्या	क्रम संख्या	जिला	छात्र संख्या
1.	अजमेर	21	14.	जयपुर	47
2.	अलवर	9	15.	झालावाड़	2
3.	बांसवाड़ा	1	16.	झुंझुनू	39
4.	भरतपुर	3	17.	जोधपुर	27
5.	भीलवाड़ा	1	18.	कोटा	11
6.	बीकानेर	10	19.	पाली	8
7.	बूंदी	1	20.	सवाई माधोपुर	2
8.	बाडमेर	1	21.	सीकर	16
9.	चित्तोड़गढ़	26	22.	सिरोही	2
10.	चूरू	3	23.	टोंक	2
11.	डूंगरपुर	1	24.	उदयपुर	16
12.	धौलपुर	2	25.	नागौर	29
13.	गंगानगर	16	26.	जैसलमेर	1
				कुल योग	297

परिशिष्ट

(तारांकित प्रश्न संख्या 398 की सूची)

Statement showing the rent outstanding against the tenants who have occupied the shops and quarters plots attached to Govt. Cotton and Ginning Press Mandawar upto Dec '67.

1	Name of occupant 2	Date of occupation 3	Date upto which rent recovered 4	Amount Outstanding till December, 67 5
1.	Shri Govind Swarup	April '56	Recovered upto Dec. '64	Rs. 360/-(For 2)
2.	„ Ramjilal Sharma	Aug. '59	„ Jan. '67	„ 60/-(For 2)
3.	„ Beni Prasad Namichand	April '59	„ June '67	„ 30/-
4.	„ Kanabaya lal Driver	April '56	„ Dec. '66	„ 60/-
5.	„ Chhotey lal Halwai	March '60	„ May '67	„ 35/-
6.	„ Har Dayal Master	Sept. '66		80/-
7.	„ Panna lal Dhobi	Nov. '67	„ July '67	„ 25/-
8.	„ Ram Kishore	N. A.	„ Sept '65	„ 135/-
9.	„ Girdhari lal Misra	N. A.	„ March'66	„ 105/-is not traceable Oct. '67
10.	„ Jai Shiv Shanker lal	April '56	„ July '67	„ 15/-
11.	„ Badri lal Rameshwar Pd.	N. A.	„ Aug. 66	„ 48/-
12.	„ Chhajulal Peon	July '60	„ Nil	„ 450/-
13.	„ Satyanarain Omprakash	N. A.	„ July '67	„ 15/-
14.	„ Mool chand Bhouri Devi	Nov. '59	„ June '65	„ 150/-

Page No.125

1	2	3	4		5
15.	Shri Rakha Singh	N. A.	Recovered upto ,, Dec. '66	Rs.	60/-
16.	,, Ramkishore Mistry	Oct. '59	,, Aug. '66	,,	80/-
17.	,, Basanta Balai	April '56	,, Nil	,,	is not traceable Sept. '67
18.	,, Devilal Umedilal	N. A.	,, Dec. '66	,,	36/-
19.	,, Bhauriya Dhobi	N. A.	,, Dec. '66	,,	48/-
20.	,, Mohar pal	N. A.	,, March'66	,,	84/-
21.	,, Widow Manni Devi	N. A.	,, Aug. '63	,,	208/-
22.	,, Kishori lal Mistry	April '59	,, July '67	,,	15/-
23.	,, Sua lal Kalyan Pd.	N. A.	,, July '67	,,	25/-

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 404 की सूची)

भाकरोटा—बगरू लाइन पर दिए गए कनेक्शनों की सूची

(क)

1.	श्री महादेव रामकरण, भूरा, बीजा पुत्र श्योपाल, गोधी	महापुरा	कृषि हेतु	7.5 हा०पा०	29-9-66
2.	श्री सेडूराम नन्दा पुत्र श्योबक्स	,,	,,	10 हा०पा०	21-6-66
3.	श्री लछमन भूराराम चौधरी	,,	,,	7.5 हार्सपावर	19-7-66
4.	श्री गणेश पुत्र नाथू	,,	,,	5 हा० पा०	20-8-66
5.	श्री बुधाराम नाथूराम	,,	,,	7.5 हा०पा०	29-8-66
6.	श्री घासीलाल पुत्र नाथू राम चौधरी	,,	,,	7.5 हा०पा०	24-1-67
7.	श्री बसन्तीलाल पुत्र नरसीसिंह	,,	,,	7.5 हा०पा०	21-11-67
8.	श्रीमती सरोजदेवी पत्नी श्री ओमप्रकाश	,,	,,	7.5 हा०पा०	28-12-67
9.	श्री दामोदर प्रसाद पुत्र सुन्दरलाल	,,	,,	7.5 हा०पा०	20-12-67
10.	श्री डा० सरलाकुमारी पुत्री राधारमन	,,	,,	7.5 हा०पा०	20-12-67
11.	श्री गुरबक्ष पुत्र मूलचन्द	,,	,,	7.5 हा०पा०	20-12-67

(ख)

1.	श्री हरिकिशन पुत्र श्री नन्दा	चिमनपुरा	कृषि हेतु	5 हा०पा०	18-2-67
2.	श्री बुधा पुत्र सून्डा	,,	,,	5 हा०पा०	26-11-66
3.	श्री छोटू माली	,,	,,	5 हा०पा०	25-11-66
4.	श्री गणेश पुत्र बाबू	,,	,,	5 हा०पा०	25-11-66
5.	श्री लाडूराम सरपंच	,,	,,	7.5 हा०पा०	2-12-66
6.	श्री सेडू नानगराम मीणा	,,	,,		

(ग)

1.	श्रीमती नर्मदा यादव पत्नी अमृतलाल यादव	बालुपुरा	कृषि हेतु	7.5 हा०पा०	21-11-66

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्र०सं० 381 की सूची)

संस्था का नाम	नौकरी पर अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति की संख्या	कब से
1	2	3
1. स्टेट होटल कारपोरेशन	26	1-7-1965 से
2. राज्य पथ परिवहन निगम	135	13 कर्मचारी मार्च अप्रैल 1965 से 3 कर्मचारी अगस्त 66 से 119 कर्मचारी अगस्त सितम्बर 1967 से ।

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 1 मार्च, 1968)

स्कन्ध सं	पंक्ति सं०	अशुद्ध	शुद्ध
7	अन्तिम से 2	79	69
37	अन्तिम से 6	विवश्चन	क्वेश्चन
45	शीर्ष	श्री अभृतलाल	श्री अमृतलाल
51	1	पसे	पैसे
56	11	मीटींग	मीटिंग
57	3	सीमतियों	समितियों
,,	अन्तिम से 2	गीरष्ठता	वरिष्ठता
58	14	दे	दी
59	13	ब ती	बस्ती
67	शीर्षक	तारांकिन	तारांकित
75 से 80	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	अ. स. के तारांकित प्रश्नोत्तर
81 से 88	,,	तारांकित प्रश्नोतर	अतारांकित प्रश्नोतर
86	अन्तिम से 4	सकरी	सीकरी
90	अन्तिम से 14	उत्तजनात्मक	उत्तेजनात्मक
91	,, 7	बढता	बहूता
97	5	सामुहिक	सामूहिक
,,	6	प्रतीकार	प्रतिकार
104	13	वचह	वजह
105	16	—	. . .
110	2	इस बारे में	—
111	1	श्री विजयसिंह	श्री विजयसिंह रावत
,,	9	प्रशंग्नता	प्रसन्नता
116	6	निणय	निर्णय
117	7	विचार	विचार
120	अन्तिम से 4	सैंकड़ों	सैकड़ों
121	18	हूं । कि	हूं कि
128	15	निदेश	विदेश
,,	,,	फरक	फर्क
131	8	बिमारी	बीमारी

1	2	3	4
131	अन्तिम से 7	इन्जेक्सन	इन्जेक्शन
132	4	बिमारी	बीमारी
134	3	बिजीनेस	बिजनेस
135	अन्तिम से 11	मंत्री पर	मंत्री को
135	अन्तिम से 10–11	भ्रष्टाचार के आरोप है	XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये
136	6 और 7	भ्रष्टाचार के आरोप हैं	XXXX
138	16	खादो	खादी
110	अन्तिम से 10	चहिये	चाहिये
142	13	होने	होना
,,	25	बालों	वालों
143	अन्तिम से 5	गामो-	ग्रामो-
145	18	उन्होंने	—
,,	23	संगठन	संगठन
146	4	विरधीचन्दजी	वृधिचन्द्रजी
149	अन्तिम से 6	धोटाला	घोटाला
152	8	1267	1967
156	अन्तिम से 15	जात	जाती
157	2	पैत्रिका	पैत्रिक
158	7	कर्मचारियों	कर्मचारियों
,,	15	टेनिंग	ट्रेनिंग
158	अन्तिम से 6	विज्ञप्ति	विज्ञप्ति
,,	,, ,,	प्रकार	प्रकार
160	,, 11	कंग्रस	कांग्रेस
163	8	खादा	खादी
,,	अन्तिम से 12	बख्याने	बख्शने
,,	,, 8	बकतों	बकैतों
,,	,, 7	क	के
165	,, 3	का	की
167	1	संथा	संस्था
,,	14	बगेर	बगैर
,,	अन्तिम से 4	बोड	बोर्ड
,,	,, 3	सबिसडी	सब्सिडी
168	16	सुधार	सुनार

1	2	3	4
168	अन्तिम से 9	छोटी सा	छोटा सा
173	,, 16	(अजमेर)	(अजमेर-पश्चिम)
179	1 व 14	ग्रामोउद्योग	ग्रामोद्योग
183	17	उसलिए	इसलिए
186	16	चाहता	चाहता हूं
,,	19	लेगे	लगे
,,	23	सचीव	सचिव
187	5	रख	रखा
192	11	अबर	अम्बर
193	अन्तिम से 4	श्री परसराम	श्री परसराम गंगाराम:
,,	,, 1	बहते	पहनते
194	शीर्षक	f चार	विचार
195	अन्तिम से 13	(हिण्डौली)	(हिण्डोन—सु)
200	,, 6	श्री उपाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
221	10	श्री विजयींसिह	श्री विजयसिंह रावत
211	1	श्री मनोहर्रसिह	श्री मनोहरसिंह मेहता
212	11	लगाय	लगाया
220	8	ऐक	एक
222	6	अमृतलाल यादव	श्री अमृतलाल यादव
224	20	ख म	खतम
,,	26	पूर्णविः	पूर्णतः
229	अन्तिम से 92	सामाज	समाज
231	9	आधार	आधार पर
243	1	परिशिष्ट	परिशिष्ट 4